खण्ड-116, अंक-4
मंगलवार, 9 पौष, शक संवत् 1874
(30 दिसम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 116 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ाहुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री

मौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री,
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शास्त्री, श्री

यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री

वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रो, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शकदेवप्रसाद, श्री
शगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना , श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुकम सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिला बोर्ड को शिक्षा के लिये सहायता

*१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार द्वारा कितना धन वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जाता है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—विभिन्न राजाज्ञाओं के अन्तर्गत परिषद् के प्राप्यक की गणना करने पर जो धनराशि आती है वही अनुदान शिक्षा के हेतु दिया जाता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शिक्षा बोर्ड को इतना कम रुपया क्यों दिया जाता है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह रुपया कम नहीं है।

*२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ और ५३ का अनुदान डि० बोर्ड को दिया गया?

डाक्टर सीताराम—१९५२-५३ ई० में अब तक जो अनुदान प्राप्य थे दिए जा चुके हैं।

*३—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हां, तो कितना और कब?

डाक्टर सीताराम—निम्नलिखित अनुदान उनके सम्मुख लिखित तिथियों को प्रदान किए गए हैं :—

तिथि	अनुदान रु०
२४-४-१९५२	९४,०००
२९-४-१९५२	१,१८,३४०
२४-७-१९५२	१,१८,३४०
२-८-१९५२	९४,०००
३-११-१९५२	९४,०००
८-१२-१९५२	२,०६,३८२
योग ..	७,२५,०६२

[१६ दिसम्बर १९५२ के मित्र मंत्री के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

चमड़े के कच्चे माल पर बिक्री-कर

*१—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या यह सच है कि जूते के कारीगरों से जूते के उद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल जैसे चमड़ा, कुर्म, टिगल आदि खरीदते समय बिक्री-कर (Sales Tax) वसूल कर लिया जाता है?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---यह सच है कि जूते का काम करने-वालों या बाहर से माल मंगानेवालों द्वारा कमाये हुये चमड़े और क्रोम की बिक्री पर ३ पाई फी रुपये के हिसाब से एक स्थानीय (सिंगिल प्वाइंट) बिक्री-कर लिया जाता है, जूते के उद्योग से संबंधित दूसरे कच्चे माल, जैसे टिंगल पर ३ पाई फी रुपये के हिसाब से बहु स्थानीय (मल्टिपिल प्वाइंट) बिक्री-कर लिया जाता है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स और मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स में क्या फर्क है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जितनी बिक्रियां किसी चीज़ की होती है उनमें से अगर एक दफा की बिक्री पर टैक्स लिया जाता है तो वह सिंगिल प्वाइंट हैं और अगर हर बिक्री पर टैक्स लिया जाय तो वह मल्टिपिल प्वाइंट है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि जूते के अलावा ऐसी कौन बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन पर सिंगिल प्वाइंट और मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स दोनों लिये जाते हैं?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह इतनी लम्बी फेहरिस्त है कि इसका याद से बयान करना मुश्किल है, लेकिन हैं बहुत सी चीज़।

श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस सूबे में कौन सा जिला है जहां पर जूते का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जो मेरी जाती मालूमात है उसकी बिना पर तो कह सकता हूं। मैंने आफिश्यल इन्फार्मेशन उसकी इकट्ठा नहीं कर रखी है। वह मेरे ख्याल में आगरा है ऐसी जगह।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि मल्टिपिल टैक्स और सिंगिल प्वाइंट टैक्स इन दोनों के बजाय एक ही स्थान पर टैक्स लिया जाना क्यों उचित नहीं समझा जाता?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---अगर इस सवाल के मुताबिक अमल किया जाय तो उसका मतलब यह होगा कि हर टैक्स सिंगिल प्वाइंट हो जायगा और ऐसा करना तो इस ऐवान के फैसले के ख़िलाफ है। कानून में लिखा हुआ है कि सिंगिल प्वाइंट भी हो और मल्टिपिल प्वाइंट भी हो।

*२---श्री पुत्तूलाल--- क्या यह सच है कि उक्त जूते वालों से, उनके द्वारा बनाया हुआ माल बेचते समय फिर बिक्री-कर वसूल किया जाता है? यदि हां, तो उक्त जूते के कारीगरों से क्रय तथा विक्रय दोनों पर कर लगा कर दोहरा कर (double tax) क्यों वसूल किया जाता है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह सच है कि चमड़े के बने सामान पर जिसमें कि जूते भी शामिल हैं बहु स्थानीय (मल्टिपिल प्वाइंट) बिक्री-कर लिया जाता है।

जूता बनाने में सब से ज्यादा चमड़ा (जिसमें क्रोम और बन्छोल दोनों ही शामिल हैं) काम में आता है जिस पर केवल ३ पाई फी रुपये का एक स्थानीय (सिंगल प्वाइंट) कर लिया जाता है जब कि आमतौर से दूसरी चीजों पर ६ पाई या ९ पाई फी रुपये के हिसाब से एक स्थानीय (सिंगिल प्वाइंट) कर लिया जाता है। जहां तक बनाये गये सामानों का सम्बन्ध है कई सामानों के सम्बन्ध में कच्चे

माल और तैयार माल, दोनों ही पर बिक्री-कर लिया जाता है। इसलिये खास-कर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चमड़े पर बहुत ही कम एक स्थानीय (सिंगिल प्वाइंट) कर लिया जाता है जूतों पर कर लगाने की योजना असंगत नहीं जान पड़ती।

*३—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार जूते के उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा जूते के कारीगरों की आर्थिक समस्या को हल करने के लिये क्रय व विक्रय के समय दोहरे कर में से एक कर को ख़ारिज करने को तैयार है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—बड़े पैमाने पर जूते बनाने का कारोबार करने वालों को, जिनका विक्रय धन १५,००० रु० फी साल से अधिक है, बिक्री-कर से मुक्त करना जरूरी नहीं जान पड़ता क्योंकि वे कर के भार को आसानी से ख़रीदारों के ऊपर टाल सकते हैं। ऐसे उत्पादक जिनका बिक्रय धन १५,००० रु० फी साल से कम है, बिक्री-कर से पहिले ही से मुक्त हैं।

[३० दिसम्बर १९५२ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

मुज़फ़्फ़रनगर में शराब की दुकानों का प्रबन्ध

*१—श्री बलवन्त सिंह (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में एक्साइज़ लाइसेंसिंग बोर्ड ने अपनी १०-११-५१ की मीटिंग में शराब की केवल एक ही दुकान रखने की सिफारिश की थी, किन्तु सरकार ने उसके विपरीत दो दुकान मुज़फ़्फ़रनगर शहर में कर दीं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—जी हां, स्थानीय आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक था।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह स्थानीय आवश्यकता क्या थी?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसके कई सबब थे। पहली बात तो यह थी कि एक वहां के ठेकेदार थे और उन ठेकेदारों ने गालिबन बहुत से मेम्बरों को अपना हम ख्याल बना लिया जिसकी वजह से यह जरूरत हुई कि वहां पर एक ही दुकान खुले क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी मानोपली टूटने न पाये। वाकया यह था कि वहां पर काफी तादाद बढ़ गयी थी और ठेके का रुपया खुद इतना ज्यादा हो गया था कि हर एक ठेकेदार रुपया अदा नहीं कर सकता था इसकी वजह से यह भी जरूरी था कि इसके लिये एक दुकान वहां खोलनी चाहिये और उसकी मानोपली को तोड़ना चाहिये। रिफ्यूजीज़ भी बहुत आ गये थे इसलिये भी एक लाइसेंस का और दिया जाना बहुत जरूरी था। चुनांचे क्लेक्टर ने गौर किया, कमिश्नर ने रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने उसे इसके बाद मंजूर किया।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब जो दुकानें वहां पर हैं वह भी एक ही मैनेजमेंट के अन्दर चल रही हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसकी तो कोई इत्तिला नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दो दुकानों के अलावा और भी दुकान खोलने का सरकार विचार कर रही है?

श्री सैयद अली ज़हीर—अभी तो कोई इरादा नहीं है।

*२—श्री बलवन्त सिंह—क्या यह सही है कि सरकार निश्चित शरह पर शराब बिक्रेताओं को शराब बेचने को देती है, पर बिक्रेताओं की उपभोक्ता के लिये कोई क़ीमत की शरह निश्चित नहीं है?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां।

*३—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार हर दुकान पर कोई ऐसा रजिस्टर रखेगी जिसमें खरीदार शराब खरीदते वक्त रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करें?

श्री सैयदअली जहीर—सरकार के विचार से प्रश्न में दिया गया सुझाव न तो व्यवहारिक (Practical) ही है और न देश की मौजूदा हालत में फायदेमन्द ही साबित होगा।

*४—५—श्री भोला सिंह (जिला गाजीपुर)—[१३ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*६—८—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फ़रनगर)—[८ जनवरी, १९५३ के लिये संख्या १२–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला आजमगढ़ की सड़कें

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन कौन सी सड़कें प्रथम फेज और कौन कौन सी सड़कें द्वितीय फेज में हैं?

निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भूज शर्मा)—युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में ली गयी सड़कों की एक सूची सभा सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। दूसरा चरण अभी तैयार नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ—३१६—पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़कें किस सन् से किस सन् तक सरकारी नियंत्रण में रखी गयी थीं और कितना रुपया व्यय किया जा चुका?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये कि कितना रुपया व्यय किया गया है सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दीदार गंज से दीदार गंज रेलवे स्टेशन, कप्तान गंज से अहिरौला और कप्तान गंज से महराजगंज तक जाने वाली सड़कों पर सीमेंट की बनी हुई पुलियां फेंकी पड़ी हुई हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

जानसठ–ककरौली–भोकरहेंड़ी सड़क के लिये भूमि

*१०—श्री बलवन्त सिंह—क्या यह सही है कि जानसठ–ककरौली–भोकरहेंड़ी सड़क के लिये सरकार ने मुआवजा देकर भूमि ली है

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस सड़क के केवल जानसठ–ककरौली भाग के लिये।

श्री बलवन्त सिंह---क्या यह बात सही है कि ककरौली से आगे भोकरहैड़ी तक सड़क के लिये सरकार ने रुपया दिया है जमीन के लेने के लिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं।

श्री रामकुमार शस्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो भूमि ली गयी है उसका क्या रक़बा है और कितना रुपया मुआविजे में दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---४०.७३ एकड़ भूमि ली गयी है ७ हजार ३०१ रु० दिया गया है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या यह सही है कि ककरौली से भोकरहैड़ी तक जो सड़क है वह सरकार की नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जानसठ से ककरौली तक सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत है और बाक़ी पी० डब्ल्यू० डी० के देख रेख में नहीं है।

*११---श्री बलवन्त सिंह---क्या यह सही है कि अब इस सड़क की भूमि में लोग नाजायज मकान और खेत बना रहे हैं और इस सड़क की भूमि में भट्टों के लिये मिट्टी खोद कर गहरे गहरे गड्ढे खोद रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं।

*१२---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार इस सड़क को Demarcate कराने का कष्ट करेगी जिससे लोग अपने श्रम-धन से इसे बना लें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस सड़क के दोनों ओर सीमा ज्ञात करने वाले स्तम्भ लगे हुये हैं, अतः इसकी सीमा स्थिर कराने की आवश्यकता नहीं है।

तहसील पड़रौना (देवरिया) के अन्तर्गत कुछ काश्तकारों को कंकड़ के लिये मुआवजा

*१३---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया के अन्तर्गत क़रीब ६ साल पूर्व मौजा बतरौली, फागपुर, विशुनपुरा, के काश्तकारों की काश्तकारी से पी० डब्ल्यू० डी० ने कंकड़ निकलवाया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कंकड़ खोदने का काम निर्माण विभाग नहीं करता। इसके लिये ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। ठेकेदार कंकड़ खोदने के पश्चात् उसको एकत्र करने के स्थान पर लाते हैं जहां उसकी नाप हो जाने के पश्चात् उसका मूल्य दे दिया जाता है।

*१४---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार ने उन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है और न खेतों को ही खाली किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---खेतों के मुआवजा देने का तथा उनको खाली करने का भार ठेकेदार पर है न कि निर्माण विभाग पर।

परिगणित जाति के सेल्स टैक्स आफ़िसर

*१५---श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत चार वर्षों में कितने सेल्स टैक्स आफ़िसर्स तथा असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफ़िसर्स चुने गये ? इनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्तियों को चुना गया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---पिछले चार वर्षों में ६० सेल्स टैक्स अफ़सर और ६२ असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर नियुक्त किये गये हैं। इनमें से केवल एक सेल्स टैक्स अफ़सर और दो असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर अनुसूचित जाति के हैं।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन चार वर्षों में असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफ़िसर तथा सेल्स टैक्स आफ़िसर के लिये परिगणित के कितने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया?

श्री हाफ़िज़ महम्मद इब्राहीम---जो अप्लाई करते हैं उनकी तादाद तो हमारे पास नहीं होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास होती है।

श्री पुत्तूलाल-----क्या यह बात सच है कि ६० सेल्स टैक्स आफ़िसर्स तथा ६२ असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफ़िसर्स का जो चुनाव हुआ था उसमें परिगणित जाति के लिये कोई स्थान नहीं रखा गया था?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह बिलकुल ग़लत है, रखा गया था।

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी नगण्य संख्या अनुसूचित जातियों की सेल्स टैक्स आफ़िसरों में क्यों है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इसमें अब तक तीन दफ़ा चुनाव हुये हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव होता है। १० फीसदी उनके लिये रेज़र्वेशन है। उसके मुताबिक़ उनसे तादाद मांगी जाती है। जो आदमी पहले दो चुनाओं में पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गये उनको कमीशन ने फ़िट नहीं पाया। लिहाज़ा उन्होंने कोई नाम नहीं भेजा। उसके बाद तीसरा जो चुनाव हुआ उसमें आदमी लिये गये और वे हैं। तो जो क़ायदे के मुताबिक़ है वह होता है उसमें सिर्फ इतना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जिस किसी को फ़िट क़रार दे देता है वह सर्विस में आ जाता है और कोई बात नहीं है।

विधान सभा की स्थायी समितियों की बैठकें

*१६---**श्री भगवान सहाय** (ज़िला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले विधान सभा की अवधि में किन किन स्टैंडिंग कमेटियों की, कितनी कितनी बैठकें, किन किन सालों में हुईं?

श्री सैयद अली ज़हीर---१९४८ से १९५२ तक हुई विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या की सूची माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

श्री भगवान सहाय---क्या ऐसा कोई क़ायदा है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ की कम से कम साल में दो मीटिंग ज़रूर बुलायी जायें।

श्री सैयद अली ज़हीर---मेरे ख़याल से रूल से तो आप भी उतना ही वाक़िफ़ हैं जितना कि मैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में जिन कमेटियों की मीटिंग नहीं हो सकी वह क्यों नहीं हो सकी?

श्री सैयद अली ज़हीर---मुझको तो देखकर मालूम होता है कि सिवाय दो तीन कमेटियों के औरों की मीटिंग हुईं थीं और इसके मुताल्लिक़ अगर सवाल पूछा जाय तो मैं दरियाफ्त करके बतला सकूंगा कि क्यों नहीं हुईं।

जिला मुजफ्फ़रनगर के गोरधनपुर परगने में सौलनी नदी पर पुल की आवश्यकता

*१७---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह जानती है कि जिला मुजफ्फ़रनगर का परगना गोरधनपुर जिले के शेष भाग से सौलनी नदी द्वारा अलग हो जाता है और बरसात के चार महीनों में वहां आना जाना असम्भव हो जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---केवल बरसात के दिनों में गोरधनपुर क्षेत्र जिले के शेष भाग से अलग हो जाता है

श्री बलवन्त सिंह---जब कि यह परगना गोरधनपुर जिले से बरसात में अलग हो जाता है तो सरकार ने उसको जिले से मिलाने के लिये क्या तरकीब सोची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी अलग हो जाने का मतलब यह है कि नाव से लोग आते जाते होंगे, सड़क से कोई नहीं जा सकता है । ऐसे क्षेत्र सूबे में कई हैं।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि इस नदी में किसी जगह पर भी नाव नहीं चल सकती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जगह तो मैं इस समय नहीं बतला सकता लेकिन नाव चलती है यह सूचना सरकार के पास है ।

*१८---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने के लिये सौलनी नदी पर तुगलकपुर और भौकरहेड़ी के पास दो पुलों के निर्माण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में नलकूप निर्माण का ठेका

*१९---श्री बलवन्त सिंह---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में नलकूप निर्माण का ठेका किसी विदेशी कम्पनी को दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---जी हां। उत्तर प्रदेश के नलकूप निर्माण की योजनाओं में से दो का ठेका भारत सरकार के निर्देशानुसार दो विदेशी कम्पनियों को दिया गया है। नवम्बर १९५० ई० में ४४० नलकूप योजना का पहला ठेका मैसर्स एसोशियेटेड ट्यूब वेल्स को दिया गया था तथा दूसरा ५०० ट्यूब वेल्स योजना का मेसर्स जर्मन वाटर कार-पोरेशन को गत मास में दिया गया है । माननीय सदस्य इन ठेकेदारों से होने वाले मुआहदों की शर्तों को सिंचाई मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सूबे में जो ट्यूब वेल्स बन रहे हैं तो इसमें कोई खर्चा यू० पी० गवर्नमेंट नहीं करेगी ?

श्री राममूर्ति---जी हां, यह तो भारतीय सरकार की ही स्कीम है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ट्यूब वेल्स बने हैं और क्या प्रगति हो रही है ?

श्री राममूर्ति---४४० ट्यूब वेल्स में से २२० बन गये हैं और बाक़ी २२० मई या जून तक बन जायंगे। जहां तक ५०० ट्यूब वेल्स का ताल्लुक़ है वह आगे बनने वाले हैं।

श्री बलवन्त सिंह---यह जो ट्यूब वेल्स कोआपरेटिव बेसिस पर बन रहे हैं उसमें भारतीय सरकार का कोई भाग है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, वह तो हमारे ही हैं उनमें भारतीय सरकार का कोई भाग नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—जो ट्यूब वैल्स बन गये हैं उन्होंने क्या, काम करना शुरू कर दिया है ?

श्री राममूर्ति---२० ट्यूब वेल्स ने काम करना शुरू कर दिया है ।

श्री भगवान सहाय---जिन विदेशी कम्पनियों को ठेका दिया गया है तो क्या उनके टेंडर्स काल किये गये थे या यों ही उनको ठेका दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---उनके टेंडर्स भारतीय सरकार ने काल किये थे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि जिस विदेशी कम्पनी को ठेका दिया गया है वह अपना काम ऐसे इंजीनियर की देख रेख में करा रही है जो पी० डब्ल्यू० डी० से अलग कर दिये गये हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इसकी कोई सूचना कार्यालय को नहीं है लेकिन ठेकेदार ने अपना प्रबंध कर रखा है उससे इस विभाग को कोई संबंध नहीं है । हमें ट्यूब वेल्स से संबंध है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---कोआपरेटिव बेसिस पर नल कूप बनाये जाने की योजना सरकार ने किसी खास जिले के लिये रखी है या सारे प्रांत के लिये रखी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---सारे प्रांत में ही चलेगी लेकिन अभी तो कुछ जिलों में ही चल रही है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ट्यूब वेल्स कोआपरेटिव बेसिस पर बन रहे हैं उसका ठेका यू० पी० गवर्नमेंट ने कसको दिया है ?

श्री राममूर्ति---वह तो ज्यादातर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ़ से ही बनाये जाते हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---जो ठेके इन विदेशी कम्पनियों को दिये गये हैं उनकी दर उन नलकूपों की दरों से जो अब तक सरकार ने बनाये हैं, ८,१० हजार प्रति नलकूप अधिक पड़ती हैं।

श्री राममूर्ति---यह बात सही है लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया इसमें हमारा कोई ज्यादा हाथ नहीं है । यह तो विदेशी कम्पनियां हैं । और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की तरफ़ से यह ठेके दिये गये हैं । हमारे सरकार के बावजूद भी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था । गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के जरिये से ही सब बातें तै हुईं ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने यह नलकूप बनाये गये और उनमें से जितने चालू हो गये उनको इस सदन के माननीय सदस्यों को दिखाने का भी कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति---अभी पिछले दिनों जो नलकूप खोले गये थे उनको देखने के लिये इस सदन के क़रीब ५० माननीय सदस्य गये थे और आगे भी जितने खोले जायंगे तो आप साहबान को तकलीफ़ दी जायगी।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें

१-- **श्री चन्द्रहास** (जिला हरदोई)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वहा हरदोई जिले में पंचवर्षीय योजना में (१) सांडी से विलग्राम, (२) बेनीगंज से संडीला

(३) विलग्राम से राजघाट (कन्नोज) , (४) सांडी से फर्रूखाबाद, (५) शाहाबाद से फर्रुखाबाद , (६) हरदोई से वावन होती हुई फर्रूखाबाद, (७) सांडी से शाहाबाद की कच्ची सड़कें पक्की बनाने का विचार रखती हैं ? अगर हां, तो कब तक ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---जी नहीं।

साप्ताहिक कार्यक्रम के संबंध में पूछताछ

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह के लिये सदन की कार्यवाही की सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष---पहले काम रोको प्रस्ताव के बारे में जिक्र करना है। फिर मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछूंगा।

जिला गोरखपुर में घुघली शूगर मिल द्वारा गन्ना न खरीदने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री गेंदा सिंह ने एक काम रोको प्रस्ताव मेरे पास ५,६ रोज पहले भेजा था और मैंने कहा था कि अगली तारीख पर ले लिया जायगा । कल दूसरा श्री झारखंडे राय जी का लिया गया था । इसलिये मैंने यह तय किया कि आज इस विषय पर अपना निर्णय दूंगा, कि आया यह प्रस्ताव इस सदन में श्री गेदा सिंह जी पेश कर सकते हैं या नहीं पेश कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ कागजात उन्होंने दस्तखत कराये हुये मेरे पास भेजे और उनका प्रस्ताव भी जो इस संबंध में है कि बहुत से गांव वालों का गन्ना एक मिल घुघली खरीद नहीं रही है जिससे किसानों को बहुत कष्ट हो रहा है । उसके संबंध में उन्होंने बहुत से कागजात मेरे पास भेजे जिन पर किसानों के अंगूठे के निशान भी हैं । यह सबूत में प्रस्ताव के साथ हैं यह बतलाने के लिये कि जो उनके पास खबर आयी है वह सही है। खैर प्रश्न जो हमारे सामने उत्पन्न होता है वह यह है कि काम रोको प्रस्ताव के लिये सब लोग यह जानते हैं कि तीन महत्व की बातें होती हैं । एक बात तो यह कि वह निश्चित हो, दूसरे अति आवश्यक हो । यह निश्चत भी है और आवश्यक भी है । तीसरे जनहित के दृष्टि से महत्व का होना चाहिये । उस दृष्टि से अगर देखा जाता है तो वह भी है । लेकिन एक बात और है वह यह है कि संकल्पों के लिये जो साधारण नियम हैं वह कामरोको प्रस्ताव के लिये भी लागू होते हैं । इसलिये मेरे दिल में यह शंका आती है कि यहां घुघली मिल जिससे झगड़ा है, जो किसानों का गन्ना नहीं लेती है इसमें सरकार कहां पर आती है क्योंकि इस तरह के मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस किताब में कई उदाहरण दिये हैं जहां प्रत्यक्ष सरकार से कोई संबंध नहीं आता, ऐसे विषय काम रोको प्रस्ताव के ज़रिये नहीं उठाये जा सकते। वे उदाहरण निम्न सिद्धांतों को निश्चित करते हैं।

"The matter must conform to general rules applicable to all motions for adjournment."

[विषय उन सामान्य नियमों के अवश्यमेव समनुरूप होना चाहिये जो समस्त-कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर प्रयोज्य हों।] जैसे उसमें यह भी नियम हैं--

"It must involve the administrative responsibility of the Government. Motions have been disallowed because the matter raised was one for which another authorty was immediately responsible."

"Matters must involve more than the ordinary administration of the law."

["इसमें सरकार का प्रशासनीय उत्तर दायित्व अवश्य सन्निहित होना चाहिये । प्रस्ताव इस कारण अनुज्ञापित हुए क्योंकि जो विषय उठाया गया था वह ऐसा था कि जिसके लिये अन्य प्राधिकारी तुरन्त ही उत्तरदायी था"]

["विषय में विधि के साधारण प्रशासन से अधिक सन्निहित होना चाहिये।"]

इन सिद्धांतों के अनुसार वे प्रश्न जो लोकल अथारिटी, स्टेटुटरी अथारिटी वग़ैरह-वग़ैरह से संबंधित हैं नहीं उठाये जा सकते इसलिये प्रस्तुत प्रश्न में सरकार की कहां पर जिम्मेदारी आती है यह मैं जानना चाहूंगा इसके पहले कि मैं कोई निर्णय दूं । माननीय गेंदा सिंह जी बतलायें कि इसमें कहां सरकारी जिम्मेदारी आती है । दूसरी चीज़ यह है कि जो मामूली एडमिनिस्ट्रेशन से काम हो सकता है वह सवाल काम रोको प्रस्ताव में नहीं आ सकता । यह भी बताया जाय कि साधारण क़ानूनी कार्यवाही द्वारा यानी किसी आफिसर या कलेक्टर से कह कर यह शिकायत दूर हो सकती है या नहीं ? जो शिकायतें साधारण क़ानूनी कार्यवाही द्वारा तय हो सकती हैं उनके संबंध में काम रोक कर अगर बहस होना शुरू हो जाय तो फिर रोज़ काम रोको प्रस्ताव आयेंगे और सदन का कार्य नहीं हो सकेगा । इसलिये जो ये साधारण सिद्धांत संकल्प के हैं उनके ऊपर आप प्रकाश डालें कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से कंट्रोल नहीं हो सकता और दूसरे यह कि सरकार का इसमें किस प्रकार से अंग है ? इन दोनों बातों पर आप प्रकाश डालें तब इस पर फैसला हो सकेगा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने आदेश दिया कि इस प्रश्न पर प्रकाश डालूं । इस प्रश्न पर जहां सरकार का संबंध आता है उसको मैं आपके सामने निवेदन करने की कोशिश करूंगा । केन डेवलपमेंट एक महकमा एक सरकारी या अर्ध सरकारी महकमा इस प्रदेश में काम करता है । उसी केन डेवलेपमेंट महकमे की एक्टीविटी को बढ़ाने के नाम पर वहां पर यह संकट आया हुआ है । पहले भी घुघली मिल में १३८ गांव केन डेवलपमेंट के मातहत काम कर रहे थे और यह ५३ गांव सीधे अपना गन्ना फैक्टरी को सप्लाई करते थे । इस वर्ष केन डेवलपमेंट महकमे ने ५३ गांवों में एलान किया कि वहां पर सोसाइटी बनेगी । सोसाइटी बनाने के संबंध में अगर किसानों की तरफ से चेष्टा की जाती तो ठीक था क्योंकि कोआपरेटिव बेसिस पर काम होता तो यह सर्वथा उचित था लेकिन उन काश्तकारों ने उसको उतना पसन्द नहीं किया । इसके बावजूद भी केन डेवलपमेंट महकमें ने अपनी सोसाइटीज़ को फैलाने की कोशिश की । शुगर फैक्टरी घुघली और केन डेवलपमेंट महकमें के बीच यह बात तय हो गई कि वह उन ५३ गांवों से सीधे गन्ना नहीं खरीदेगी बल्कि केन डेवलपमेंट विभाग के मारफत खरीदेगी । इसका नतीजा यह हुआ कि ईख के उत्पादन करने वाले किसान जो अपना गन्ना सीधे फैक्टरी को दिया करते थे उनको केन डेवलपमेंट महकमे ने फैक्टरी को गन्ना देने से रोका । तब उन किसानों ने कहा कि हम अपना गन्ना केन डेवलपमेंट विभाग के ज़रिये फैक्टरी को नहीं देंगे । जब यह बात पैदा हुई तो एक संघर्ष पैदा हुआ उन किसानों और केन डेवलपमेंट विभाग के बीच में । गांव के किसानों ने यह कहा कि हम अपना गन्ना सीधे जिस तरह से पहले सप्लाई करते थे उसी तरह से सीधे फैक्टरी को सप्लाई करेंगे । और केन डेवलपमेंट महकमें का यह कहना था कि तुम सीधे नहीं बल्कि केन डेवलपमेंट महकमें की सोसाइटी की मारफत सप्लाई करो । इस चीज़ को लेकर कशमकश शुरू हुई और इस समय गोरखपुर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह इस बात में लगी हुई है कि चाहे जिस तरह से हो उन किसानों का गन्ना केन डेवलपमेंट महकमे की सोसाइटी की मारफ़त गन्ना मिलमें आना चाहिये । इसी इन्तजाम के नाम पर आज वहां पर कई पी० ए० सी० की बटालियन पड़ी हुई है । वहां पर इस संबंध में कई आदमी भी पकड़े गये हैं और एक आदमी को गिरफ तार कर के पीटा गया है और पीटने के बाद उसको जेलखाने में डाल दिया गया था । यह आदमी उसी इलाके का रहने वाला है और एक पास के ही गांव की सभा का उपसभापति है । अध्यक्ष महोदय, जो आदमी वहां से आया है वह आपके सामने हाज़िर है और वह सारी बातों को बतलाने के लिये तैयार है । हमारे सामने बहुत से काग़ज़ात उन्होंने पेश किये जिनसे मालूम होता है कि वहां पर यह हालत हो रही है । जिले की जो सरकारी मशीनरी है, कलेक्टर साहब ने एक एस०डी०ओ० को वहां पर तैनात किया है जो धमकी दे रहे हैं कि किसानों को मजबूर होकर गन्ना सोसाइटी की मारफत देना पड़ेगा लेकिन इतना होने पर भी आज २४ तारीख़ से फैक्टरी बन्द

[श्री गेंदा सिंह]

पड़ी है । फैक्टरी से कहां तक सरकार का संबंध है यह सर्व विदित है । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक मिलों के लिये जो एरिया है एक रिजर्व एरिया बनाया गया है कि वह अपने गन्ने को दूसरी फैक्टरी के हाथ नहीं बेच सकते जब तक कि सरकार उसके लिये आदेश न दे । यहां पर इस प्रकार से सरकार का सीधा संबंध हो जाता है और उसमें यह भी है कि वहां के गन्ना उत्पादकों का ३० सितम्बर से पहले ऐग्रीमेंट हो जाना चाहिये कि किसके यहां उसका गन्ना जायगा यदि गन्ना दूसरे के हाथ बेचा जायगा तो उसमें सजा भी हो सकती है । ३० सिम्बर के पहले इस साल घुघली, शुगर फैक्टरी के साथ उनका ऐग्रीमेंट ईख उत्पादकों से हो चुका था कि गन्ना उसको दिया जायगा । लेकिन ३० सितम्बर के बाद सोसाइटी बनाने का फ़ैसला हुआ और फिर यह हुआ कि उन काश्तकारों के एग्रीमेंट को छोड़ कर केन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मिल से ऐग्रीमेंट किया ।

श्री अध्यक्ष---ऐग्रीमेंट का गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है । सवाल यह है कि गवर्नमेंट कहां बीच में आती है । घुघली मिल प्राइवेट बाडी है वह गन्ना ले या न ले, क्या गवर्नमेंट की कोई हिदायत भी थी कि गन्ना न लिया जाय ?

श्री गेंदा सिंह---मुझे यह अर्ज करना है कि शुगर फैक्टरीज ऐक्ट के महातहत जो रिजर्व एरिया है उसका गन्ना उस फैक्टरीज के एरिया से बाहर और कहीं नहीं बेचा जा सकता । सारा मामला यहीं अटकता है कि सरकार कहती है कि सारा गन्ना घुघली मिल को ही देना पड़ेगा । अगर उनको गन्ना बेचने की स्वतंत्रता होती तो वाक़ई सरकार कहीं नहीं आती लेकिन रिजर्व एरिया होने की वजह से सरकार जिम्मेदार होती है कि वह चाहे जिसको वह गन्ना बिचवाये ।

श्री अध्यक्ष---आप का जो एडजोर्नमेंट मोशन है उसमें यह है कि घुघली मिल वाले किसानों का गन्ना नहीं खरीद रहे हैं और आप की शिकायत सारा गन्ना घुघली मिल के द्वारा ही खरीदवाने के विरुद्ध नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---चूंकि सरकार बीच में आती है और सरकार का केन डेवलपमेंट महकमा है जिससे उनका एग्रीमेंट हुआ है उसके ज़रिये से काश्तकारों का गन्ना बेचने का अधिकार रोक लिया गया है । इसलिये सरकार बीच में आती है ।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री.....आपका जवाब मेरे पास लिखित आ चुका है, कृपया उसे स्पष्ट कर दें, और जो अभी कहा गया है इसका भी जवाब दे दें ।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस संबंध में श्री गेंदा सिंह जी को बहुत ज्यादा ग़लत इत्तला मिली है क्यों कि मैं ऐसा विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि यथार्थ इत्तला होते हुये भी वह सदन के सामने इस तरह की बातें कहेंगे जैसी कि उन्होंने अभी हमारे सामने रखीं । इस क्षेत्र में एक केन यूनियन क़ायम है और यह चर्चा पारसाल से चल रही थी । इस साल केन यूनियन क़ायम हुई और इस केन यूनियन से २७ अक्तूबर को फ़ैक्टरी वालों से एक समझौता हुआ और वह समझौता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ । वह एक सिविल कन्ट्रैक्ट था और उसका गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं था और न गवर्नमेंट को कोई अख्तियार है कि उसको रद्द कर सके । उसके बाद यह सही है कि ३० दिसम्बर को फैक्टरी खुली और कुछ लोगों ने एक आन्दोलन चलाया कि उस यूनियन के ज़रिये से गन्ना न खरीदा जाय लेकिन उसकी तह में भी एक और चीज थी । जिस जमाने में गन्ने की सीधी खरीद होती थी वहां १३० आदमी इस काम में काम करते थे जो क्षेत्र से गन्ना लाने का प्रबन्ध करते थे लेकिन जब यूनियन के ज़रिये से गन्ना लेना तय हुआ तो उनके लिये कोई काम नहीं रह गया और ऐसा समझा जाता था कि उनके लिये कोई काम नहीं रह जायगा और वह बेकार

रह जायंगे लेकिन यूनियन ने कहा कि हम उनको बेकार नहीं होने देंगे और उन्हीं लोगों में से अपने यहां रखेंगे और उनमें से १०२ आदमियों को जगह दी भी गई लेकिन कुछ लोगों ने जिन में प्रमुख हमारे शिब्बन लाल सक्सेना हैं, जिनकी कीर्ति से सारा सदन परिचित है, उन्होंने एक खत केन कमिश्नर को भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि चूंकि समझौता मेरी राय के बिना हुआ है इसलिये हमारे और यूनियन के बीच में बहुत संघर्ष चलेगा। यह सही बात है कि उनकी बिना आज्ञा के यह समझौता हुआ। यह इसका थोड़ा सा इतिहास है और उस आन्दोलन को अब तक चलाने की कोशिश हो रही है। यह जो कहा गया कि ३ हफ्ते से गन्ना नहीं लिया जा रहा है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी को ठीक सूचना नहीं है। पहले तो अपनी स्पीच में बार-बार उन्होंने केन डेवेलपमेंट डिपार्डमेंट कहा। मैं ख्याल करता हूं कि जिसे अंग्रेजी में स्लिप आफ टंग कहते हैं उसकी वजह से जहां वह कहना चाहते थे केन यूनियन वहां कह गये थे केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सारी बात केन यूनियन की है। लेकिन जब आन्दोलन शुरू हुआ तो केन डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी जरूर हो गई कि कहीं उस क्षेत्र में किसी का गन्ना बिना बिके न रह जाय। इसलिये केन कमिश्नर ने यह आश्वासन दिया कि चाहे कोई यूनियन का मेम्बर हो या न हो उसका गन्ना फैक्ट्री को लेना होगा। गवर्नमेंट की जहां तक थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आती है उसे कहां तक पूरा किया गया उसके बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है। उसमें प्रत्येक गांव का नाम, एकरेज, ग्रोअर्स, कितने आदमी मेम्बर हैं ये सब बातें दी हुई हैं। मैं उन सबको न बताकर केवल उनका टोटल आपके सामने बताये देता हूं। कुल एकरेज है ४,४१८ और ग्रोअर्स है ५,१८६, मेम्बर हुये हैं ३,०६५ और जो पर्चियां दी गई गन्ना खरीदने की वे ३,२४६ मेम्बरों को दी गईं और ४,५१७ नान-मेम्बरों को दी गईं। जो मेम्बर हैं उन्होंने १,६६१ गाड़ी गन्ना मिल में पहुंचाया और जो नान-मेम्बर्स हैं उन्होंने २,३८३ गाड़ी गन्ना पहुंचाया। बराबर ३ तारीख से नान-मेम्बर्स की गाड़ियां ली जा रही हैं। मेम्बरों की अपेक्षा नानमेम्बरों की गाड़ियां ज्यादा पहुंचीं और खरीदी गईं। इसलिये यह कहना कि किसी के साथ जबरदस्ती हो रही है, यह ठीक नहीं है।

अगर किसी हद तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है तो वह इस हद तक कि मिल का जो रिज़र्व्ड एरिया है उसके अन्दर के जो काश्तकार मेम्बर नहीं हैं उनका गन्ना भी न रह जाय। यही आश्वासन केन कमिश्नर ने दिया और मैं आज भी यही आश्वासन देता हूं कि कोई मेम्बर हो या न हो उसका गन्ना यदि वह रिज़र्व्ड एरिया में है तो जरूर लिया जायगा। हां, यह एक बात जरूर हो गई है कि वहां ८०० के लगभग गाड़ियां खड़ी हैं। शिब्बनलाल जी की पलटन वहां लेटी हुई है और किसी को जाने नहीं देती है। इस बात की भी चर्चा की गई कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को वहां पिटवा दिया। अफसोस है कि गेंदा सिंह जी ने बगैर किसी सूचना के यह बात कही। मामला इस प्रकार है। दो ग्रोअर्स खैली प्रसाद और दुर्गाप्रसाद में आपस में मिल के अन्दर फौजदारी हुई। मारपीट के कारण पुलिस को वहां आना पड़ा। उन्होंने दोनों को गिरफ़्तार किया। दुर्गाप्रसाद स्टुडेंट है। उसका कोई इम्तहान होने वाला था। उसके घरवालों ने दरख्वास्त दी कि इम्तहान का मामला है इसलिये उसे छोड़ दिया जाय दूसरा आदमी भी जमानत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन उन दोनों की रिपोर्ट हो चुकी है और कोर्ट में मामला जा चुका है। उनका केस सबजुडिस है। मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पुलिस को इसीलिये बीच में पड़ना पड़ा कि कहीं ज्यादा फौजदारी न बढ़ जाय। किसका कसूर है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता यह कहना कि पुलिस ने किसी को पिटवाया यह ठीक नहीं है। ये गिरफ्तारियां हुईं और कुछ लोगों ने ग्रोअर्स में से यह कहा कि इनको छोड़ देने पर ही हम केन सप्लाई करेंगे। यह इस बात की कोई वजह नहीं मालूम होती कि फौजदारी का मुकद्दमा उठा लिया जाय। कम से कम अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सोची गई लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बीच के लोगों ने गड़बड़ न की तो कोई कारण नहीं है कि मिल का काम जल्द चालू न हो जाय।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह तो जो गेंदा सिंह जी ने कहा मैंने उसका जिक्र किया। मैंने जो नोट भेजा था उसमें मैंने दो चीजों का जिक्र किया था एक तो इस सवाल का कि किस तरह से उसे मैटर आफ इम्पार्टेंस नहीं कहा जा सकता। जब तक हमारे यहां कैपीटलिस्ट सिस्टम ज़ारी है तब तक हमारे यहां कारखाने भी होंगे, मजदूर भी होंगे और कारखानों को माल सप्लाई करने वाले भी होंगे और उनमें से किसी न किसी में कभी न कभी संघर्ष भी होता रहेगा और उसको रोकने के प्रयत्न भी होते ही रहेंगे। अब यह कहा जाना कि यह चीज फैल जायगी तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि उसके फैसले का डर नहीं है। और कारखानों में यूनियन हैं और उनके द्वारा मिलों को सप्लाई हो रही है। इसलिये और स्थानों में उसके फैलने का डर नहीं है।

दूसरी चीज के लिये अभिनव शब्द आया है उसके लिये अंग्रेजी शब्द "रीसेंट" है। २७ अक्तूबर को यूनियन और मिलवालों में समझौता हुआ और ३ दिसम्बर से मिल की ओर से गन्ना लेना बन्द है। अगर इसके विपरीत माननीय सदस्यों को कोई इत्तिला है तो वह गलत है। और ३ दिसम्बर से यह असेम्बली बैठी हुई है और २४ दिसम्बर तक उसका कोई जिक्र नहीं किया गया और न कोई उसका महत्व ही समझा गया। मालूम होता है कि यह चीज बहुत सोच विचार के बाद रखी गयी होगी। इसलिये इसकी अभिनवता खत्म हो जाती है। अतः मैं इस काम रोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) अब इसके ऊपर कोई भाषण नहीं होगा। अगर आपको कोई लीगल बात कहना हो तो आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं फैक्टरी ऐक्ट की धारा २८ को पढ़ना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है—

"No prosecution shall be instituted under this Act except upon complaint made by or under an authority from the District Magistrate."

अध्यक्ष—इसमें प्रासीक्यूशन का सवाल तो नहीं है।

श्री राजनारायण—अगर वह केन नहीं लेते हैं और काश्तकार उसको बेचने नहीं पाते हैं तो वे मुकद्दमा भी दायर नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—मैं इस बहस की इजाजत नहीं दे सकता। अगर सदन इस मोशन को पेश करने की इजाजत दे देता तब तो यह प्रश्न उठ सकता था लेकिन जब यह अनुमति के लिये ही पेश है तब यह सवाल नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह—मैं एक बात आपकी सेवा में कह देना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि केन डेवलपमेंट और सरकार से कोई संबंध नहीं है। मैं उन्हें एक स्मरण दिलाना चाहता हूं कि केन डेवलपमेंट के बाय लाज बने हुये हैं जिसका आखिरी क्लाज यह है कि बोर्ड के डायरेक्टर आदि कोई भी फैसला क्यों न करें लेकिन अगर उस फैसले से केन कमिश्नर संतुष्ट नहीं हैं तो वह सारे उन फैसलों को सेट असाइड कर देगा।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन डेवलपमेंट बोर्ड का कोई फैसला केन कमिश्नर ने रद्द कर दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है यह प्रश्न असंगत सा है।

जैसा मैंने पहले कहा कि अगर केवल महत्व का सवाल इसमें होता तो मैं सदन के ऊपर ही छोड़ देता। साधारणतः यही प्रथा रही है कि अगर केवल महत्व का प्रश्न होता है तो अध्यक्ष सदन के ऊपर उसको छोड़ देता है। लेकिन एक तो महत्व के बारे में शंका है दूसरे इसमें दो और प्रश्न उठते हैं एक तो यह कि क्या इस मामले से सरकार के

इन्तजाम का संबंध है। घुघली मिल में जो गन्ना लेना बन्द है उससे सरकार का क्या संबंध है और क्या इसमें यह प्रश्न भी उठता है कि सरकार ने इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। दूसरी बात यह कि अगर जिम्मेदारी भी है तो सरकार की जिम्मेदारी से वह पूरा मामला साधारण ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से खतम हो सकता है या नहीं यानी क्या इस मामले में इस सदन में सरकारी नीति के संबंध में चरचा होकर ही उसका स्पष्टीकरण और हल होना संभव है? या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा यह बहुत से झगड़े खतम हो सकते हैं? अगर केवल ऐसा ही मामला है जो अधिकारियों द्वारा हल हो सकता है तो सदन में काम रोको प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता है। उसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा। तो जहां तक माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, उनका यह कहना है कि हम काम रोको प्रस्ताव इसलिये लाना चाहते हैं क्योंकि वहां के काश्तकारों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी वे सरकार के ऊपर मढ़ते हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात का स्पष्ट उत्तर दिया है कि यद्यपि उनको उस मुहायदे के बारे में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है जो धुघली मिल वालों और वहां के काश्तकारों के बीच में हुआ है या सहकारी संस्था के साथ हुआ है कि मिल उसके द्वारा उनका गन्ना खरीदेगी तथापि मुआहिदे के बाजूद भी केन डेवलपमेंट कमिश्नर का जहां तक ताल्लुक है उसने यह हुक्म दिया है और स्पष्ट तरीके से कहा है कि हर एक काश्तकार का गन्ना चाहे वह यूनियन का मेम्बर हो या न हो घुघली मिल को खरीदना पड़ेगा। जब काश्तकार के हित में उसने यह फैसला दिया तो फिर यदि सरकार की तरफ से कोई अवैधानिक बात हो, और वह उसमें इनवाल्वड हो तभी इस प्रकार का काम रोको प्रस्ताव जिसका उद्देश्य गन्ना खरीदने से है, सदन में उपस्थित किया जा सकता है।

अब प्रश्न केवल यह है कि अगर कोई मिल हुक्मउदूली करती है, यानी बावजूद केन डेवलपमेंट कमिश्नर के हुक्म के भी मिल यदि गन्ना नहीं खरीदती है या अपनी मिल नहीं चलाती है या किसी वक्त किसी का गन्ना नहीं खरीदती है तो क्या यह शिकायत लोकल ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सुलझाई जा सकती है? इस मामले में सरकार और माननीय गेंदा सिंह जी के बीच में नीति के संबंध में कोई अन्तर नहीं आता और न उसके विषय में कोई झगड़ा है। जो यह प्रश्न उठाया गया है और इतिहास बतलाया गया है कि किस तरह से यह गन्ना रोका जाता है, श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने उसके लिये झगड़ा किया, एक यूनियन का दूसरी यूनियन से झगड़ा है, तो यह बातें काम रोको प्रस्ताव के संबंध में ऐसी अवस्था में इररेलिवेंट चीज हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस अवस्था में विचारणीय नहीं हो सकता, क्योंकि सदन ऐसे यूनियन के झगड़ों पर विचार करने के लिये नहीं बैठता। हर एक यूनियन इस तरह की कोशिश करती है और चूंकि एक यूनियन नाराज हो गयी, उसकी नहीं चली, इसलिये वह यूनियन कोई अपना झगड़ा कामरोको प्रस्ताव की आड़ में उठा कर उसे महत्व दे दे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। इसलिये जहां तक ज्यादा समय लेने की बात है मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि यह मामला अब इस तरीके से स्पष्टीकरण के बाद केवल यह रह जाता है कि केन डेवलपमेंट कमिश्नर के हुक्म के बाद हर एक का गन्ना खरीदा जाना चाहिये और जो गन्ना खरीद न करने से बाकी रह जाता है उसका मामला मामूली ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, इन्तजामिया तरीके से हल हो सकता है। इसलिये जहां तक इस प्रश्न को काम रोको प्रस्ताव का प्रश्न बनाने की बात है इसके लिये इस सदन से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं दिखाई देती और मैं अनुमति के लिये पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री जी, इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम है उसकी सदन को सूचना देंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, गवर्नमेंट की राय तो यह है कि आज की बैठक होने के बाद यह असेम्बली फिर ५ जनवरी

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

को मिले। इस एजेंडे का जो काम बाकी रह जाय वह उस दिन के बाद जब तक खतम हो तब तक बैठें।

श्री अध्यक्ष---जो सिलसिला इसमें दिया हुआ है। उसी सिलसिले से काम लिया जायगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, जरूर।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं सरकार की नीति, आपके जरिये यह जानना चाहता हूं। ३१ और १ली के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई थी जितने विधेयक यहां प्रस्तुत किये गये हैं उनको देखते हुये मुझे यह संकेत दिया गया था कि २९ और ३० दो दिन सदन बैठेगा, ३१ और १ ली जनवरी को छुट्टी होगी। दो को सदन फिर बैठेगा। तो मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि २ तारीख को सदन की बैठक क्यों नहीं होने जा रही है, जरा इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये क्योंकि अगर ५ दिन के बाद सदन बैठता है तो पांच दिन कन्टीनुयेशन (लगातार) में जितने सम्मानित सदस्य हैं अपने स्थान को चले जायेंगे और उन सब को ३ फर्स्ट क्लास टिकट का किराया देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूं कि बहुत काफी नुक्सान होगा पब्लिक ट्रेजरी का और अनावश्यक ढंग से बहुत सा पैसा खर्च हो जायगा। तो २ तारीख को सदन अवश्य बैठे जिस तरह से मुख्य मंत्री जी से बातचीत के समय हमने अपना मत स्पष्ट कर दिया था कि २ तारीख को सदन बैठे क्योंकि ५ दिन की लगातार छुट्टी कर देने से बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें बुद्धिमत्ता से काम ले और सदन को २ तारीख को बैठने दे ताकि जो बड़े बड़े विधेयक हैं वह भी आसानी से पास हो जायं और ज्यादा परेशानी उनके पास होने में न पैदा हो, और राजकोष का पैसा भी व्यर्थ न जाय।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--सरकार ने तो सदन के दूसरी तारीख को बैठने में कोई रुकावट नहीं की! सरकार ने तो अपनी राय अर्ज की। सरकार की राय तो यह है और वह इसलिये है कि कल छुट्टी रहेगी, परसों छुट्टी रहेगी, तीसरी तारीख को छुट्टी रहेगी और चौथी तारीख को छुट्टी रहेगी। तो बीच में सिर्फ एक दिन आता था। अब इसमें यह जरूरी नहीं समझा गया कि एक दिन के लिये हम बैठें। इसके अलावा मुझे यह भी मालूम है कि इधर के और उधर के सब मेम्बरों की राय है (सरकारी बेंचेज की तरफ से हां हां की आवाजें, तथा विरोधी बेंचेज की तरफ से नहीं नहीं की आवाजें) तो गवर्नमेंट ने तो सदन की इच्छा के सामने सर झुकाया है जो राय गालिबन इस हाउस की है उसकी तामील करने के लिये ही मैंने यह अर्ज कर दिया था। अगर हाउस को यह मंजूर नहीं है तो गवर्नमेंट को उस पर इसरार नहीं है। हाउस जो चाहे सो तय करे।

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

*खंड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब हम आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी करेंगे। श्री नारायणदत्त तिवारी कल भाषण कर रहे थे वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं कल निवेदन कर रहा था कि इस समय मुझे एक प्रकार की अन्यमनस्कता नजर आती है.....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य अपने स्थानों को छोड़ें तो शांतिपूर्वक, तरीके से बाहर जांय। बातें करते हुये न जायं।

---

†२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

*२९ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं कल निवेदन कर रहा था कि इस प्रान्त में तो मेरे विचार में एक ही तरह की अटोनामी है। न तो कोई मैनेजीरियल अटोनामी है और न कोई ऐकेडेमिक अटोनामी ही दृष्टिगोचर होती है केवल मिनिस्टीरियल अटोनामी हमारे देखने में आती है। जहां तक खंड २ का सवाल है इस पर भी अपना विचार यह है कि हम आगरा यूनिवर्सिटी के कांस्टीट्यूशन पर हमला कर रहे हैं जिसको हमने खुद बनाया है। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ९ की उपधारा २, जो इस सदन द्वारा बनाया गया है, के अनुसार अगर आगरा यूनिवर्सिटी की सीनेट अपने वाइस चांसलर का चुनाव करती है तो वह कोई अवैधानिक कार्य नहीं करती, कोई आदर्श के खिलाफ कार्य नहीं करती है बल्कि उसी व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है जिसको इसी हाउस ने बनाया है। इसी के साथ साथ उपधारा २ में यह भी है कि सीनेट तीन नामों का चुनाव करेगी, और एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन तीन नामों में से एक नाम तय करेगी। लेकिन यहां पर सरकार ने जो तीन नामों की बात थी उसको भी ध्यान में नहीं रखा। जहां तक सवाल यह है कि राधाकृष्णन कमीशन की राय यह थी कि ऐकेडेमिक अटोनामी अलग चीज और मैनेजीरियल अटोनामी अलग चीज है। श्रीमन् राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद भी मुझे कोई ऐसा विचार पैदा नहीं हुआ कि उसमें यह कहीं है और इसीलिये मैं कहता हूं कि खंड २ में उपधारा ३ में जो सप्लीमेंट की जा रही है वह अनुचित है। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था—

"The respect with which the Universities of Great Britain are held is due to the freedom from governmental interference which they enjoy constitutionally and actually."

श्री अध्यक्ष—कुछ माननीय सदस्य सदन में खड़े हुये हैं। यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि वह माननीय सस्दय जो खड़े हुये हैं अपने स्थान पर बैठ जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो राधाकृष्णन कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो कांस्टीट्युशनल आटोनामी है उसमें भी कोई दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिये मैं समझता हूं कि हम इस विधेयक के खंड २ के द्वारा आगरा यूनिर्सिटी की आटोनामी में दखल देने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं तीन महत्वपूर्ण प्रश्न इस खंड का विरोध करते हुये आप के द्वारा इस सदन के सामने और माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा।

इन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों में सब से पहला प्रश्न यह है कि जो उपधारा २ जिसको खंड २ के द्वारा संशोधित कर रहे हैं उसमें इस तरह से लिखा हुआ है—

"Shall in the case of the Vice-Chancellor elected for the term beginning with the twelth day of December 1949, have effect as if for the words 'shall be three years', the words 'shall continue until the 31st day of December 1953', had been substituted."

तो यह खंड २ जो है एक टर्म के लिये है और आगे चल कर खंड चार में कहा गया है—

"For the settlement of doubt, it is hereby declared that unless otherwise provided, sub-section (2) of section 9 of the Agra University Act, 1926 shall upon this Act ceasing have effect as if it had never been supplemented or modified either by this Act or the said Ordinance."

तो इसके अनुसार यह जो खंड है यह जो धारा है केवल एक टर्म के लिये इसको संशोधित किया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि एक टर्म के संशोधन को करने को सप्लीमेन्ट करना नहीं है। इस ऐक्ट के प्रिऐम्बिल में कहा गया है—

"Whereas it is expedient to supplement the Agra University Act, 1926···"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, मैं इस खंड २ को यह नहीं मानता कि यह किसी प्रकार आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को सप्लीमेंट करता है । यह खंड २ केवल आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा २ को संशोधित करता है और वह भी एक टर्म के लिये । सप्लीमेंट नहीं करता है । इसलिये यह खंड २ इस ऐक्ट के प्रिऐम्बिल के खिलाफ़ जाता है । इसके अलावा, श्रीमन्, विधान की धाराओं के अनुसार भी सप्लीमेंट करने का अधिकार हमें इस खंड के द्वारा नहीं है । अगर हम मान लें इस खंड २ के जरिये से सप्लीमेंट करने का अधिकार आता है, मैं तो नहीं मानता लेकिन अगर किसी प्रकार हम मान लें कि सप्लीमेंट होता है तो सप्लीमेंट करने का अधिकार भी खंड २ के द्वारा नहीं है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान विधान की धारा ३७२ की ओर दिलाना चाहता हूं—

" shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature. . . ."

सप्लीमेंटेड वर्ड नहीं है। विधान में जहां लेजिस्लेशन का शब्द इस्तेमाल किया गया है कहीं भी, अगर हम मान लें और जैसी कि आपने व्यवस्था की कि हमारे सदन को पूर्ण अधिकार है कि अमेंड कर सके, उसको संशोधित करने का अधिकार है । मगर सप्लीमेंट करने का अधिकार माननीय मंत्री जी को नहीं है। तो दूसरी आपत्ति जो मेरी इस संबंध में है वह यह है कि हम खंड २ के द्वारा सप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।

तीसरी और सब से महत्व की बात मैं यह रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भी शुरू में यह कहा था कि यह जो बिल है यह आर्डिनेंस के ऊपर आधारित है यानी खंड २ भी इसी आर्डिनेंस की धारा २ के ऊपर आधारित है। तो मैं आर्डिनेंस की धारा २ पढ़ देना चाहता हूं—

" Notwithstanding anything contained in the Agra University Act, 1926, the term of office of the present Vice-Chancellor of the Agra University shall extend till the end of December, 1953 or till the appointment of a Vice-Chancellor under the provisions of any Act amending the Agra University Act, 1926, whichever is early. "

तो माननीय मंत्री जी यह मानेंगे कि आर्डिनेंस की धारा २ इस प्रकार है । कल हमने आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से जो कागजात मांगे थे उसमें माननीय मंत्री जी ने लिखा था "प्रस्तुत विधेयक इसके पूर्व जारी किये गये आर्डिनेंस पर अवलम्बित है इसलिये किसी भी संबंधित कागजात का प्रश्न नहीं उठता।" तो इसलिये माननीय मंत्री जी ने माना कि पूर्णरूपेण यह विधेयक आर्डिनेंस पर निर्भर है। अब अगर हम इस विधेयक के खंड २ को पढ़ेंगे तो आर्डिनेंस का जो दूसरा क्लाज है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। आर्डिनेंस में लिखा हुआ था कि—

" Or till the appointment of a Vice-Chancellor under the provisions of any Act amending the Agra University Act, 1926, whichever is early. "

यानी अगर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधन करने वाला ऐक्ट यहां पास हो जाय और उसके अनुसार कोई वाइस चांसलर अप्वाइंट हो, तो जो भी पहले हो उतने समय के लिये यह विधेयक माना जाय। ऐसी कोई धारा इस खंड २ में नहीं है। तो इस प्रकार से विधान की धारा २१३ के अनुसार भी यह अवैध है और आर्डिनेंस की उपधारा २ का तो यह आधा हिस्सा भी नहीं है। एक हिस्से में उसके यह जिक्र किया गया है कि ३१ दिसम्बर तक टर्म बढ़ाई जायगी लेकिन इसके बाद वाला हिस्सा—

" Or till the appointment of a Vice-Chancellor under the provisions of any Act amending the Agra University Act, 1926. . . . "

यह नहीं है । इसलिये खंड २ अनावश्यक है और अवैधानिक है। माननीय मंत्री जी के शब्दों के विपरीत है, आर्डिनेंस की धारा २ के विपरीत है, उसका आधा भी नहीं है। इसलिये मैं आप की आज्ञा से इस खंड २ का पूर्णतया विरोध करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय

मंत्री जी अब भी अपनी ग़लती को स्वीकार कर लेंगे और यह मान लेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस के ऊपर भी यह विधेयक निर्भर नहीं है और विधान की धारा २१३ के विपरीत है। इसलिये इसके बजाय कोई दूसरा नया खंड लाने की कृपा करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने उपस्थित है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन नहीं है। यह खण्ड का विरोध है।

श्री हरगोविन्द सिंह—उनका संशोधन यह है कि खण्ड २ निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उनको अधिकार ऐसे संशोधन को पेश करने का नहीं है और न विवाद के अन्त में उनको जवाब देने का अधिकार है। जवाब तो आप दे रहे हैं। खण्ड २ भवन के सामने आपने प्रस्तुत किया है उसका विरोध उन्होंने किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—जैसा कि मैंने कल कहा यही खंड २ बिल की जान है, उसको निकाला नहीं जा सकता एक बात दूसरी बात यह कि जहां तक यह कहा गया कि यह सप्लीमेंटरी बिल है, मैं समझता हूं कि भवन के सामने यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जब कि भवन ने स्वीकार कर लिया कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि आर्डिनेंस की धारा में और इस विधेयक की धारा में जो अन्तर है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी का क्या ख़याल है

श्री अध्यक्ष—जो उत्तर उन्होंने देना मुनासिब समझा वह दिया। मैं किसी पर जब्र नहीं कर सकता।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ३ और ४

३—उत्तर प्रदेश आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ एतद्द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है। — अध्यादेश का निरसन

४—संदेह निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जब तक इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो वह इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी अनुपूरित अथवा परिष्कृत नहीं की गई थी। — संदेह निवारण।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

आगरा यूनिवर्सिटी अनुपूरक) विधेयक, १९५२
आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुपूरण के लिये

विधेयक

१२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चांसलर के कार्यालय को बढ़ा कर आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ का अनुपूरण करना उचित और आवश्यक है; — प्रस्तावना यू० पी० अधिनियम ८, १९२६।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और समाप्ति।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) यह ३० अक्तूबर १९५२ से प्रचलित माना जावेगा।

(३) यह ३१ दिसम्बर, १९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और य० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उस समय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील्ड) किया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

खंड १ के अन्त में नया उपखंड (४) इस प्रकार बढ़ा दिया जाय
"(४) यह अधिनियम समस्त उत्तर प्रदेश में तुरन्त लागू होगा।"

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है ? क्या यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो विधेयक है वह और यूनिवर्सिटियों पर भी लागू कर दिया जाय ? आप कृपया इसको स्पष्ट कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—और यूनिवर्सिटियों का अर्थ नहीं है। श्रीमन्, इस अधिनियम में जैसा कि सभी अधिनियमों में होता है इसका प्रसार कहां होगा यह स्पष्ट नहीं है इसलिये मैं यह चाहता था कि इस उपखंड के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाय कि इसका प्रसार कहां होगा। इसमें मैंने लिखा है कि समस्त उत्तर प्रदेश में तुरंत लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कालिजेज हैं जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं, उनके लिये लागू होगा। "उत्तर प्रदेश" शब्द मैंने इसलिये इस्तेमाल किया है कि चूंकि इस माननीय सदन को केवल उत्तर प्रदेश के ही अन्दर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। हम इस प्रश्न पर विचार ही नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लिये भी क़ानून बना सकें और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बिल में यह आवश्यक होता है कि यह बतलाया जाय कि कहां इसका प्रसार होगा जैसे जौनसार बावर अधिनियम का था कि इसका प्रसार जौनसार बावर क्षेत्र में होगा, या कसिवार राजा परगने के अधिनियम का था कि यह कसिवार राजा परगने में लागू होगा। हमेशा हर बिल में कहां उसका प्रसार होगा यह होना आवश्यक है लेकिन इस विधेयक में हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बतलायी....

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके अर्थ यह हैं कि जो इस प्रान्त के बाहर के कालेज हैं उन पर यह लागू नहीं होगा और यह इसी प्रान्त के कालिजेज में लागू होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—अप्रत्यक्ष रूप में मतलब आ जाय तो समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मतलब तो यही प्रतीत होता है जो शब्द आप रखेंगे उनका कुछ तो मतलब होना चाहिये। मैं ऐसे संशोधन की इजाजत नहीं दे सकता हूं कि जिसका एक व्यर्थ सा अर्थ हो, कोई मतलब ही न निकले और इस सदन का समय लिया जाय। ऐसा अमेंडमेंट मैं पेश करने नहीं दूंगा। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपना मतलब स्पष्ट करें कि क्या उत्तर प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियों से संशोधन का संबंध है ? कानून बन रहा है वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू हो तो क्या इस प्रान्त की यूनिवर्सिटियों से मतलब है। आप कहते हैं कि यहां के जो कालिजेज हैं उन्हीं पर यह लागू हो। यानी बाहर के कालिजेज पर लागू न

हो तो ऐसी चीज स्पष्टतया मालूम हो जाय तो मैं निर्णय दे दूं कि आप संशोधन पेश कर सकते हैं या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् वैसें तो यह आपकी आज्ञा के ऊपर निर्भर है कि मैं पेश करूं या न करूं लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि यह बात तो स्पष्ट है कि हम कोई भी अधिनियम केवल अपने ही प्रदेश के लिये बना सकते हैं, अपने प्रदेश के बाहर के लिये नहीं बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर यह मतलब है तो मैं आप को इसकी इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि उद्देश्य यही मालूम पड़ता है जो मेरे पूर्व निर्णय के विरुद्ध पड़ता है। मैंने तो यह निर्णय दे दिया है कि जो अधिनियम यहां बनेगा उसका असर दूसरे प्रान्तों पर पड़ता हो तो पड़ सकता है और ऐसा अधिनियम बनाने का अधिकार इस सदन को है और सदन ने भी यह तय किया है। इसके विरुद्ध उद्देश्य लेकर आपने एक ऐसा संशोधन दिया जिसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता है। "यह अधिनियम समस्त उत्तर प्रदेश में तुरन्त लागू होगा" इसका क्या अर्थ होता है। यह तो लागू होना है और आगरा यूनिवर्सिटी अधिनियम के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। केवल उत्तर प्रदेश में कैसे लागू होगा यह समझ में बात आती नहीं है। अब मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं और दूसरा भी संशोधन इसी प्रकार का है। यह तो दोनों अनियमित से हैं मैं उन्हें पेश करने की अनुमति नहीं देता और मूल खंडों पर मैं राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

यह बिल जो मैं हाउस के सामने पेश कर रहा हूं इसके जरिये से बाज बाज बातें जो ऐसी इस ऐक्ट में थीं जिनकी वजह से इसके अमलदरामद में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही थीं उनकी सफ़ाई करने की कोशिश की गयी है और इससे ज्यादा कोई इस बिल की ग़रज नहीं है। पहली चीज जिसके मुताल्लिक़ दिक्कत महसूस हुई वह दफ़ा ७ इस ऐक्ट की है जिसके जरिये से सुन्नी वक्फ़ बोर्ड बनता है। इस दफा में जो कि पुराने मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६, में था, उसकी तरमीम की गयी थी सन् १९५२ में और तरमीम के जरिये दफ़ा ७ में दो दफ़ात बढ़ा दी गयी थीं "A" यह थी कि—

"Two members to be elected from amongst themselves by Sunni Muslim members of the Advocates Association, Allahabad, Bar Library and Bar Association, Allahabad, and Oudh Bar Association, Lucknow, in the manner prescribed :"

*९ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली ज़हीर]

उसके बाद 'बी' यह रखी गयी थी---

"One member to be elected from amongst themselves in the manner prescribed, by members of the working committee of the provincial Jamiat-Ulema, Uttar Pradesh."

और २ (बी) यह थी---

"one member , who shall be a Sunni Muslim possessing special knowledge in Accountancy to be co-opted by the Bord."

इसमें यह लफ्ज आ गया था "बोर्ड" का और उसके बाद जो दफ़ा थी उसमें यह लिखा था कि–

"Three members to be co-opted by the adove nine members from persons whom they regard as ulemas and two members from amongst the mutawallis."

तो दिक्कत यह पड़ गयी थी कि पहले इसमें महज ८ मेम्बर होते थे और एकाउंटेंसी के मेम्बर का इंतखाब करने के लिये कुल बोर्ड की जरूरत होती थी, तो इसकी वजह से एक जहमत महसूस हो रही थी । लिहाजा ग़रज सिर्फ इतनी थी कि जो आठ मेम्बर थे वह मिल करके नवां मेम्बर जो स्पेशल नालेज एकाउंटेंसी की रखता हो उसको चुनें । इसी बात की तशरीह इस बिल में इस तरमीम के जरिये कर दी गयी है।

"The members elected under clauses 1 and 2 (*a*) above....."

यह अल्फाज बजाय लफ्ज "बोर्ड" के रख दिये जायंगे ।

उसके बाद एक छोटी सी तरमीम दफा ८ में भी की गयी है । दफ़ा ८ शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के मुताल्लिक़ है । उसके अल्फाज यह हैं---

"The Shia Central Board shall consist of five members to be elected, in the manner prescribed, by the Shia members of the Local Legislature"

इसी तरह के अल्फाज दफ़ा ७ में है ---

"Five members to be elected in the manner prescribed by Sunni Members of the local Legislature."

इन दोनों में सवाल यह उठा अब की दफा कि आया जो मेम्बर्स मुन्तखिब हो के आयेंगे वह मेम्बर्स खुद अपने को मुन्तखिब कर सकते हैं या किसी बाहर वाले को भी मुन्तखिब कर सकते हैं। इसके ऊपर ग़ौर किया गया। लीगल ओपिनियन ली गयी और लीगल ओपिनियन यही क़रार पायी कि इस बोर्ड केशिया एलेक्टेड मेम्बरान और सुन्नी एलेक्टेडमेम्बरान दोनों को यह अख्तियार है कि सिर्फ अपने में से नहीं, अगर वह चाहें तो बाहर के लोगों को भी मुन्तखिब कर सकते हैं। चुनांचे इसी के ऊपर अमल किया गया । मगर इस मामले पर कुछ लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि इसके यह मानें सही नहीं हैं बल्कि वह सिर्फ उन्हीं को , जो अपने में से हों यानी जो मेम्बर आफ दि लेजिस्लेचर हों, मुन्तखिब कर सकते हैं। तो इस बात की तशरीह करने के लिये क्लाज ८ (ए) बढ़ाया गया जिसके अल्फाज यह हैं:

"Nothing in sections 7 or 8 or in section 12 omitted by section 5 of the U. P. Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1952, shall be deemed ever to have required that the members to be elected by the members of the State Legislature shall be from amongst the members for the time being of any House of the said Legislature."

यह इसके अल्फाज हैं। इसमें इस बात को साफ़ कर दिया गया है कि सिर्फ़ अपनों को ही नहीं बल्कि जो लेजिस्लेचर के मेम्बर नहीं हैं उनको भी वह मुन्तखिब कर सकते हैं। मैं यह भी अर्ज

कर दूं कि दफ़ा ७ में जहां पर मंशा इसके खिलाफ है वहां पर यह अल्फ़ाल साफ़ तौर से रख दिये गये थे—

"Two members to be elected from amongst themselves by Sunni members of the Advocates Association."

इस तरह से जमायतुलउल्मा को जहां तक हक़ दिया गया था वहां पर यह लिख दिया गया कि—

"One member to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the members of the working committee."

लेकिन यह समझा गया कि लेजिस्लेचर के मेम्बरान के लिये यह ज़रूरी नहीं है कि वह अपनों में से ही मुन्तखिब करें बल्कि वह बाहर के मेम्बर भी मुन्तखिब कर सकते हैं ।

दफ़ा १० की ज़रूरत यों हुई कि दफ़ा १० के ज़रिये जो पुराना ऐक्ट था उसके मुताबिक़ जो मेम्बरों की मियाद थी वह अलग अलग मेम्बरों की हैसियत से मियाद मुकर्रर थी इसके अल्फाज़ ये थे:—

"The members of the Central Board shall hold office for five years :
Provided that an elected or co-opted member shall, notwithstanding the expiration of his term of office, continue to hold office untilthe vacancy caused by the expiration of the said term has been filed :"

इसके मुतल्लिक दिक्क़त यह थी कि बाज मेम्बरों का इन्तखाब चंद महीने बाद होता था और बाज़ मेम्बरों का इन्तखाब चन्द महीने पहले होता था । तो बोर्ड की कुछ मियाद बहैसियत बोर्ड के मुक़र्रर नहीं थी । इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि कुल मेम्बर चाहे जब मुन्तखिब हों (और चूंकि मुस्तलिफ़ जमातों से ये चुने जाते थे) इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि उनकी मियाद बहैसियत मेम्बर के पांच वर्ष रखने के बजाय कुल बोर्ड की मियाद रख दी जाय । चुनान्चे उसमें यह लिख दिया गया:—

"Every Central Board shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and on the expiration of the said period of five years, all the members then constituting the Board shall vacate their offices."

इसमें एक प्राविजों भी बढ़ा दिया गया है कि बाज़ सूरतों में अगर स्टेट गवर्नमेंट मुनासिब समझें तो एक हद तक इस मियाद को भी बढ़ा सकती है ।

इसके बाद दफ़ा १२ है । यह में याद दिलाऊं मेम्बरान को कि चूंकि यह ऐक्ट पास हुआ था सन् १९३६ में उस वक्त सूरत यह थी कि सन् १९३५ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट पास हो चुका था जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर उत्तर प्रदेश के लिये मंजूर हो चुका था । लेकिन उस वक्त जो कौंसिल उस बिल के ऊपर गौर कर रही थी उस कौंसिल का एक ही हाउस था चूंकि आइन्दा चल कर दो हाउसेज होने वाले थे इसलिये इसमें लिखा गया :—

"After the formation of legislative bodies under the Government of India Act, 1935, the five members of the local legislature referred to in sections 7 and 8 shall be elected as follows :
(*i*) four members by the Sunni or Shia members, as the case may be, of the provincial Legislative Assembly,
(*ii*) one member by the Sunni or shia members, as the case may be, of the provincial Legislative Council."

उस वक्त तकसीम इस तरह से कर दी गई कि चार लोअर हाउस से और एक अपर हाउस से मुन्तखिब किये जायं । अब इसकी ज़रूरत नहीं

[श्री सैयद अली जहीर]

महसूस होती। अब यह मुनासिब समझा गया कि इसको ओमिट कर दिया जाय और कुल सुन्नी और शिया मेम्बर्स अलग२ मिल कर दोनो हाउसेज के पाँच आदमी मुन्तखिब कर लें चाहे वे पांचों हाउस के हों या बाहर के हों, जैसा वे चाहें वैसा करें। इसलिये इस अमेंडमेंट को लाया गया। और मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर एतराज किया जा सके सिर्फ कानून तशरीह की कर दी गई है।

इसके बाद दफा ५४ है। इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि जमींदारी एबोलीशन से पहले जो एक कंट्रीब्यूशन का रास्ता था वह अब बन्द हो गया चूंकि जमींदारी बाकी नहीं रह गयी। लिहाजा उसमें यह प्राविजन किया गया है कि बजाय इसके कि जमींदार को मुआविजा मिले और वह अदा करे इन बोर्ड्स को खुद अख्तियार होगा कि जो रकमें जमींदार को औकाफ़ के एवज में मिलने वाली हों वे रकमें बोर्ड डाइरेक्ट गवर्नमेंट से मुआविजे के वक्त हासिल कर सके। इसके अल्फाज यह हैं कि- –

"Where any Waqf is entitled to be paid any annuity on account of rehabilitation grant under section 99 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950,....."

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इस समय क्लाज बाई क्लाज डिसकशन नहीं हो रहा है। यदि माननीय मंत्री जी इस तरह से सभी क्लाज पढ़ डालेंगे तो नतीजा यह होगा कि यह क्लाज बाई क्लाज विचार हो जायगा।

श्री सैयद अली जहीर––चूंकि यह एक छोटा सा ऐक्ट था इसलिये मैं तफ़सील के साथ बयान कर देना चाहता था। हाउस के तमाम मेम्बर्स समझेंगे कि यह जरूरी तरमीम है जिसको कि हमें करना था वरना जाहिर है कि जमींदारों को अगर नगद रुपया मिल जायगा तो फिर उनसे रुपया वक्फ़ के लिये मिलना मुश्किल हो जायगा। इसलिये यह तरमीम की गई है और मुझे उम्मीद है कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

श्री निहालुद्दीन (ज़िला बदायूं)––जनाबे सदर, जो मौजूदा ऐक्ट में तरमीम आ रही है वह एक साल के अन्दर दूसरी तरमीम है अमेंडिंग बिल की जो हमारे सामने है। इसमें तीन बातें लाई गई है जिससे वक्फ़ ऐक्ट में तरमीम होगी। पहली बात तो यह है कि इंतखाब जो बोर्ड के मेम्बर्स का होता है उसमें अल्फाज जो मौजूद हैं वह लफ्ज "बोर्ड" है और ड्राफ्टिंग के लिहाज से यह लफ्ज बोर्ड गलत था। इसलिये कि बोर्ड के मेम्बर्स वही सब होंगे जो ऐक्ट में दिये गये हैं यानी पांच आदमी वह जो लेजिस्लेचर से इंतखाब किये जायं और एडवोकेट्स एसोसियेशन के नुमायन्दे हों, एक एकाउंटेंसी जानने वाला शिया बोर्ड में हों और आदमी जो खास शिया जमाअत के नुमायन्दे हों और बोर्ड उस वक्त तक नहीं बनेगा तावक्ते कि वह सब मुंतखिब न हो जायं और यह लफ्ज बोर्ड गलत था इसलिये तरमीम आ रही है कि कौन लोग वाकई मेम्बरान का इंतखाब करेंगे वह दिये गये हैं कि वह जो लेजिस्लेचर के मेम्बरान हैं और एडवोकेट एसोसियेशन के नुमायन्दे हैं। जहां तक सवाल है ऐक्ट में यह तरमीम होना बहुत जरूरी है और मेरे नजदीक उसके हो जाने से कोई नुक्स नहीं होगा।

दूसरी तरमीम जो आई है वह जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट के बाद निहायत जरूरी थी, इसलिये उसका आना जरूरी है। पहले मुतवल्लियों से ५ फीसदी वसूल किया जाता था। अब मुतवल्ली नहीं रहे और न उनकी आमदनी ही है बल्कि जो उनको रिहैबीलिटेशन ग्रांट मिलेगी उससे रुपया वसूल करने का मकसद है।

तीसरी बात जो इस ऐक्ट में है और जिस पर विधान सभा के बाहर कुछ लोगों में गुफ्तगू है, अखबारों में भी तसकिरा है वह यह है कि सफाई से बताया गया है कि जो मौजूदा बिल है उसमें लेजिस्लेचर के जो मेम्बर्स है शिया या सुन्नी वही बोर्ड के मेम्बर्स को इंतखाब

करने के लिये मजबूर नहीं है कि उनका ही इंतखाब करें जो विधान सभा के मेम्बर्स हैं बल्कि वह उन लोगों को भी मुंतखिब कर सकते हैं जो इस सभा के मेम्बर नहीं हैं। मेरे नज़दीक अगर दफा १२ अर्थलाइट में न होती तो इसकी जरूरत न थी।

अब भी मैं यह समझता हूं कि यह जो दफा १२ मौजूदा बिल के मातहत निकाली जा रही है तो यह प्रादीजों लगाने की ज़रूरत नहीं है मगर जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर का ख्याल है कि कुछ लोगों के दिमागों में शकूक और शुबहात हैं कि इस ऐक्ट के माने साफ नहीं है कि आया लेजिस्लेचर के मेम्बर्स बाहर के आदमियों को भी मुंतखित कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर यह तरमीम लाई गई है। मैं जाती तौर से ख्याल करता हूं कि ऐक्ट हमारा साफ है। अगर दफा १२ मौजूदा ऐक्ट से निकल जाय तो कोई शुबहात नहीं हो सकते हैं। लेजिस्लेचर के मेम्बर्स को अखतियार है कि वह विधान सभा के बाहर के आदमियों को भी और अन्दर के आदमियों को भी मुंतखिब करें। यहां तो तीन चीजें हैं जो बिल में आ रही हैं मगर मुझे अर्ज करना है कि यह बिल जो तरमीम का आ रहा है इससे जायद तरमीम की जरूरत थी (मौजूदा वक्फ ऐक्ट में) हम लोगों को मालूम है कि जमींदारियां खत्म हो चुकी और ज्यादातर जो आमदनी वक्फ ऐक्ट के मातहत निगरानी की जाती थी वह वह आमदनियां थीं जो जायदाद ज़मींदारी से वसूल की जाती थीं। इसकी ज़रूरत है कि कुल ऐक्ट को अज़सरेनों देखा जाय। मैं बोल नहीं सकता उसके बाहर जो कि बिल में उसूल दिये गये हैं। इतना ज़रूर अर्ज करूंगा जनाब वाला मैं आपकी वसातत से कि कुलअतन इस ऐक्ट को तरमीम की ज़रूरत है और इस लिहाज़ से कि जो एग्रीकल्चरल और एग्रेरियन चेज ज़मींदारी एबोलीशन के बाद हुआ है उन हालत को देखते हुये और नीज हिन्दुस्तान के पार्टीशन के बाद जो वक्फ प्रापर्टी थी और जिसके मैनेजर हिन्दुस्तान से बाहर चले गये हैं और हिन्दुस्तान की नेशनेलिटी छोड़ चुके उसके मुताल्लिक भी हमें ऐक्ट में तरमीम करने की ज़रूरत थी। मगर इस वक्त जो तरमीम है वह सिर्फ लफ्जी है और वक्ती है, ज़रूरत को शायद वह पूरा कर दे जिसके लिये वह बनाया गया है लेकिन कुल सूबे की जो जरूरत है वह इस बिल की तरमीम से पूरी नहीं होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने इस बिल को पेश करते हुये बतलाया कि आम तौर पर इस बिल की ज़रूरत इसलिये पड़ी कि ज़मींदारी एबोलीशन कानून के मुताबिक कुछ अंश दान वक्फों को भी करने की ज़रूरत थी जैसा कि बिल के उद्देश्य और कारणों से भी पता चलता है। यह बिल सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ्स को ५ प्रतिशत अंशदान देने के संबंध में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिये यह तरमीमी बिल लाया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस संशोधन विधेयक का भी एक राज और इतिहास है और उस राज और इतिहास को माननीय सदस्यों के सामने इसलिये रख देना चाहता हूं कि जब यह बिल पास हो जाय तो इसके बाद यह न समझा जाय कि हर माननीय सदस्य विधान सभा का इसमें पार्टी था। इस धोखे में हम न पड़ जायं, इसलिये उसका बतलाना जरूरी है। आज तक और पिछले जमाने में भी ऐसे मौके आये कि जगह खाली हुई और उसको ऐक्ट के मुताबिक भर लिया गया। मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि पहला मौका आया था जब कि सैयद हसन अली खां, जानसठ, मुजफ्फरनगर की सीट खाली हुई, उसकी नजीर मौजूद है और दूसरा मौका महबूब हसन खां, फैजाबाद के इंतकाल के बाद आया। इन दोनों सूरतों में यहां पहली गवर्नमेंट ने जो पुराना ऐक्ट है, उसकी धाराओं को इंटरप्रिट किया था और आल इंडिया शिया कांफ्रेंस से इस बात की दरख्वास्त की थी उन जगहों को पूरा करने के लिये वह अपने नुमाइन्दों को भेज दें और उसको गवर्नमेंट ने मंजूर किया। उनके नाम गजट में छापे गये। इधर अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस और यू० पी० शिया कान्फ्रेंस में कुछ अनबन हो गई है। इसकी अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी। अभी पिछले तीस नवम्बर को हमारे प्रदेश में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ही तारीख में दो यू० पी० शियाकान्फ्रेंस के इजलास हुये। एक लखनऊ में हुआ और दूसरी फैजाबाद में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हुआ। मैं यह कह सकता हूं कि लखनऊ में जो शिया कान्फ्रेंस हुई थी उसके साथ अक्सरियत नहीं है। हम कांग्रेस पर यह चार्ज लगाते हैं कि देश के मुसलमानों को साथ लाने के लिये कांग्रेस द्वारा अजीब तरीके के अख्तयार किये गये। मुसलमानों से साफ कहा जाता था कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो देश के साथ गद्दारी करोगे। लखीमपुर का मुझे एक किस्सा याद आता है। वहां पर एक सभा में कांग्रेसी स्पीकर ने साफ़ कहा था कि अगर तुम कांग्रेस का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी बचत नहीं हो सकती है। उसका जवाब एक बूढे मियां ने दिया था और उसने कहा था कि जब तुम्हारी हुकूमत गांधी जी को नहीं बचा सकी.....

श्री अध्यक्ष—इससे इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो ऐसी सूरत में हमारी कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे साथ रहें। जो शिया कान्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसको इन्करेज करने के लिये और शिया ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ आवें इसलिये यह संशोधन किया जा रहा है। लेकिन जो कान्फ्रेंस फैजाबाद में हुई थी हम जानते हैं कि उसके साथ अवाम है।

इसके अलावा मैं एक राज और बतलाना चाहता हूं कि शिया कान्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी उसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री ने किया था। जब वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि यह आपस में लड़ रहे हैं और इनकी दो जमातें हैं तो उनको वहां पर जाकर उद्घाटन नहीं करना चाहिये था। बल्कि कोई ऐसा तरीका सोचना चाहिये था जिससे उनके बीच में समझौता हो और आपस में सुलह हो....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जो इन बातों को इस बिल से जोड़ रहे हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। इतना समय लेकर भी आप पता नहीं लगा सके कि क्या संगत है और क्या असंगत है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं अब उस बात पर आ रहा हूं। उस कान्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी, के चेयरमैन की तरफ से जो फैजाबाद में हुई थी, यह दरख्वास्त माननीय मुख्य मंत्री से की गयी थी कि वे लखनऊ कान्फ्रेंस का उद्घाटन न करें क्योंकि यह उनके लिये उचित नहीं था जब कि दोनों कान्फ्रेंसों में आपस में इस तरह के ताल्लुकात हैं। लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। जब फैजाबाद के लोगों को यह मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री जी फैजाबाद जाने वाले हैं और जब वे वहां पर गये तो स्वागत कमेटी के अध्यक्ष एक घंटे तक मुख्य मंत्री से मिलने के लिये बैठे रहे लेकिन वे नहीं मिले। मुख्य मंत्री जी को तो दोनों कान्फ्रेंस का ख्याल रखना चाहिये था।

अब इस मामले में खास दिक्कत यही पड़ गई कि पुराना जो ऐक्ट था उसमें हमारी सरकार इस तरह का इन्टरप्रिटेशन करती थी कि अगर कोई मेम्बर हटा तो उसके स्थान पर दूसरे आदमी को नामिनेट कर दिया जाता था। इस बार भी अब आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की तरफ से यह मांग की गई कि उनके द्वारा बतलाया हुआ नाम उसमें रखा जाय। क्यों कि अब की मर्तवा इस हाउस में ३ शिया मेम्बर ही चुनकर आये हैं और कौंसिल में एक मेम्बर आया है। इन्टरप्रिटेशन इस तरह किया जा रहा है कि जिससे यू० पी० की रजिस्टर्ड जमात को इन्करेज किया जाय जिससे वह कांग्रेस के साथ रहे। उसमें जो मेम्बर हैं वह बाहर के लोगों को मुन्तखिब करेंगे। अब तक जो रिवाज चला आता था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे मिनिस्टर आफ़ जस्टिस ने विधान सभा के तीन सदस्यों द्वारा दो और लोगों के चुनाव पार्टी होने से इन्कार कर दिया

था। और दो मेम्बरों ने और दो मेम्बरों को चुन लिया। कौंसिल के माननीय मेम्बर तो अपने खुद ही प्रस्तावक थे और खुद ही समर्थक थे। आल इंडिया कान्फ्रेंस की तरफ से हाई कोर्ट में इस चुनाव को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने यह आदेश निकाला कि जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक नये चुने सदस्य सेन्ट्रल शिया वक्फ बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। माननीय हाईकोर्ट के उस अन्तरिम फैसले को रद्द करने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है सरकार का इस तरह का काम हाईकोर्ट आफ जुडिकेचर, जो हमारे प्रान्त में कायम है यह उसके विरुद्ध जाता है। अगर हाई कोर्ट इस तरह का इन्टरप्रिटेशन करता है कि जो सरकार की मंशा के खिलाफ़ जाता है तो सरकार को इस तरह का अमेंडमेंट उसके लिये नहीं लाना चाहिये। मुझे अफसोस है कि मिनिस्टर आफ जस्टिस इसके शिकार हो रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है हालांकि हम तो उनसे उम्मीद करते थे कि वह अपने गुड आफिसेज से इस बात की कोशिश करेंगे कि इन दोनों शिया कांफ्रेंसेज़ में मेल हो जाता जब कि आज तमाम मुसलमानों की हालत यूं ही नाजुक है और वे आमतौर पर इस राज्य में सीक्योर फील नहीं करते हैं जिसकी शिकायतें रोजाना कांग्रेस सरकार के पास आया करती हैं। लेकिन इस पर भी आज मुसलमानों में रिफ्ट होना और ऐसे मिनिस्टरों की मौजूदगी में खास तौर से इस सूबे और इस मुल्क के फायदे की बात नहीं हो सकती। यह बिल इसी वजह से लाया गया है कि जिन दो मेम्बरों को विधान सभा के दो शिया सदस्यों ने चुना था उनका चुनाव खतरे में है, मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है और इसीलिये मैंने पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का जिक्र किया था कि उन्होंने लखनऊ की शिया कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया जिस समय श्रीमन् आप ने मुझे टोका था। मैं या इस प्रदेश की जनता यह तो नहीं समझ सकती कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनजाने में उस कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। इसलिये यह राज है और यह इतिहास है कि जिसके ज़रिये से शिया मुसलमानों में भेद डालकर और वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोगों को उत्साहित कर शिया मुसलमानों को कांग्रेस के साथ रखने की कोशिश की जा रही है। न्याय मंत्री जी ने जैसा कहा कि यह एक मासूम सा छोटा सा बिल है ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस राज को समझें और इस षडयंत्र में न फंसे और उसके शिकार न बनें।

श्री शिवनाथ काटजू (ज़िला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा बिल हमारे सामने है और उस पर अभी हमारे मित्र ने जो टीकायें की हैं वह काफी आश्चर्यजनक हैं उन्होंने इस बिल के अर्थ यह लगाये हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार मुसलमानों को बरगलाना चाहती है और उनमें आपस में फूट डालना चाहती है और इस के साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाहती है। यदि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ खींचे तो यह कोई बुरी बात नहीं है, वह भी अपनी तरफ खींचने की चेष्टा करते हैं अगर हम भी उन को अपनी तरफ लाने की कोशिश करें तो कोई नामुनासिब बात नहीं है लेकिन इस बिल के जो जो मतलब उन्होंने लगाये वह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। मैं तो बहुत गौर से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि उनका वक्तव्य इतना गूढ़ था कि मैं उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। जहां तक बिल का तात्पर्य है वह दो बातों पर सीमित है, पहली बात यह है कि जो वक्फ कमेटियों के लिये मेम्बर चुने जाते हैं वह इस सदन के बाहर के हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि वक्फ़ कमेटी के लिये जो सदस्य चुने जाने चाहिये वह यह लाज़मी नहीं है कि इस सदन के सदस्य ही हों। आखिर वक्फ एक धार्मिक संस्था है और हमारे सदन के जो मेम्बर आते हैं वह राजनैतिक आवाज पर चुने जाते हैं और यह हो सकता है कि कुछ ऐसे मुनासिब व्यक्ति हों जो कि सदन के मेम्बर न हों लेकिन वक्फ बोर्डों के लिये बहुत उपयुक्त हों, तो इस बिल में यह रास्ता निकाला गया है कि यह सदन उन लोगों को भी चुन सके जो कि इस सदन के मेम्बर न हों। अगर मेरे मित्र इसमें कुछ खराबी देखते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वह है क्या। इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि

[श्री शिवनाथ काटजू]

सरकार मुसलमानों में या शिया जमात में किसी तरह का मतभेद पैदा करना चाहती है। जहां तक दफ़ा ८ का संबंध है, उसमें कहीं शिया सुन्नों का नाम ही नहीं लिया गया और न आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस का या यू० पी० शिया जमात का जिक्र है। जो संशोधन आगे चलकर मेरे मित्र रखने वाले हैं उनमें आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस और शिया कानफ्रेन्स यू० पी० का जिक्र है। अगर कोई मतभेद पैदा करना चाहता है तो वह सरकार नहीं बल्कि विरोधी दल के मेरे मित्र हैं। हमारी सरकार की या कांग्रेस की पालिसी कभी यह नहीं रही कि जनता में संघर्ष पैदा किया जाय या उनको लड़ाया जाय। हमारी कोशिश तो हमेशा यही रही कि एकता रहे और शिया कानफ्रेंस या यू० पी० शिया कांफ्रेंस का जिक्र न करके दफा ८(१) में केवल इतना कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के बाहर से भी मेम्बर चुने जा सकते हैं। दूसरे दफा ५४ (ए) का भी उद्देश्य साफ़ है कि आजकल जमींदारी के खत्म होने से जो कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, वक्फ़ों की आमदनी में जो रुकावटें हो गई हैं उनको दूर किया जाय और ५ फीसदी जो कि वक्फ़े सेंट्रल बोर्ड को देती हैं वह बजाय वक्फ़ों से लेने के सीधे सीधे सरकार वसूल करके बोर्डों को देदे। इसमें यदि मेरे मित्र विरोधी दल के यह समझते हैं कि कोई दांव पेच है या जाल है जिसमें मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई है तो यह एक ऐसी बात है कि जिसको कम से कम हम नहीं देख सकते। गालिबन वे देख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने साथी और मित्र माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी का भाषण बड़े गौर से सुना और उनके आज के भाषण में और पहले दिनों के भाषण में बड़ा अन्तर दिखाई दिया। पहले वे उसूल की बातें कहा करते लेकिन आज उसूलों की दुनिया से निकल कर, तंग दायरे से गुजरते हुये, तंगदिली की और फिरकेवाराना बातें करने लगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपका राज खोल रहे हैं, न।

श्री रामनरेश शुक्ल—यह तो भविष्य बतावेगा कि किसका राज खुल रहा था। अपनी दौराने तकरीर उन्होंने यह फरमाया कि सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि शिया जमात में दो टुकड़े करके कम कम से कम आधे या तिहाई को कांग्रेस अपने पक्ष में करले। शायद मेरे मित्र को पुरानी तवारीख इस बहादुर क़ौम की नहीं मालूम है कि जब मुल्क में मरहूम जिन्ना साहब का जहरीला दौर दौरा था इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस विधेयक से हम कुछ आदमियों को साथ ले जाना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि सब की सब धारायें पहले भी थीं और आज भी हैं लेकिन यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, वह कुछ दिक्क़तों को रफा करने के लिये आया है। अगर उन दिक्क़तों को रफा करने में किसी को कोई तक़लीफ़ पहुंचे तो मजबूरी है। अगर कर्तव्य को पालन करने में किसी को कोई तक़लीफ होती है तो मजबूरी है। हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसने कभी भी मौकों से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर कर्तव्य पालन करने में मौके से फायदा उठाने में कभी संघर्ष हुआ तो हमारी पार्टी ने सदैव कर्तव्य का ही पालन किया है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे भूल जायं कि माननीय रामनारायण जी ने क्या कहा। बाहर से जो चुनने की व्यवस्था की गयी है वह बहुत ही सुन्दर है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि यदि वे मुनासिब समझें तो इस पर भी विचार करें मान लीजिये कि इस सदन के अन्दर एक ही शिया या सुन्नी सदस्य हों तो क्या यह उचित होगा कि वह एक ही सदस्य बाहर के पांच सदस्यों को चुनें ऐसी स्थिति में जब कि भारत एक सिक्यूलर स्टेट है, यह ख़तरा हो सकता है कि यह जहरीली हवा बाहर और भीतर फैल जाय कि चुनाव

फिरकेवाराना तरीक़े पर हो । और भविष्य में फ़िरकेवार लोग इस बात की कोशिश करें और वे इसीलिये यहां आने की कोशिश करें कि उनको दूसरे मेम्बरों को चुनने का मौक़ा मिल सके।

श्री मंजूरूल नबी (जिला सहारनपुर)— आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। इस वक्त सवाल इस बात का है कि इस ऐक्ट पर गौर किया जाय । इस वक्त कोई खास दफा पेश नहीं हो रही है इसलिये यह जो कहा जा रहा है वह इस वक्त मुनासिब नहीं मालूम होता ।

श्री अध्यक्ष—वह उसूल के बारे में जिक्र कर सकते हैं । जनरल डिसकशन हो रहा है इसलिये वह जो उसूल की बात कह रहे हैं, वह कह सकते हैं । जब आप का वक्त आये आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि भविष्य में ऐसी बातें हो सकती हैं । कोई भी जमाअ़ात यह कोशिश कर सकती है कि उसके सदस्य असेम्बली में जायं और वक़्फ़ की सीटों पर क़ब्जा करें । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब भारत सिक्यूलर स्टेट है तो यह चीज़ मुनासिब नही होगी । मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे चुनाव में सारा का सारा सदन भाग ले तो फिरकेवाराना जहनियत का खतरा हमेशा के लिये दफ़न हो सकता है । इसलिये फिरकेवाराना जहनियत को न उभरने देने के लिये यह बहुत जरूरी है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं ।

श्री मूहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं जनाब वाला की बसातत से इस बिल की, जो अभी आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस ने पेश किया है ताईद करने के लिये हाजिर हुआ हूं । मुझे यह अफ़सोस है कि हमारे लायक़ दोस्त मिस्टर रामनारायण जी ने कुछ इस क़िस्म की चीजें पेशकर दीं जिससे यह मालूम होता है कि जो यह बिल लाया गया है वह किसी खास निगाह से लाया गया है । आल इंडिया शिया कांफ्रेंस या सुबाई शिया कांफ्रेंस में जो तफरका है उसके मातहत यह लाया गया है । मुझे अफ़सोस है कि जो आवाज उनके कानों में पड़ी यकीनन जानते हुये भी उन्होंने इस चीज को पेश कर दिया और उन्होंने एक ऐसी भी बात कही जो उनके लिये मुनासिब नहीं थी । इस वक्त यह सवाल नहीं है कि आया शिया कांफ्रेंस जो फैजाबाद में हुई वह सही नुमायन्दगी करती है या शिया कांफ्रेंस लखनऊ में हुई वह सही नुमायन्दगी करती है लेकिन चूंकि मैं इस कांफ्रेंस का, और सूबाई कांफ्रेंस का भी मेम्बर रहा हूं इस बिना पर मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि उनको इस ग़लतफहमी में मुब्तिला किया गया है कि लखनऊ में जो कांफ्रेन्स हुई थी वह सही नुमाइन्दा नहीं थी । बहरहाल इसके मुताल्लिक़ कुछ कहना हाउस का वक्त जाया करना होगा मगर मैं इस वक्त यह अर्ज करूं कि कांस्टीट्यूशन के लिहाज से फैजाबाद में जो कांफ्रेंस हुई थी वह शियाओं की सही नुमायन्दगी नहीं करती...

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि कांफ्रेंस कौन सही है या ग़लत है यह प्रश्न सामने नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप उसके बारे में बतलाना शुरू करें।

श्री मूहम्मद तक़ी हादी—मैं अपनी तक़रीर इसी पर खत्म कर दूंगा । बहरहाल वह चीज मुनासिब नहीं थी । चूंकि हुजूरवाला ने मुझे उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करने से मना किया है इसलिये मैं उसको यही छोड़ देता हूं । हक़ीकतन यह बिल जो लाया गया है वह उस निगाह की बायस नहीं आया बल्कि उसमें सवाल हकूक़ का है, उसूलों का है । जिस वक्त यह ऐक्ट पास हुआ था उस वक्त गालिबन मैं यह समझता हूं कि लेजिस्लेचर का मक़सद यह था कि लेजिस्लेचर के मेम्बरों को इस बात का अख्तियार दे दिया जाय कि वे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक़ ५ मेम्बरों को मुन्तखब कर सकें । यह चीज दफ़ा १ की तहत में बिलकुल साफ़ थी कि ख्वाह वे शिया हों या सुन्नी हों ५ मेम्बरों को मुन्तखब करें । लेकिन जहां तक मेम्बरों का ताल्लुक़ था यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया था कि चाहे वे बाहर से मुन्तखब करें चाहे भीतर से मुन्तखब करें । जिमन द में दिया हुआ है कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस एक मेम्बर मुन्तखब करे, शिया कालेज एक नुमाइन्दा मुन्तखब करे और वे जिसको चाहें उनको मुन्तखब करें । इसी तहत में असेम्बली के

[श्री मुहम्मद तक़ी हादी]

मेम्बरों को यह अख्तियार था कि वे चाहे अपने में से मुन्तखब करें या बाहर से मुन्तखब करें । यह तो उसूलों का सवाल है । यह सवाल नहीं है कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस सही रेप्रेजेंटेटिव है या सूबाई शिया कांफ्रेंस सही रेप्रेजेंटेटिव है । सवाल तो हकूक का है । और चूंकि इसमें आगे चल कर इबहाम पैदा हो गया है और यह वक्फ बोर्ड जिसको कई महीने पहले ही बन जाना चाहिये इतने दिन बीत जाने के बाद भी वजूद में नहीं आया । इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार ने इस वक्त यह बहुत ही जरूरी क़दम उठा कर इस अमेंडमेंट को पेश किया है । अगर यह अमेंडमेंट नहीं पेश किया जाता तो इसके माने यह हैं कि मुकद्दमेबाजी का दरवाजा खुल जायगा और इस वक्त मामला हाई कोर्ट में है, हो सकता है कि आगे चल कर वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाय । इससे तमाम वक्फ का जो मक़सद है, जमींदारी अबोलिशन के बाद उसकी अहमियत खत्म हो जायगी और इसका माने यह होगा कि जहां तक शिया वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है वह बिलकुल काम नहीं कर सकेगा । और हम एलेक्टोरेट के सामने, लोगों के सामने जिन्होंने हमें मुन्तखिब करके भेजा है, ट्रस्टी बनाकर भेजा है क्या मुंह दिखलायेंगे और इसीलिये मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस बिल को पेश करके जो शुबहात थे जो कंट्रोवर्सीज थीं न मालूम कब तक चलतीं उनको उसने बचा लिया । जब हमने प्रैक्टिकली तजुर्बा किया तो मालूम हुआ कि उसमें दिक्कत पैदा हो सकती हैं और इसलिये जो उसूल इसमें रखे गये हैं किस सेम्बली के मेम्बरान को ज्यादा एलेक्ट करने का हक हासिल है वह सही है । दफा ७ और ८ जो इसमें रखे गये हैं वे बिलकुल सही हैं लेकिन दफा १२ इसमें ऐसी आ गई थी जिसका मतलब कुछ और ही निकल सकता है यानी यह कि शायद यह जो चुने जायेंगे वे मेम्बरान असेम्बली के अन्दर से ही हो सकते हैं या बाहर से हो सकते हैं । लेकिन इसमें किसी कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है एक उसूल का सवाल है । मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन में जो बात रखी गयी है वही दुरुस्त है यानी कौंसिल आफ स्टेट या कौंसिल के जो मेम्बरान हमारी असेम्बली के मेम्बरान के जरिये मुन्तखब होते हैं वह अपने असेम्बली के मेम्बरान में से ही मुन्तखिब नहीं होते बल्कि बाहर के भी होते हैं । यह तरमीम जरूरी है और इसके लाने के बाद कोई कंट्रोवर्सी पैदा ही नहीं हो सकती । मुझे अफसोस है कि मैं यह समझता था कि इस सवाल पर कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी लेकिन बहरहाल वह चीज सामने आ गई इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि यह कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है बल्कि उसूली बात है और इसलिये मैं अपने दोस्त निहालुद्दीन साहब ने जो तरमीम पेश की है उसकी ताईद करता हूं और यह अर्ज करता हूं कि वाकई जमींदारी अबोलिशन के बाद औकाफ की जो अहमियत हो गई है उसके लिये कुछ न कुछ करना सरकार का फर्ज है ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह अपने भाषण को जारी रखें लेकिन जरा जोर से जारी रखें ।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी—मैं चन्द मिनट में खत्म करना चाहता हूं लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि तरमीम अभी पेश की गई है उसका मतलब यह है कि हमारी सरकार औकाफ को ओवरहाल करने की तरफ तवज्जह करे क्योंकि जमींदारी के खत्म होने के बाद औकाफ की अहमियत जो हो गई है उनमें सिर्फ मुसलिम औकाफ का ही ताल्लुक नहीं है बल्कि आम तौर पर चैरिटेबिल ट्रस्ट या औकाफ जो हैं उन सब में यह मसला दरपेश चला आ रहा है कि उन मकासिद के लिये जैसे एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स उनके हैं उनके लिये कुछ न कुछ होना चाहिये और औकाफ को कुछ न कुछ मदद जरूर देनी चाहिये । उनके लिये अब वक्त आ गया है । मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट पेमेन्ट आफ कम्पेन्सेशन और ऐनुइटी पर तवज्जह करके इस तरह के अमेंडमेंट्स को जरूर लायेगी ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह जो यू० पी० वक्फ ऐक्ट में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत है इस पर जो कुछ यहां वादविवाद हुये हैं उसमें सेकुलर

स्टेट और कुछ इधर उधर की भी बहुत चर्चायें हुई हैं। तो मैं उस पर तो विशेष जाना नहीं चाहता, मगर मैं समझता हूं कि जो ऐक्ट है पहले का अगर उसी की दफाओं को ठीक तरह से पढ़ा जाय और यहां पर जिस उद्देश्य और कारण को लेकर यह संशोधन रख दिया गया उसको देखा जाय तो उन माननीय सदस्यों का भ्रम दूर हो जाना चाहिये। जो यह समझते हैं कि अगर यह विधेयक जो आज प्रस्तुत है पास हो जायगा तो सेकुलर स्टेट का रूप बदल जायगा। अगर स्टेट सेकुलर है या नहीं है जो भी समझते हों, हमारे माननीय सदस्य, अगर यह विधेयक अपने इसी रूप में पास हो जाता है तब भी स्टेट के नेचर पर (स्वरूप) पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये मैं आपकी इजाजत से अपने उन सदस्यों से कहना चाहता हूं कि बार बार सेकुलर डेमोक्रैसी कायम है उसकी चर्चा इस सदन में न किया करें। केवल सेक्शन ८ को पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—जी नहीं। मैं आ रहा हूं।

तो मैं यह कह रहा था कि जिस रूप में यह विधेयक है उसके समर्थन में हमारे जो ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्य बोले हैं वह यह कहते हैं कि स्टेट गैर साम्प्रदायिक है। तो साम्प्रदायिकता का कहीं नाम ही नहीं आना चाहिये। क्या अगर यह विधेयक पास हो जाय तो इससे साम्प्रदायिकता का जो रूप है आज वह खत्म हो जाता है। साम्प्रदायिकता का जो रूप है इस विधेयक के बाद वही रह जाता है। कम से कम इतना भ्रम हमारे मित्र राम-नरेश का दूर ही हो जाना चाहिये। कांस्टीट्यूशन के दो अंश हैं। पहला अंश और दूसरा। उसमें सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फस के बिजनेस (काम) को चलाने के लिये, कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस समय मैं इसी को आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी बात हो उसमें कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है, मगर अगर गुण वाली बात के साथ साथ दोष ज्यादा हो जाता है तो फिर बस दोष ही सामने आ जाता है। अब इस आब्जेक्ट को जोड़ देने से हम यह समझते हैं कि यह बिधेयक पूर्ण रूप से दोषपूर्ण हो गया है क्योंकि हमें बहुत गर्व है इस पर कि सरकार बहुत कद्र किया करती है सम्मानित हाई कोर्ट के आदेशों का और उनके इशारों का। तो क्या जब रिट दाखिल है और सदन के सम्मानित सदस्यों में भी काफी मतभेद है, इस विषय पर कि बाहर के सदस्य चुने जाने चाहिये या जो विधान सभा के अन्दर सदस्य हैं उन्हें चुना जाना चाहिये। जब उसका फैसला होने वाला है। तो क्या थोड़ा इन्तजार नहीं किया जा सकता था? उस फैसले को भी देखा नहीं जा सकता था कि सम्मानित हाईकोर्ट इसके बारे में क्या सम्मति देती है? इतनी जल्दी से जो प्रेस किया (लाया जा रहा) जा रहा है इस विधेयक को, श्रीमन्, तो मैं इस जल्दबाजी को देख कर ही बार बार बाध्य होता हूं इस सरकार की मनोवृत्ति का विश्लेशण करने के लिये। मैं चाहता नहीं, मगर अक्सर ट्रेजरी बेंचेज से यह आवाज उठा करती है कि नन्हा सा विधेयक है इसे जल्दी पास होना चाहिये, तो एक नन्हा सा ही सुझाव आपके सामने रख देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जायं। इतना नन्हा सा सुझाव हमारा है। इतना नन्हा सा सुझाव इस नन्हे से विधेयक के लिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाने के लिये काफी होगा, और जानकारी के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जबसे इसकी चर्चा यहां चल रही थी तब से हम लोग इस विधेयक पर दो दिन से परेशान थे और जिन पर इस विधेयक का असर पड़ने वाला है वे अपने प्रतिनिधियों के जरिये जो इसकी दिक्कतें आगे पड़ेंगी उनसे हमें बराबर आगाह करते रहते थे। अभी भी, जबकि इसकी चर्चा सदन में चल रही थी तो बहुत से लोग जो बाहर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, वह समझते हैं कि इसके पास हो जाने से कितनी दिक्कत और परेशानी आगे बढ़ेगी। वह चाहते हैं कि सरकार से मिल कर सरकार के सामने कुछ बातें रख करके बतावें कि इस विधेयक से सरकार की समस्या का हल नहीं होगा।

[श्री राजनारायण]

अगर एक गलती हो गयी है, जो पुरानी परिपाटी चली आती थी, उस ट्रैडीशन को कैसे इस समय जो वोट का संगठन ही तोड़ा गया है, तो सरकार को उस गलती को मानने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। या जो भी मंत्री महोदय उससे संबंधित हों उन्हें कोई हिचक या परेशानी नहीं होनी चाहिये।

जहां तक मैं समझता हूं इस भाषा के दो अर्थ लगाये जाते हैं। माननीय मित्र काटजू जी यहां बैठे हुये हैं और अक्सर इस सदन में जब कोई लीगल डिफिकल्टी (कानूनी दिक्कत) पड़ती है तो अपनी सम्मति प्रदान किया करते हैं। हमारे तो पुराने मित्र हैं। विद्यार्थी जीवनकाल से हम दोनों एक दूसरे से अवगत हैं। वह कहते हैं कि आठवें सेक्शन में कहीं शिया का नाम ही नहीं आता। अब विरोधी दल ही शिया सुन्नी के मसले को घुसेड़ कर चाहता है कि साम्प्रदायिकता का कलर दे दें। तो मैं आपकी इजाजत से निवेदन करूंगा कि वह तो पढ़े लिखे हैं, प्रैक्टिस (वकालत) भी करते हैं। आठवें सेक्शन के दूसरे क्लाज को क्यों नहीं पढ़ते। साफ लिखा हुआ है कि—

"The first Shia Central Board shall be established by the State Government within three months of the date on which this section comes into force and the election of members for such Board shall be held in such manner as the State Government may direct."

तो यह साफ शब्द "शिया" का आठवें सेक्शन में लिखा हुआ है। मगर जिस तरह से वकीलों की यह आदत पड़ जाती है कि सारी रूलिंग का जो हिस्सा उनके मतलब में आता है उसी को पढ़ते हैं और आगे का छोड़ दिया करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस सदन में इस तरह की कार्रवाही न हो। श्रीमन्, ८ सेक्शन में पहले क्लाज के पहले में लिखा है—

"Five members to be elected in the manner prescribed by the Shia members of the local Legislature."

इसी का इंटरप्रिटेशन इस सदन के अन्दर भी हम करते हैं, बाहर भी करते हैं और हमने जब इस लैंगुएज को पढ़ा, इसके पढ़ने से श्रीमन् हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईमानदारी के साथ इसके दो इंटरप्रिटेशन (अर्थ) हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन अगर माननीय मंत्री महोदय करना चाहते हों तो उनको पूरा हक हासिल है और वह इस लैंगुएज (भाषा) का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर लें। मगर जो एक ट्रैडीशन यहां पर कायम रहा है उसी के इन्टरप्रिटेशन को लेकर हाईकोर्ट में आज रिट दाखिल हुआ है। तो मैं चाहता था कि जबकि दो इन्टरप्रिटेशन होते हैं ईमानदारी के साथ तब सम्मानित हाईकोर्ट के फैसले तक तो हमारे माननीय मंत्री महोदय और सरकार इन्तजार करती और देखती कि क्या फैसला होता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने एक नन्हे से सुझाव को माननीय मंत्री जी की सेवा में रख रहा था और उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि जरा उनकी खिदमत में जो बातें पेश की जा रही हैं उनको गौर से सुनें क्योंकि अगर वह गौर से नहीं सुनेंगे और कहीं किन्हीं दूसरी बातों में मुबतला रहेंगे तो शायद जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं उस पर उनका ध्यान न जायगा। श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन आफ शिया सेन्ट्रल बोर्ड जो ८वीं दफा के मुताबिक बनाया जा रहा है उस में साफ लिखा है कि—

"The Shia Central Board shall consist of :—

(*i*) five members to be elected in the manner prescribed by the Shia members of the local legislature ;

(*ii*) One member to be elected in the manner prescribed by the Executive Committee of the All India Shia Conference ;

(*iii*) One member to be elected in the manner prescribed by the Board of Trustees of the Shia College, Lucknow ;

(*iv*) three members to be co-opted by the above seven members from persons whom they regard as *ulamas* ;"

इसके बाद श्रीमन् अगर ९ वीं दफा को गौर से देखा जाय तो उस में यह साफ हो जाता है कि अगर शिया मेम्बर ५ को नहीं चुनते तो जितनी भी कमी रह जाती है तो उस कभी की पूर्ति कैसे की जायगी । इस ९ वीं दफ़ा में यह साफ लिखा है की

"If at any election of members of a Central Board the full number of five members is not elected by the local legislature, the dificiency shall be made up by election of the requisite number of members by the Provincial Muslim Educational Conference in the case of the Sunni Central Board, and by the Executive Committee of the All-India Shia Conference in the case of Shia Central Board. In case of the failure of the Provincial Muslim Educational Conference or the All-India Shia Conference to make up the deficiency, the same shall be made up by nomination by the State Government."

श्रीमन्, मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि जिस रूप में यह बिल आ रहा है वह बिल उत्तम है और उसका आना जरूरी है । आज इस विधेयक को इस रूप में आने की क्या जरूरत पड़ी । जिस तरीके से और जिस परम्परा और ट्रैडीशन को अख्तियार कर के पहले बोर्ड की स्थापना होती थी अब उस प्रथा को अख्तयार करने में कौन सी दिक्कत और परेशानी है और क्या बाधा आ गई है ? मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इन बातों पर गौर करें और इन को मद्देनजर रखते हुये ही हमारी कोशिश है और हमारी मांग है कि यह बिल आज जिस रूप में प्रस्तुत है वह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय ताकि वहां पर हम लोगों को भी मौका मिले और माननीय मंत्री जी को भी मौका मिले और दूसरे लोगों को भी मौका मिले और उन के रास्ते में जो कठिनाइयां, दिक्कतें और परेशानियां हों उनको सेलेक्ट कमेटी के सामने रखें और अच्छे तरीके से, एक उत्तम भाव से, एक व्यापक दृष्टिकोण से और किसी तरह का दिल में बुग्ज न रखते हुये सही मानों में समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। मैं ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक के आबजेक्टस का जो दूसरा अंश है, बोर्ड के संगठन का, उस अंश से जो काफी परेशानी बाहर के कुछ लोगों में फैली है उसको दूर करने के लिये ऐक्ट की दूसरी धाराओं को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य को समझने में मैं असमर्थ हूं और इस उद्देश्य को सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता तो अच्छा था कि सरकार को कौन सी कठिनाई और दिक्कत मालूम हुई कि पुराने तरीके पर अगर बोर्ड का संगठन होता तो परेशानी होती ।

दूसरी बात यह है कि इस दफा की लाइन्स का इन्टरप्रिटेशन श्रीमन् जिस रूप में किया जा रहा है, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि उस के ईमानदारी के साथ दो इन्टरप्रिटेशन (अर्थ) हो सकते हैं और इन्टरप्रिटेशन के लिये ही हाईकोर्ट में रिट एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है जिस का फैसला अभी नहीं हुआ है और उसके लिये थोड़ा सा इंतजार करना क्या सरकार के लिये शोभा की बात नहीं थी ? और अगर यह सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बिना पाये कोई तजवीज जल्दी में लाती है और उसको इस सदन पर थोपती है और प्रेस (मजबूर) करती है तो मैं समझता हूं कि यह चीज जमहूरियत के खिलाफ है और जिस जमहूरियत की बात इस सदन में माननीय सदस्य समय समय पर किया करते हैं, उस बात को सामने रखते हुये बार बार हम ने निवेदन किया है कि जनतंत्र के यह

[श्री राज नारायण]

मानी नहीं हैं, चाहे कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी (पश्चिमी जनतंत्र) से प्लेज्ड हो या ईस्ट (पूर्वी) डेमोक्रेसी से प्लेज्ड (बंधा) हो लेकिन सदन को शब्द जाल में नहीं रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सदन में सफाई के साथ बतलाया जाय कि वह उत्तर, पश्चिम पूर्व या किस तरफ की डेमोक्रेसी को मानते हैं और उसका मूर्त्तिमान स्वरूप क्या है? शब्द जाल में फंसा कर सदन के समय का दुर्व्ययोग न किया जाय और बार बार जब भी सरकार की ओर से कोई बिल आता है तो कहा जाता है कि यह बहुत ही नन्हा सा विधेयक है, इसमें देर क्यों होती है? मेरा भी एक नन्हा सा सुझाव है, इसको मानने में देर नहीं होनी चाहिये और अगर सरकार इस को मान लेती है तो सदन का फजूल समय नष्ट न होगा और उस का दुरुपयोग न होगा और जो समय बच जायगा वह सदन के सामने जो बड़े बड़े विधेयक लाने हों उन पर गौर करने में काम आ जायगा। एक सम्मानित सदस्य ने श्रीमन्, यह कहा कि माननीय रामनारायण जी इस के पहले जो भाषण करते रहे हैं उनमें उसूली बातें होती थीं लेकिन उनके आज के भाषण में वह उसूली बातें नहीं थीं बल्कि व्याख्यात्मक बातें थीं और सरकार के इनटेन्शन (मनोवृत्ति) पर आक्षेप किया गया है। मैं बहुत ही अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है, जिसमें मनोवृत्ति नहीं रहती? हर बात में तो इनटेन्शन आता है, जिस सरकार की जैसी इच्छा होगी मनोवृत्ति होगी सरकार का जैसा इनटेन्शन होगा उसी को पूरा करने के लिये वह विधेयक लाती है और मैं समझता हूं कि इस में किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिये और कोई परेशानी न होनी चाहिये और किसी को यह न समझना चाहिये कि सरकार के ऊपर कोई आक्षेप हो रहा है। सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं होता हम विरोधी दल वाले भी जिस तरह से अपना सुझाव रखते हैं उसमें हम भी अपना इनटेन्शन जाहिर करते हैं। हमारा जैसा इनटेन्शन है, जैसा ढांचा हम चाहते हैं और जिस ढांचे और नक्शे पर हम मुल्क को रखना चाहते हैं उसी प्रकार का हमारा संशोधन हुआ करता है। इसलिये हमारे सम्मानित सदस्य इसमें परेशान क्यों होते हैं? इसमें उनको दिक्कत क्यों होती है? श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके पहले पुराना जो ऐक्ट था जब उस पुराने ऐक्ट के अन्दर जो डिफिशियेंसी (कमी) रह जाती थी, उस डिफिशियेंसी को पूरा करने का तरीका उसमें बताया गया था तो आज उस तरीके को हम क्यों छोड़ने जा रहे हैं? यह सदन क्यों छोड़ने जा रहा है? उस तरीके पर चलकर के जो डिफिशियेंसी पड़ जाय अगर पुराना ही इंटरप्रिटेशन माना जाय तो उसके माने यह है कि इस सदन में जितने मेम्बर थे वह उस बोर्ड के सदस्य बनाये जा सकते थे और उस डिफिशियेंसी की पूर्ति, उस कमी की पूर्त्ति जो आल इंडिया शिया कान्फ्रेंस थी उसके जरिये कराई जा सकती थी। आज कौन सी चीज पैदा हो गई, कौन सी जरूरत पैदा हो गई जिस जरूरत को पूरा करने के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, यह मैं समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं और हमारे सरकारी दल की ओर से जितने सम्मानित सदस्य बोले, निहायत गौर के साथ उनकी बातों को सुनने के बाद भी मैं जिस नतीजे पर पहुंचा उससे भी मैं इस मामले को समझ सकने में असमर्थ रहा। उन्होंने ऐक्ट की दफाओं को पढ़ने की कोशिश नहीं की। वह एक पुरानी परम्परा को चलाना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो भी विधेयक प्रस्तुत हो उसके लिये कुछ शब्द धन्यवाद के कह दें और विरोधी दल के लिये दो चार बातें उलटी और कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द कह दिया करें। मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सदन में उनका बहुमत है। सदन के समय का दुरुपयोग हो या सदुपयोग हो यह उनके मुनहसर करता है, हमारे ऊपर मुनहसर नहीं करता। अगर उनका विधेयक बढ़िया है, अगर उनकी भावनायें जनतंत्र की भावनाओं से ओतप्रोत हैं तो हमारे लिये कोई जरूरी नहीं है कि हम सदन का समय लेकर नष्ट करें। हम तो बार बार श्रीमन् चाहते हैं कि इस तरह से, ऐसे सुन्दर तरीके से इस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिसमें आज हमें जो आजादी मिली हुई है उस आजादी के मिलने से हमारी जो आकांक्षायें, हमारी जो भावनायें वेगवती हो रही हैं उन भावनाओं की, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हो। हम यह नहीं चाहते कि पुराने जमाने में, अंग्रेजी राज्य के जमाने में, जो ऐक्ट बना हुआ था और उसमें जो लूप होल्स (कमी) रह गये थे उन लूपहोल्स को भरने की कोशिश इस तरह

से करें कि सरकार के हाथ में पूरी ताकत आकर जुट जाय। और अगर सरकार ऐसी कोशिश करती है कि वह उन लूपहोल्स को भरे तो उससे सारी ताकत सरकार के हाथ में बटुर जाय तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र नहीं है, जम्हूरियत नहीं है, जनतंत्र के साथ धोखा है, जनतंत्र के साथ बेईमानी है। श्रीमन् मैं आपके जरिये फिर अपील करना चाहता हूं और इस सरकार से अपील करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो आगे आने वाले अमेंडमेंट्स हैं वह भी श्रीमन् हमारी इन भावनाओं से ओतप्रोत होंगे। हम पूछना चाहते हैं आज सरकारी दल के सम्मानित सदस्यों से और निवेदन के साथ, आरजू निम्नत के साथ उनसे कहना चाहते हैं कि वह सोचें और विचारें कि क्या जिस तरीके से बोर्ड के ५ सदस्यों का चुनाव सरकार कराना चाहती है वह चुनाव पहले की बनिस्बत डेमोक्रेटिक (जनतांत्रिक) है या रीएक्शनरी (पीछे जाने वाला) है, ताकत को अपने हाथ में लेने वाला है। कसौटी पर क्यों नहीं कसकर उसे देखा जाता। पहले तो श्रीमन्, यहां पर जितने शिया मेम्बर होते थे वह शिया मेम्बर उन पांच सदस्यों के अन्दर चुने जाते थे। अब यह सरकार, जिसकी भी सरकार हो, जिस दल की भी सरकार हो, हमारे एक मित्र ने यह समझाने की कोशिश की, हो सकता है कि आगे चलकर विरोधी दल की ही सरकार आये तो यह पावर तो विरोधी दल के भी हाथ में जायगा, तो भाई इसमें क्या विरोध की बात है ? तो श्रीमन्, मैं बतलाना चाहता हूं कि वह पार्टी जो जनतंत्र को मानती है, जनतंत्र चाहती है, जो पार्टी चाहती है कि शक्ति विकेन्द्रित हो वह पार्टी किसी भी हालत में सामयिक, फार दि टाइम बीइंग, उसका कुछ फायदा होता हो तो भी उस सामयिक फायदे को उस टेम्परेरी लाभ को ठोकर मारती है, जनतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये। इस लिये श्रीमन् हम यहां कहना चाहते हैं कि हमारा जो विरोध है इस प्रस्तुत विधेयक का वह विरोध जनतंत्र पर अधारित है, जनतांत्रिक पद्धति और प्रणाली पर आधारित है। हम नहीं चाहते हैं कि जिस पार्टी की भी सरकार हो उस पार्टी के सदन के सम्मानित सदस्यों को इतना बड़ा अधिकार दे दिया जाय कि चाहे जो भी सामाजिक संस्थायें हों, जो भी शिक्षा संस्थायें हों, सब की कमेटियों में हम यहां से बैठकर नामांकन कर दिया करें। इस तरह का सरकारी पार्टी द्वारा जो भी एलेक्शन होगा उसको हम एक तरह से नामांकन सरकार के द्वारा किया जाना ही मानते हैं क्योंकि आज भी ईमानदारी के साथ जब हम सोचते हैं श्रीमन् तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकारी बहुत से ऐसे विधेयक हैं जो कि सरकारी दल के सदस्य अपने दिल में उचित नहीं समझते हैं। सरकारी दल के बहुत से सम्मानित सदस्य जब मिलते हैं तो कहते हैं कि इस विधेयक से हमारा दिल व दिमाग मेल नहीं खाता है लेकिन श्रीमन् वे एक अंकुश में हैं। पार्टी सिस्टम में आज यह दोष भी है और उसके बहुत से गुण भी होते हैं। तो यह जो दोष हैं इसकी पूर्ति कैसे होगी, हमें इसपर विचार करना चाहिये। मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सोचें कि आखिर हमारे हाथ में सारी ताकत है, हम ही को सब कानून बनाना है, अगर हम अपने ही बनाये हुये कानून के जरिये सारे अधिकार को अपने हाथ में कर लेते हैं, तो क्या वह जनतांत्रिक प्रणाली होगी ? श्रीमन्, हमने बार बार इस सदन में निवेदन किया है कि हम जिस जनतंत्र को मानते हैं, हम जिस डिमोक्रेसी को मानते हैं, हम जिस जमहूरियत को मानते हैं, वह यह जनतंत्र और डिमोक्रेसी है कि जिस में सच्चे माने में जनता के हाथ में पूरा अधिकार जाय। श्रीमन्, एक भ्रम इस सदन में बहुत फैला हुआ है और उसी भ्रम से प्रभावित हो करके हमारे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक पर तकरीर भी की है। वह श्रीमन् यह भ्रम है कि जब डिमोक्रेटिक तरीके से इस सदन के सम्मानित सदस्यों का चुनाव हुआ है और हम चुन करके जमहूरियत के आधार पर यहां बैठे हुये हैं तो हमें पूरा हक हासिल है कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से कानून बनावें क्योंकि जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है। श्रीमन्, इसी कमी को दूर करने के लिये रिकाल (वापस बुलाने) का पावर होता है, जनता में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं अगर वे प्रतिनिधि गलत काम करते हैं, अपने वादों की पूर्ति नहीं करते हैं, जनतंत्र के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो जनता को यह हक हासिल होता है कि सच्चे जनतंत्र में कि जनता उन प्रतिनिधियों को वापस बुला ले। इसलिये श्रीमन् यह गलती

[श्री राजनारायण]

इस सदन की नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह सम्मानित सदन है, इसके बहुत बड़े-बड़े अधिकार हैं। हम अगर किसी क्षण भी इस गलती में पड़ जायंगे कि चूंकि हम को जनता ने चुन करके भेजा है, वोट के आधार पर, जनतंत्र के आधार पर चूंकि हम यहां बैठे हैं, इसलिये जो भी कायदा कानून हम बनादें वह जनतांत्रिक होगा, यह एक बड़ी भारी भूल होगी, श्रीमन्। जब विधान सभा के सदस्यों के दिमाग में इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है, तो श्रीमन् यह बड़ा खतरनाक होता है और ऐसे भ्रम पैदा होने से ही तानाशाहियत के कानून बनते हैं। श्रीमन्, इसीलिये आप की इजाजत से मैं पुनः सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तर्क को इस सदन में जरा काफी विचार विनिमय के बाद रखें कि चूंकि हम जनता की ओर से चुन करके आये हैं, इसलिये जो भी कायदन कानून हम चाहें बनावें। श्रीमन्, सही है कि जनता ने हमें चुना है तो अगर जनता ने हमें चुना है तो क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि सारी ताकत को सेंट्रलाइज (केन्द्रित) करलें, जिस को चाहें वाइस चांसलर बनावें, जिस को चाहें बोर्ड का मेम्बर बनावें, जिस को चाहें बोर्ड का प्रेसीडेंट बनावें, और जिस को जिस जगह पर चाहें उस जगह पर रखें। यह तो नौकरशाही है। इस तरह के नौकरशाही के तरीके को अख्तियार करके हिटलर भी अपना काम चला सकता था। इस तरह की नौकरशाही को चला करके हैलट भी अपना काम चला सकता था। जब हम इन तरीकों से अपना काम चलाना चाहते हैं तो हम किस मुख से कहते हैं कि हम जनतांत्रिक प्रणाली को मानते हैं, यह समझ सकने में हम असमर्थ हो रहे हैं। इसलिये यह बात आज के युग में, आज के जमाने में, निर्विवाद है, इसपर डिफरेंस आफ ओपिनियन (मतभेद) नहीं होनी चाहिये कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने के बावजूद भी अगर सरकार की इच्छा तानाशाही तरीके को अख्तियार करने की होती है तो सरकार वैसा विधेयक बना सकती है मगर वह विधेयक जनतांत्रिक विधेयक नहीं कहा जायगा। वह विधेयक किसी दूसरे नाम से पुकारा जायगा, तानाशाही का विधेयक कहा जायगा, डिक्टेटरशिप का विधेयक कहा जायगा। इसको जनतंत्र के विधेयक की श्रेणी में ले जाने की कोशिश हमारे माननीय मित्र कैलाशनाथ काटजू अगर न करें तो अच्छा है (हंसी) आफ़ कीजियेगा श्री कैलाशनाथ काटजू का नाम मेरे मुंह से निकल गया मेरा मतलब श्री शिवनाथ काटजू से था। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी जब समय समय पर दूसरे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक यहां आते हैं तो उस समय यह प्रायः अनुपस्थित रहते हैं तो जो यहां पर विचार विनिमय होते हैं, जो आदर्श की बातें इस सदन में अक्सर हुआ करती हैं उनसे वह वंचित रह जाते हैं। इसलिये हमें जरूरत पड़ी कि हम माननीय मंत्री जी से अर्ज करें कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जायं। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हम समझते हैं कि मेरे इस छोटे से प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य ने कोई प्रस्ताव तो पेश नहीं किया है सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह तो किसी समय हम यह प्रस्ताव दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसे प्रस्ताव तो वादविवाद के प्रारम्भ में ही पेश हो जाने चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज मैं इस अमेंडमेंट का जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अपोजीशन लीडर की बातों को सुना। पहली बात तो उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफनीशन पूछी इस हाउस से। मुझे दुख है कि इतने बड़े विद्वान, अपोजीशन बेंच के लीडर जो दावा करते हैं यहां प्रीमियर पंत के स्थान पर बैठने के लिये वे हमारे और हाउस

से डेमोक्रेसी की डेफनीशन पूछते हैं, ईस्टर्न डेमोक्रेसी और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैं आज राजनारायण जी को बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि—
"Democracy is the Government of the people, by the people and for the people." (जनता द्वारा जनता के लिये जन-शासन जनतंत्र है) जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही प्रजातंत्र राज्य कहलाती है। महाराज चन्द्रगुप्त के जमाने में भी इस देश के अन्दर प्रजातंत्र राज्य था। आप उस तरफ भी जरा इशारा किये होते तो मैं समझ पाता कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज वर्तमान प्रजातंत्र हमारे देश में है जिसके अन्दर हम और आप चल रहे हैं। इस प्रजातंत्र के बारे में आपको क्या शंकायें हैं वह अगर आपको अवसर हो तो हमसे पूंछ सकते हैं इस सदन के बःसर, मैं आपको बतलाऊंगा, हम और आप दोनों उस प्रजातंत्र प्रणाली के सदस्य हैं। आप दूसरे कैम्प से आये हैं, हम दूसरे कैम्प से आये हैं। लेकिन जो प्रजातंत्र यहां चल रहा है उसी के मातहत हम और आप यहां आये हैं। इस मामूली से बिल में बहुत छोटी सी बात पेश की गई है। आप की इजाजत से मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं। "यू० पी० मुस्लिम वक्फस ऐक्ट, १९३६ में व्यवस्था की गयी है कि वक्फों के मुतवल्ली स्वयं ही सेंट्रल बोर्ड आफ़ वक्फस को ५ प्रतिशत अंशदान दिया करें। " स्वयं अपनी आमदनी का ५ प्रतिशत उनको दान देने का हक था। आज जब जमींदारी अबालिश हो गई है तो इस अमेंडमेंट बिल से यह अपील है कि सरकार अब इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ओढ़े। सीधी सी बात है कि जब जमींदारी थी तो जो वक्फ कमेटी के मेम्बरान होते थे वह वसूल करके रुपया देते थे। आज जमींदारियों को स्टेट ने ले लिया है तो जब जमींदारी खत्म हो गई है तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह इसकी देखभाल करे। यह मामूली सी बात है जिस पर हमारे अपोजीशन लीडर ने एक बवंडर सी स्पीच दे डाली और वह हमें ब्लेम करते हैं। लेकिन हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बल्कि वही टाइम वेस्ट करते हैं....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भाषण देते वक्त माननीय सदस्य पेंसिल लेकर इस तरह से इशारा करते हैं तो क्या यह ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य के हाथ में कोई हथियार है।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं और न मेरे हाथ में पिस्तौल या बन्दूक ही है। अपोजीशन पार्टी के लीडर ने जो अपोजीशन किया है मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि क्या वह मुझ पर इतना प्रबन्ध लगा देना चाहते हैं कि मैं हाउस में हाथ भी न उठा सकूं। मैं कोई उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं।

एक बात और है कि इस बोर्ड में ५ मेम्बर हैं जिनको असेम्बली के मेम्बरान चुनते थे। चाहे वह असेम्बली के मेम्बर्स हों या चाहे आउटसाइडर्स हों। यह हमारी ड्यूटी है कि हम जिसको मुनासिब समझेंगे चुन देंगे। लेकिन आपका कहना है कि आपको क्या हक है। हमारा कहना यह है कि "We are representative of the people by the people" (हम जनता द्वारा जन-प्रतिनिधि हैं।) शिया लोगों ने हमें अपना वोट देकर यहां भेजा है। इसलिये अगर हम उनको चुन लेते हैं तो कोई दोष नहीं है। मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं बल्कि पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं और पब्लिक को पूरा पूरा हक है कि वह चाहे जो काम मुझ से करा ले। चुनाव का ५ साल और तीन साल का प्रश्न है। पहले हर तीन साल बाद चुनाव होता था। लेकिन आज इलेक्शन्स से सब परेशान हैं और काम

[श्री शिवनारायण]

नहीं हो पाता है और रोज एतराज होते हैं। आप कहते हैं कि हम ४० फीसदी वोट्स से आये हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप तो ४० फीसदी से भी कम वोट्स से आये हैं। ९/१० आदमी एक जगह से खड़े हो गये इसकी वजह से आप लोग कहीं कहीं जीत गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन साल से ५ साल की रिक्वेस्ट है वह वाजिब है ताकि रेस्ट मिले और काम करने में सहूलियत हो।

मेरे लायक दोस्त ने हिटलरिज्म को कोट किया। मैं नहीं देखता हूं कि स्टेट में कहीं भी हिटलरिज्म है। आज आपको स्ट्रीट्स में देखिये, रास्तों पर देखिये, ट्रेन्स में देखिये, सिनेमा घरों में देखिये, जहां देखिये हर जगह हर आदमी क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। "There is none to shoulder responsibility" (उत्तरदायित्व लेने वाला कोई नहीं है) आज जरूरत इस बात की है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। मैं हाउस के मेम्बरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो वार से अच्छे हुये हैं तो अगर हम शांति के समय में राइज नहीं करेंगे तो फिर हम युद्धकाल में क्या कर सकते हैं। युद्धकाल का जमाना हमारी नजरों से गुजर चुका है और हमने देखा है कि क्या हालत थी। आज भी हमें अकेले कंट्रोल के लिये चार बातें सुनना पड़ती हैं। इसलिये हमारा जो अमेंडमेंट है तीन साल के बजाय पांच साल का वह वाजिब है, गैर वाजिब नहीं है। हिटलरिज्म नहीं चल रही है। हमारी स्टेट में अगर हिटलरिज्म चल रही होती तो बाबू राज नारायण जी को मैं बन्द कर सकता था। वह क्रिटिसाइज करते हैं और हम जवाब देते हैं, कहां हिटलरिज्म है। तो मैं नहीं समझता कि हिटलरिज्म कहां है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर वक्त हम पर बौछार होती है कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। जो घर का मालिक है उसके ऊपर बौछार होती है। घर वाले हम से खाना, कपड़ा, मकान मांगते हैं, बच्चों के लिये शिक्षा और दवा मांगते हैं। हमने जिम्मेदारी उठाई है उसे निबाहेंगे हमारे पंत बाबा और जवाहरलाल जी जिस कंडीशन में हम अपने कंट्री को रन कर रहे हैं उसे बाबू राजनारायण जी अच्छी तरह से जानते हैं। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर दो दो घंटे बहस हो जाती है। मैं निहायत अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजीशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह भी समय का खयाल रक्खें और हम भी खयाल रक्खें। जो उनके मुनासिब संशोधन होते हैं उनको हम मान ही लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में कमला सिंह जी का एक संशोधन आया था, वह हालांकि मौजूद भी नहीं थे लेकिन हमने देखा कि संशोधन मुनासिब है, उसको मान लिया। यह बात नहीं है कि आपकी मुनासिब बात को न मानें। लेकिन आपकी रोज शिकायत होती है कि हम तो आपनी मेजारिटी के ऊपर आपको दबाते हैं, हर्गिज, हर्गिज मेजारिटी के ऊपर नहीं दबाते। माकूल बात आपकी मानते हैं और उसे कैरी आउट करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुस्लिम वक्फस ऐक्ट विधेयक आज इस सदन के सामने है उसके मुताल्लिक कुछ खास खास बातें मुझे इस्तदुआ करनी हैं। यह जो अमेंडमेंट इस सदन के सामने है उसे देखने से एक नई चीज हमें मालूम होती है जिसमें दिया हुआ है "दी यू० पी० शिया कान्फ्रेन्स (रजिस्टर्ड) "ये शब्द" आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स" शब्दों को रिप्लेस करने के लिये दिये गये हैं। यह देखा जाता है कि आल इंडिया शिया कांन्फ्रेन्स जो थी उसने कांग्रेस का साथ दिया और ज्वाइंट एलेक्ट्रोरेट के सिस्टम की सबसे पहले इसी जमात ने ताईद की और हमेशा कांग्रेस के साथ रही। फिर क्या वजह है कि जो आल इंडिया कांन्फ्रेन्स पहले से चली आई और जो कांग्रेस का साथ दे रही थी आज उसे हटा कर इस संशोधन के जरिये से यह कोशिश की जा रही है कि यू० पी०

शिया कान्फ्रेन्स उसके स्थान पर रख दिया जाय। यह चीज क्योंकि सरकारी बेंचेंज की तरफ से आई है इसलिये मुझे भय है कि शायद इसमें भी कोई राज हो। इन चीजों के देखने से खासकर जितने माननीय सदस्य यहां बोले हैं उन्होंने यह बतलाया है कि शिया मजहब के लोगों में आपस में मतभेद खड़ा हो गया है। ऐसी हालत में इस सदन का यह काम हर्गिज नहीं हो सकता कि वह किसी एक पार्टी को आगे बढ़ावे और दूसरी पार्टी को खत्म करे। जहां तक सिद्धान्त का ताल्लुक है हम तो यह चाहते हैं कि अगर कोई फिसाद इन लोगों में हो जिससे दो पार्टियां कायम हो गई हों तो हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इन दोनों में समझौता हो जाय। साथ ही साथ ८–ए में जो अमेंडमेंट आया है जो धारा १२ को डिलीट करने के लिये लाया गया है उसके अन्दर एक अनोखी चीज है। धारा १२ के मुताबिक ५ सदस्य लेजिस्लेचर के चुने जाते थे चाहे शिया हों या सुन्नी। लेकिन वे लेजिस्लेचर के मेम्बर होते थे। मैं यह नहीं कहता कि वे स्टेट लेजिस्लेचर के ही मेम्बर्स हों लेकिन जो मक़सद इसके पीछे था वह यह था कि जो मेम्बरान इसके अन्दर आयें वे यू० पी० की रेजीडेंस के हों। वे लोग जो बाहर के हों और जो यू० पी० से बाहर के हों वह उसमें न आसकें। इसलिये यह चीज रखी गई थी कि एम० एल० ए और एम० एल० सी० को लिया जाय। लेकिन इसके अन्दर इस चीज को बदल दिया गया है।

एक चीज और है जो इसके अन्दर एम० एल० ए० रखे गये थे उनके साथ शिया और सुन्नी शब्द लिखा हुआ था। वह मेम्बर शिया और सुन्नी होता था लेकिन अब जो ए १, रखा गया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह जाहिर होता है कि जो मेम्बर आयेंगे वह शिया और सुन्नी भी नहीं हो सकते हैं। इससे आने वाले भय को यह बतलाता है कि उस जाति के अलावा दूसरी जाति के लोग भी आ सकते हैं। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस खतरे से उनको होशियार हो जाना चाहिये। अगर इसके अन्दर शिया और सुन्नी लफ्ज रख दिया जाता तब तो मैं समझता हूं किसी को भी एतराज न होता लेकिन शिया और सुन्नी लफ्ज के हटाने से यह मालूम होता है कि दूसरी जमात के लोग भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि इसकी ७ और ८ में दोनों लाइन को पढ़ने से यह बात साफ जाहिर होती है जिसमें यह दिया हुआ है कि—

"The Sunni Central Board shall consist of five members to be elected in the manner prescribed by Sunni members of the local legislature."

इसके अन्दर यह नहीं दिया हुआ है कि जो मेम्बर चुने जायंगे वह शिया होंगे या सुन्नी होंगे। पहले धारा १२ में यह था कि वे शिया और सुन्नी होंगे यानी जो शिया सुन्नी मजहब के लोग होंगे वही मेम्बर होंगे लेकिन अब १२ के डिलीट होने से यह खतरा पैदा हो गया है कि जो शिया सुन्नी के मजहब को मानने वाले नहीं हैं वह भी इसके अन्दर आ सकते हैं।

इसके अलावा एक चीज और है जैसा कि राजनारायण जी ने बतलाया कि धारा ९ में यह बतलाया गया है कि अगर लेजिस्लेचर के ५ मेम्बर न आसकें तो उस हालत में उस डेफिशियन्सी की पूर्ति धारा ९ से होती थी जिसमें यह दिया हुआ है कि —

"In case of the failure of the provincial Muslim Educational Conference or the All-India Shia Conference to make up the deficiency, the same shall be made up by nomination by the Government."

तो यह स्टेट गवर्नमेंट का तरीक़ा था कि उस हालत में वह चीज हल हो जाय और नामिनेशन से उसकी पूर्ति हो सकती थी। अब जब कि उसको हटा दिया गया है

[श्री कमला सिंह]

तो अब उस हालत में जब कि एक ही मेम्बर शिया सुन्नी मजहब का टर्न अप होकर आयेगा तो उस वक्त सरकार किस तरह से नामिनेशन करेगी। मैं यह समझता हूं कि चूंकि गवर्नमेंट की मजारिटी है जिसको वह चाहेगी उसको ही नामजद कर देगी और जिसको चाहेगी वह एलेक्ट करेगी। ऐसी हालत में इस तरह से बहुत गड़बड़ मच सकती है। गवर्नमेंट साइड के लोग उसमें होंगे जिस तरह से वे चाहेंगे उस तरह से वह मनमाना करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि शिया मजहब के जो मेम्बर हैं उनका सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा।

अब इस ऐक्ट में जहां धारा २ का सवाल है उस २ ए में यह दिया हुआ है कि "The members elected under clause 1 and 2(9)." इसके अन्दर देखा जाय तो ५ मेम्बर तो लेजिस्लेचर के चुने जायंगे और उसके बाद ३ मेम्बर ऐसे हैं जो कि और तरीके से चुने जायंगे। तो यह जो ६ मेम्बर होंगे उनको ८ मेम्बर चुनेंगे। इससे ग़लत फहमी पैदा हो सकती है। जिस समय ८ आदमी चुनाव करेंगे अगर वह बराबर से बंट जाय यानी ४ इधर और ४ उधर तो ऐसी हालत में कठिनाई पैदा होगी। इसलिये अगर ६ रखा जाता या ७ रखा जाता तो इससे फायदा हो सकता था और उससे कठिनाई नहीं पैदा होती। उसका उत्तर मंत्री जी यही देंगे कि उसका हल बाइलाटरी हो जायगा लेकिन एलेक्शन से होने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य तो खत्म हो जाता है। चूंकि रिट हाई कोर्ट में मौजूद है जब तक उसका फैसला न हो जाय तब तक इस कानून का पास होना उचित नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने प्रस्ताव किया है, सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, देश की परिस्थिति बदल जाने से यह निर्विवाद हो गया है कि मुसलिम वक्फ ऐक्ट में तब्दीली लाई जाय। सदन के सभी सदस्य इस बात को जानते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट—१९३५ के बाद या स्वतंत्रता के बाद जो कानून बनाये गये हैं, जैसे जमींदारी अबालीशन ऐक्ट और हमारा कंस्टीटयूशन आफ इंडिया बना है, उनसे जो अधिकार किसी व्यक्ति को या संस्था को मिले हैं उनके कारण आज जरूरी है कि मुसलिम वक्फ ऐक्ट में तब्दीली लाई जाय। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। अगर कोई दूसरी राय पेश करना भी चाहे तो मैं समझता हूं कि कोई गुंजायश उसकी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो पुराने कानून में इनकनसिस्टेंसीज हैं उन्हें दूर करने के लिये यह कानून बनना चाहिये। पहले कानून में भी यह अख्तियार बोर्ड को है कि यदि लेजिस्लेचर के मेम्बरों की तादाद इतनी न हो कि बोर्ड की संख्या को पूरा कर सके तो बोर्ड को अधिकार था कि वह बाहर से किसी को ले सकता है। इसमें शक नहीं कि इस अमेंडिंग ऐक्ट के पास हो जाने से एक तब्दीली जरूर आवेगी और वह इस सदन के गौर करने की चीज है। पहले स्वतंत्रता के पहले के कानून में तो मुसलमानों के लिये पृथक रिप्रेजेंटेशन था और यह निश्चित था कि कोई न कोई मुसलमान शिया हो या सुन्नी हो, अवश्य चुनकर आवेंगे। लेकिन मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक क्या गारंटी है या क्या ऐसा कानून है जिसके ऊपर यह माना जा सकता है कि एक भी शिया मेम्बर इस सदन में चुना जायगा। वैसे तो वातावरण से और दूसरी चीजों से हम कहेंगे कि यह हो सकता है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि कानून के अन्दर क्या व्यवस्था है जिसके आधार पर हम यह मान लें कि एक भी मेम्बर अवश्य चुनकर आ सकता है। आज ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। यह हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो जाय कि एक भी शिया यहां किसी समय चुन कर न आ सके। उस हालत में

जो बोर्ड बनेगा उसमें मेम्बरों को कौन चुनेगा ? जो अमेंडिंग बिल पेश है उससे यह है कि जो शिया प्रतिनिधि लेजिस्लेचर में आवेंगे वही उन बोर्डों के मेम्बरों को चुनेंगे, चाहे १ हो या २ हों या ५ हों। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उस हालत में जब एक भी शिया मेम्बर यहां चुनकर नहीं आयेगा तब क्या होगा? इस बिल से पहले की जो व्यवस्था है उसमें अमेंडमेंट हो रहा है। इसका अफेक्ट बोर्ड के कांस्टीट्यूशन पर भी पड़ता है। मैं समझता हूं कि काबिले गौर बात होगी कि हम यह सोचें कि अगर एक ही मेम्बर आया तो क्या वह एक ही मेम्बर उन ५ मेम्बरों को नामजद करेगा ? यह बात हमें जरा उचित सी प्रतीत नहीं होती इसलिये मेरी राय में इस बात पर सदन को अवश्य ध्यान देना चाहिये। जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता हुई, अगर आवश्यकता है तो अमेंडमेंट जरूर आना चाहिये लेकिन हमें इस बात को भी देखना चाहिये कि कोई दिक्कत न हो जाय। अगर वह दिक्कत आज नहीं तो भविष्य में वह हो सकती है। कानून की व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिये जो सब सरकमस्टैंसेज को मीट कर सके। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि वे किसी न किसी प्रकार इस बात को ध्यान में रखें। हो सकता है कि मैं उसको अच्छी प्रकार से न समझा होऊं अगर ऐसा है तो मैं अपने को दुरुस्त करने के लिये हर समय तैयार हूं (आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन)। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके लिये सदन का और ज्यादा वक्त लिया जाय लेकिन इस कमी को अवश्य देख लिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गौर कर लिया जाय कि जब कोई नहीं आयेगा तो क्या होगा। ऐसी हालत में सदन के मेम्बरों को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह उन सदस्यों को चुनें या जो पहिले से ट्रेडीशन चली आती है, मेम्बरों को नोमीनेट करने की, और जिसके तमाम मुसलमान आदी हो गये हैं, उसको जारी रहने दिया जाय। जिस चीज़ को वे हमेशा से रेस्पेक्ट करते चले आये हैं आज उसको कानून के छोटे से डैश से खत्म नहीं करना चाहिये। ऐसी हालत में यह अधिकार इस सदन को नहीं होगा बल्कि उसी मुस्लिम बोर्ड को होगा जो पहिले से मेम्बरों को नामिनेट करता था। हमें ऐसा काम करना होगा जिससे मुस्लिम फीलिंग्स का रिगार्ड हो और उचित व्यवस्था भी हो सके। जहां तक इस अमेंडिंग बिल का ताल्लुक है सदन को पूरा पूरा अख्तियार है और उसका फर्ज है कि वह उनके लिये कानूनी व्यवस्था करे जो उनके प्रबन्ध और विकास के लिये होनी चाहिये क्योंकि उन्हीं के वोटों से चुनकर हम लोग यहां आये हैं। इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानून के पास होने से उनकी फीलिंग्स तो हर्ट न होंगी। तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि कोई भी कानून इस प्रकार का नहीं बनना चाहिये। क्योंकि गुजिश्ता जमाने का तजुरबा हमें बतलाता है कि जहां सारी जनता की फीलिंग पर कोई आघात पहुंचता है वहां जनता बिलबिला उठती है और इस तरह की कोई चीज़ लाना सरकार के लिये उचित कदम नहीं साबित होता है और न आज तक किसी सरकार के लिये साबित हुआ है। बहुत रिफार्मिस्ट ड्यूज पर जहां की जनता नहीं पहुंच सकती है उसके मुताबिक कानून नहीं बनाना चाहिये बल्कि जनता के साथ कानून को चलना चाहिये और इसी हालत में कानून के साथ जनता को चलने के लिये बाध्य किया जा सकता है ज़ब कि वह ऊंचे स्तर पर न चल सकती हो। वरना आज की दुनिया की जो मामूली बात है, आम प्रैक्टिस की बात है उनमें इस प्रकार का डिटैचमेंट जनता का कानून की प्रगति के साथ नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निहायत अदब के साथ प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्वाइण्ट पर अवश्य गौर फ़रमावें और इस सदन को यह बतलावें कि उस हालत में इस कानून के अन्दर क्या व्यवस्था हो सकती है और जहां कहीं मैंने नहीं समझा हो तो इस ऐक्ट के अन्दर क्या व्यवस्था है।

श्री वसी नक़वी (जिला रायबरेली)---अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट इस वक्त हाउस के सामने है....

श्री सैयद अली ज़हीर---आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर। जो बिल इस वक्त सदन के सामने है उस पर विचार करने का सवाल है।

श्री वसी नक़वी---मुझे यह कहना है कि जो अमेंडमेंट आने वाला है उसके दो टुकड़े हैं। एक में तो यह कहा गया है कि जो एन्यूटी गवर्नमेंट मुत्तवल्लियों को देगी उसमें से ५ परसेंट काट कर वक्फ बोर्ड को दे दिया जाय। यह अमेंडमेंट बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसका जो दूसरा टुकड़ा है जिसके जरिये आल इंडिया शिया कांफ्रेंस के राइट को स्नैच किया जा रहा है, वह बहुत गम्भीर प्रश्न है और उस पर इस सदन को बहुत सोच विचार करके कदम उठाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज पर ग़ौर करें।

श्री सैयद अली ज़हीर---आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस किस्म की कोई तरमीम आल इंडिया शिया कांफ्रेंस के सिलसिले की यहां आयी नहीं है। वह तो एक अलग तरमीम है जो तकी हादी साहब के नाम से दर्ज है। इसमें भी अभी काफी शक है कि वह तरमीम हाउस के सामने आयेगी भी या नहीं आवेगी। हो सकता है कि तकी हादी साहब उसे मूव ही नहीं करें। इस वक्त तो गवर्नमेंट का जो बिल पेश है उस पर विचार करने का मामला पेश है। इसमें आल इंडिया शिया कांफ्रेंस के मुताल्लिक कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना उचित समझता हूं कि इस वक्त बिल की पहली आवृत्ति हो रही है। इस पर जनरल आब्जर्वेशन्स हो सकते हैं। जिस अमेंडमेंट का माननीय सदस्य को अन्देशा है वह अभी सदन के सामने आया नहीं है।

श्री वसी नक़वी---मैं हवाला दे रहा था कि सेक्शन १२ को डिलीट करने और सेक्शन ८ (१) को ऐड करने की बात है तो उसका क्या असर है। उसका असर यह है कि अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने एक सवाल किया कि क्या जरूरत पैदा हुई कि यह अमेंडमेंट हाउस के सामने आवे। सूरत यह है कि अब असेम्बली में तीन शिया मेम्बरान थे और उन्हें पांच आदमियों को चुनना था। हम लोगों से तीन आदमी मिल कर असेम्बली के आये और २ हमने बाहर के लिये। इस पर आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की तरफ से हाईकोर्ट के रिट दाखिल हुआ कि यह राइट शिया कांफ्रेंस को है नामजद करने का और ऐसी हालत में जब कि सदन में पांच सदस्य शिया असेम्बली में मौजूद न हों। लिहाजा इस अमेंडमेंट की जरूरत हुई। अब सवाल यह है कि आल इंडिया शिया कान्फ्रेन्स को पुराने ऐक्ट की रू से यह राइट था कि अगर शिया मेम्बरान असेम्बली में काफी तादाद में मौजूद न हों तो वह नामजदगी आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की तरफ से अमल में आयेगी और ऐसा दो मर्तबा हो भी चुका है। खानबहादुर महबूब हुसैन के मरने पर और अलीहुसैन साहब आफ जान्सर जो कि पिछले असेम्बली के मेम्बर थे उनके मरने पर आल इंडिया शिया कांफ्रेंस ने नामजदगी के हक़ को इस्तेमाल किया था। आल इंडिया शिया कांफ्रेंस वही जमाअत है जिसने हमेशा मुल्क और क़ौम की खिदमत की है। अब सन् १९४५ ई० में जब इंडिया के पार्टीशन का सवाल दरपेश था और जिस वक्त मुसलिम लीग का जहर आलूदा समा हर जगह फैला हुआ था उस वक्त इसी जमाअत ने उस माहौल में यह तजवीज पास की कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिये। यही वह जमाअत रही जो सन् १९२८ से आज तक ज्वाइंट एलेक्टोरेट प्योर ऐंड सिम्पिल को मानती रही और यही वह जमाअत थी जिसने सन् १९३० में नेहरू रिपोर्ट को जिसमें ज्वाइंट एलेक्टोरेट की बात थी सपोर्ट किया था। इसी जमाअत ने अभी पारसाल ही काश्मीर के मसले में इंडिया की पालिसी को सपोर्ट किया तो मैं आप के जरिये इस सदन के मेम्बरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऐसी जमाअत को पैट्रनाइज न करे तो कम से कम उस राइट को जो शिया कांफ्रेंस एक्सरसाइज करती आ रही है उससे स्नैच न करे। मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट के लिये यह विज़डम नहीं होगा कि ऐसी हालत में जब कि प्रांविंशियल

कान्फ्रेंस में रिफ्ट पैदा है उस वक्त हम एक जमाअत को सपोर्ट दें और दूसरी को ऋश करें या उसके राइट को ले लें। लिहाजा मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा और आप के जरिये सदन के तमाम मेम्बरान से और खास तौर से वजीर अदल व इन्साफ से अर्ज करूंगा कि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और इसमें इसका भी इमकान है कि शिया पब्लिक में एजीटेशन हो। लिहाजा उसके ऊपर दोबारा गौर किया जाय ख्वाह सेलेक्ट कमेटी में या गवर्नमेंट खुद करे लेकिन यह सवाल ऐसा नहीं है जो आप यहां आसानी से पास कर लें, यों तो आप पास कर सकते हैं सदन को सभी अधिकार है लेकिन यह डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ़ है कि तीन मेम्बर या दो मेम्बर या एक मेम्बर अगर रिटर्न हो तो वह बैठ कर पांच आदमियों को नामजद कर दे। क्या इसका इमकान नहीं है कि कोई भी शिया रिटर्न न हो तो ऐसी सूरत में क्या प्राविज़न ऐक्ट के अन्दर मौजूद है। आल इंडिया शिया कांफ्रेंस एक रेलीजस बाडी भी है। माननीय रामनरेश जी ने यह कहा था और बिलकुल ठीक बात थी कि यह सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट में शिया और सुन्नी, हिन्दू और मुसलमान इस तरह के रिप्रेजेंटेशन्स नहीं होना चाहिये और शिया सुन्नी के नाम पर एलेक्शन का राइट नहीं देना चाहिये। असली हालत में यह बात बिलकुल सही है लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि यह वक्फ रेलीजस है और आल इंडिया शिया कांफ्रेंस भी एक रेलीजस बाडी है। उस हैसियत से रेलीजस अहकामात के मुताबिक़ वक़्फ़ बोर्ड को चलाने के लिये इस बात की जरूरत है कि उसी कम्यूनिटी के लोग उसमें रखे जांय। लिहाजा रामनरेश जी ने जो बात कही है वह असली हैसियत से ठीक है लेकिन इस वक्त के केस में वह बिलकुल नहीं लगेगी। तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि देखने में तो इस वक्त इसमें सिर्फ सेक्शन १२ को डिलीट किया जा रहा है और सेक्शन ए को ऐड किया जा रहा है। लेकिन उसका असर यही है कि एक रिप्रेजेन्टेटिव बाडी जिसने कौम और मुल्क की ४४ वर्षों से बराबर ख़िदमत की है जिसने हरएक सूबे में अपने जलसे किये हैं जिसका एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिस को आप कम्युनल कह सकें, जिसके पैर में कभी लाजिश नहीं रही है उसके राइट को अगर पेट्रोनाइज नहीं कर सकते हैं, उसके राइट को रहने दीजिये। जिस ट्रेडीशन को कायम रखा है उसको बरकरार रखिये।

इन शब्दों के साथ मेरा ख़याल है कि इस ऐक्ट में किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जैसा ऐक्ट है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री सैयद अली ज़हीर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि एक ऐसे सादे बिल के सिलसिले में इतनी जजबाती तकरीर हुई खासकर आखिरी तकरीर अपने एक ऐसे सदस्य से हुई जो हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी में हैं और हमारे साथ मुंतखिब हुये हैं। अफसोस मुझको ज्यादा यूं है कि उन्होंने ऐसी बातों का हवाला दिया जिस का वजूद भी नहीं। मसलन उन्होंने यह फरमाया कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा ज्वाइंट एलेक्टोरेट को सपोर्ट किया और उन्होंने यह सब बातें कीं। हालांकि शायद वह जानते नहीं कि पार साल के पहले आल इंडिया शिया कांफ्रेंस में बिलकुल सियासत बिलकुल ममनू थी। इससे कोई वास्ता ही आल इंडिया शिया कांफ्रेंस से नहीं था। वह एक ऐसी जमात थी जिस का काम मजहबी और मआशरती उमूर में और इक्तसादी मामलात में वहां रेजोल्युशन पास हुआ करते थे। मुझे यह भी कहना पड़ता है कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस वही जमात है जिसने १७ वर्ष से अपने जिस सेक्रेटरी को चुना वह सेक्रेटरी आज तक कायम है। मुझे यह भी कहना पड़ता है इस सिलसिले में और अफसोस के साथ कि वह जमात है जिसमें हमेशा मुसलिम लीग का एजीटेशन होता रहा और एक लफ्ज कभी पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिम लीग की किसी पालिसी के खिलाफ वहां से बुलंद नहीं हुई। मुझ को यह भी कहना पड़ता है उस सिलसिले में कि वही कांफ्रेंस है जिस की पैट्रोनेज ऐसे हजरात के हाथों में रही जो कि पूरे तौर से सोलहों आने मुसलिम लीग के हामी थे। बहरहाल ये बातें ऐसी थीं

[श्री सैयद अली जहीर]

कि इस प्लैटफार्म पर न आतीं तो अच्छा था। दूसरी जमात आल इंडिया पोलिटिकल शिया कांफ्रेंस शियों की कायम हुई जिस वक्त कि इस तरह से इख्तलाफात पैदा हुये और उसने अलग से शियों को आर्गनाइज किया और पोलिटिकल तौर पर आर्गेनाइज किया और वहां से यह बातें जरूर हुईं जिस का जिक्र बसी साहब ने बहैसियत एक कांग्रेस मेम्बर के किया है। गालिबन उन्होंने इतना मखलूत कर दिया और यह बतलाया कि यह तमाम बातें आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की थीं। मुझ को इसी सिलसिले में यह भी कहना पड़ता है कि जिन इख्तलाफात का जिक्र बार-बार किया गया वह वही इख्तलाफात हैं जो अब इतने बजाहिर नहीं लेकिन दरपरदा उसी जमाने के चले आ रहे हैं। और वही मुखालिफतें चली आ रही हैं। इससे जाहिर है कि अगर कोई साहब भी गौर करेंगे तो यह देखेंगे कि जो हजरात उसी इदारे में १७ वर्ष से करीब हैं जिस वक्त से मुसलिम लीग का शबाब शुरू हुआ और ऐसी हालत में बराबर काम करते रहे आज भी मुखालिफत कर रहे हैं तो उसकी वजह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है यह जो मुखालिफत की जा रही है इस की वजह यह है कि इस किस्म के अख्तियारात उसी जमात के हाथ में रहें जो इतने जमाने से इंतजाम करते आये हैं और उन्हीं अख्तियारात को बदस्तूर इस्तेमाल करती रहे। उस जमाने में मैं अर्ज करूंगा जहां तक कि इस बिल का ताल्लुक है मुझे को इसके मुताल्लिक सिर्फ इतना अर्ज करना है कि इस बिल में जिस जमाने में यह पास हुआ उस वक्त सेपरेट एलेक्टोरेट था। उस वक्त तो यह था कि जो मुसलमान चुन कर आते थे उनमें और जो ऐसी रिलीजस जमातों में थे वहां से जो चुन कर आते थे उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था। वह तो एक ही किस्म के स्लोगंस थे और एक ही किस्म के उसूल थे जिनकी बुनियाद पर वह चुने जाते थे। उसूल उस वक्त यह रखा गया कि यह जमाअतें जो हैं अगर लेजिस्लेचर के मेम्बर उनको मुन्तखिब न करें, तो दफा ९ में जो अल्फाज हैं उनपर गौर करने की जरूरत है। अगर ये लोग मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेचर मुन्तखिब न करें तो ऐसी सूरत में यह अख्तियार होगा कि ये दूसरी जमाअतें उस कमी को पूरा कर दें। मैं यह अर्ज करूंगा कि दफा ९ को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह कहना कि कोई आखरी हक उनको इस किस्म का दे दिया गया ऐसा नहीं था उसमें यह अल्फाज हैं—

"If at any election of members of a Central Board the full number of members is not elected by the local Legislature, the deficiency shall be made of by election of the requisite number of members by the provincial Muslim Educational Conference in the case of the Sunni Central Board and by the Executive Committee of the All-India Shia Conference in the case of Shia Central Board."

यह बातें थीं जिस सूरत में उनको अख्तियार था। जाहिर है कि यह अख्तियार उसी वक्त इस्तेमाल हो सकता था कि जो मेम्बर लेजिलेचर में मुंतखिब होकर आये हैं वह अपने हक को इस्तेमाल न कर सकें, जो हक कि दफा ८ के सबसेक्शन २ में दिया गया है कि-

"One member to be elected in the manner prescribed by the Executive Committe of the All India Shia Conferenec . . . , ...

इससे आपको मालूम होगा कि जहां तक उसूल का ताल्लुक है हम उसको बिलकुल टच नहीं कर रहे हैं। उनको अख्तियार है कि वह एक मेम्बर चुनकर भेजें, लेकिन जहां तक कि दूसरी बात का ताल्लुक है कि उनको इसके अलावा अख्तियार है या नहीं तो आप देखेंगे कि दफा ८ या ९ में जो सूरत है और उसमें जो अल्फाज हैं वह यह हैं कि ५ मेम्बर जो मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेचर हैं उनको मुंतखिब करना है और यह शिया सुन्नी दोनों के लिये बराबर का हक है। क्योंकि दफा ७ में सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के लिये यह लिखा हुआ है कि—

"Five members to be elected in the manner prescribed by the Sunni members of the local legislature."

तो इस वजह से लोकल लेजिस्लेचर्स को जो अख्तियारात पहले से हैं वह उनको अब भी हासिल रहेंगे। सिर्फ यह है कि दफा १२ में जैसा कि मैंने अपनी इब्तदायी तकरीर में कहा था उसमें कुछ ऐसी बातें रखी गयी थीं कि जिस में बाज वक्त यह शक हो सकता था कि जो मेम्बर कि मुन्तखिब होना हों लेजिस्लेचर से वह न हों बल्कि जो बाहर के हैं वह आ जायं तो लाजिमी है कि वह उसको मुंतखिब करें जो उन में से ही हों। तो यह अन्देशा था। अगर ऐसा हो मान लिया जाय तो अगर वह खुद मेम्बर हों तभी तो मेम्बर चुने जा सकते हैं और खुद मेम्बर न हों तो नहीं चुने जा सकते। लेकिन उसका भी कोई डिटरमिनेशन नहीं हुआ। एक सरसरी राय आल इंडिया शिया कांफ्रेंस ने दी। उनके मेम्बर गवर्नमेंट के मेम्बरान से मिले और बतलाया कि नहीं हम तो तैयार हैं मुंतखिब करने के लिये आपको क्या जरूरत है। ला डिपार्टमेंट से एक साहब की राय आ गयी और यह राय हो गयी कि आप अपने यहां से एलेक्ट कर दीजिये। लेकिन उसकी वजह से कानून के माने नहीं बदल सकते हैं और न कुछ और हो सकता है। दफा १२ में यह है—

"After the formation of legislative bodies under the Government of India Act , 1935, the five members of the local legislature referred to in sections 7 and 8 shall be elected as follows :

(*i*) four members by the Sunni or Shia members as the case may be of the provincial Legislative Assembly,

(*ii*) one member by the Sunni or Shia members, as the case may be, of the provincial Legislative Council."

"In the manner prescribed by the Shia members of the local Legislature."

These people are going to be members and they cannot elect any one from amongst themselves.

"Five members to be elected in the manner prescribed by the Shia members of the local legislature."

इसके मानी यह हैं कि यह लोग जो मुंतखिब होंगे उन में से ४ तो असेम्बली वाले एलेक्ट करेंगे और एक को कौंसिल वाले। सन् ३६ में जिस वक्त यह ऐक्ट पास हुआ है उस वक्त इस सूबे में एक लेजिस्लेचर था। मगर सन् ३५ का ऐक्ट जो था वह पास हो चुका था और उसके मातहत दो लेजिस्लेचर होने जा रहे थे। इसलिये दफा १२ में उसी डिफरेंस की तकसीम की गई कि जहां तक कि इन मेम्बरों का ताल्कुक है चार तो लेजिलेचर से जायेंगे लोवर हाउस से और एक अपर हाउस से किया जायगा। इससे ज्यादा कोई और मकसद नहीं था और चुनांचे यही राय हमारे यहां ला डिपार्टमेंट के अफसरान की हुई और इसी के ऊपर अमल हुआ और यही नहीं हमारे भाई वसी साहब जो खुद एक शिया मेम्बर हैं उन्होंने उस एलेक्शन में हिस्सा लिया और दो मेम्बरों को जो कि लेजिस्लेचर के बाहर वाले एलेक्ट किये गये उनके लिये वोट दिया और गालिबन उनकी राय भी उस वक्त यही थी और वह उस पर कायम थे। अब यह दूसरी बात है कि किन्ही असरात के मातहत जैसा कि हमारे श्री राजनारायण जी के पास कुछ हजरात पहुंचे वैसे ही उनके ऊपर भी कुछ असरात पड़े हों ।

श्री बसी नक़वी—आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन, यह बिल्कुल सही है कि मैंने भी वोट दिया और बाहर के दो आदमियों को चुना लेकिन मैं यह समझता हूं कि गांधी जी का तरीका यह रहा है कि अगर कोई गलती हो जाय तो उसको ओन कर लेना चाहिये और उस हैसियत से मैं यह समझता हूं कि अगर यह कांस्टीट्यूशनल गलती हम से हो गई और हमने कोई चुनाव कर लिया है तो हम उसको ओन कर लें। इस हैसियत से मैंने यह तकरीर की ।

श्री सैयद अली जहीर—आपने खैर तस्लीम किया कि गलती है। ऐसे ही मुमकिन है कि आज जो गलती कर रहे हैं उसको आइन्दा आप ओन करेंगे और वह सही होगा यह मुझे उम्मीद है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप भी कुछ तसलीम करने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं तो अगर कोई गलती करूंगा तो जरूर तस्लीम कर लूंगा लेकिन मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूं। तो जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि इस दफा के माने सिर्फ यही हो सकते हैं कि इसके जरिये से वह तकसीम कर दी गई थी और उसमें कोई सवाल जिस समय कि यह क्लाज लिये गये हैं यह नहीं था कि चार मेम्बर जो होंगे वह अपने ही को मूंतखिब कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर उनका मंशा यह होता कि मेम्बरान लेजिस्लेचर महज अपने ही को मुंतखिब कर सकते हैं तो यकीनन वह दफा ८ में उसकी तशरीह कर देते और यह बतला देते कि यह जो मेम्बर हम कर रहे हैं। फाइव मेम्बर्स टु बी एलेक्टेड दे मस्ट बी आउट आफ देमसेल्वस जिसका कि अमेंडमेंट हुआ फ्राम एमंग्स्ट देमसेल्वस जैसा कि १९५१ के अमेंडमेंट में यह अल्फाज इस्तेमाल किये गये थे। अगर उनका यह मंशा था कि जो मेम्बर एलेक्ट होकर आये हैं अगर वही मेम्बर हो जायेंगे शिया बोर्ड के तो कोई वजह नहीं थी कि अगर चार मेम्बर होंगे तो वह आटोमेटिक मेम्बर हो जायेंगे क्योंकि उस वक्त इसके एलेक्शन का सवाल ही नहीं होगा। आखिर लेजिस्लेचर के मेम्बर तो होंगे ही। तो ऐसी हालत में उनको यहां यह लिख देते कि ४ या अगर उससे कम हों तो वह तो खुद बखुद मेम्बर हो जायेंगे। उनके लिये क्या जरूरी है कि वह बैठें और बैठकर अपने को एलेक्ट करें। लेकिन उनका यह मंशा नहीं था। उन्होंने कहा "फाइव मेम्बर्स टु बी एलेक्टेड" इसके माने यह है कि वह लोकल लेजिस्लेचर एलेक्टोरेट बना रहे थे और एक कालेज बना रहे थे कि यह कालेज एलेक्ट करेगा। जो एलेक्ट हो गये हैं वह चाहे तो अपने को करें या दूसरे को करें। बहरहाल यही माने लिये गये हैं और यही करीनेकयास मालूम होता है और जितने लोगों ने इसके ऊपर गौर किया है उनका यही खयाल है कि इसके माने यही हैं। तो इसके ऊपर जब एलेक्शन हो गया लेकिन बावजूद इसके एक रिट अप्लीकेशन दाखिल कर दी गई और....

श्री चन्द्रसिंह रावत—आन एक प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन मैं यह जानना चाहता हूं कि एलेक्टोरेट बन गये, लेजिस्लेचर असेम्बली के मेम्बर्स से कोई मेम्बर नहीं आया..

श्री सैयद अली जहीर—आई बिल रिप्लाई टु दैट प्वाइंट लेटर आन। तो जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसी सूरत में जब कि एलेक्शन यहां के हो गये लेकिन बावजूद इस इलेक्शन के हो जाने के कुछ लोगों ने यह तय किया कि किसी न किसी तरह से बोर्ड के काम को रोका जाय और उन्होंने एक रिट अप्लीकेशन फाइल किया। तो इस वक्त इस बात की जरूरत हुई कि इस मामले को कानून के जरिये से साफ़ कर दिया जाय और जो हमारी राय है उसको इस अमेंडमेंट की शक्ल में बाजे कर दिया जाय।

जहां तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर आगे चल करके कोई सूरत ऐसी पेश आयी कि एक मेम्बर एलेक्ट हुआ या एक भी मेम्बर एलेक्ट न हुआ तो क्या सूरत होगी, मैंने जैसा बार-बार अर्ज किया कि इन सब बातों के लिये हम इस वक्त कोई तब्दीली करने नहीं जा रहे हैं। इसमें बहुत सी तब्दीलियां हमें करनी हैं। जो इनके मिनिस्टर कंसर्न्ड हैं वह एक काम्प्रहेंसिव बिल तैयार कर रहे हैं। जब वह बिल आयेगा तब यह सूरतें जो नयी पैदा हुई हैं उनके ऊपर गौर किया जायगा और जो-जो जरूरतें होंगी उनके लिये तरमीम की जायगी। वह एक जनरल ऐक्ट होगा लेकिन जो इमिजिएट डिफिकल्टीज हैं, जो वक्फ बोर्ड बने हुये हैं उनके सामने जो फौरी दिक्कतें हैं जिन की वजह से उनका काम रुका हुआ है। उन दिक्कतों को रफा करने के लिये मौजूदा

छोटा सा तरमीमी बिल आप के सामने पेश किया गया है। जहां तक कांटिनजेंसी का सवाल है कि किसी बोर्ड का एक भी मेम्बर न हो, उसके लिये हम दूसरे बिल में गौर करेंगे और कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। बहरहाल, एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि इसी खयाल से आगे लिखा हुआ है कि अगर यह मेम्बर मुन्तखिब नहीं होंगे या एक भी मेम्बर मुन्तखिब न हो, तो उस केस में गवर्नमेंट को अल्टीमेटली यह राइट होगा कि वह अपनी तरफ से नामजद करदे मेम्बर्स फार दी वक्फ बोर्ड। यह तो इस ऐक्ट में पहले से दिया हुआ है लेकिन बहरहाल आया इसे हम रखेंगे या इसको बदलेंगे यह एक जनरल क्वेश्चन है और इसके ऊपर हम को इस वक्त गौर करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा मुश्किलात हमारे बोर्ड्स को पेश आयीं, जिनकी वजह से काम रुका हुआ था और तमाम आर्गेनाइजेशन्स सफर कर रहे थे, उनको इमीजिएटली दूर करने के लिये जरूरी तरमीमात इस बिल में पेश की गयी हैं।

जहां तक राजनारायण जी ने कहा, उन्होंने मिनजुमला यह भी कहा कि मैथड आफ एलेक्शन इसमें बड़ा रिएक्शनरी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि रिएक्शनरी से उनका मतलब क्या है। यह सभी मेम्बरान को मालूम है अब की मर्तबा पहले पहल ज्वाइण्ट एलेक्ट्रेट की बिना पर हमारे मुल्क में चुनाव हुआ है। अगर हम उन शियों को राइट देते हैं कि उनको हक है कि वह अपना नुमाइन्दा चुनें, और वह सुन्नी मेम्बर जो ज्वाइण्ट एलेक्शन से चुन करके आये हैं वह अपने नुनाइंदा चुनें, तो यह ज्यादा लिबरल है और डिमोक्रैटिक है, या यह है कि हम किसी रेलीजस आर्गेनाइजेशन को और एक्सक्लूसिवली शिया और सुन्नी आर्गेनाइजेशन्स को राइट दे दें कि तुम अपने मेम्बरों को चुन लो। ऐसी हालत में उनकी तारीफ रिएक्शनरी की दूसरी है या वह समझे नहीं हैं कि जो हम कर रहे हैं वह क्या चीज है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है हम यह कर रहे हैं कि हम ऐसे आदमियों को राइट दे रहे हैं जो अपने एलेक्ट्रेट का ज्यादा से ज्यादा कांफिडेंस एंजाय करते हैं और यही नहीं कि वह महज अपने को चुनें बल्कि वह दूसरों को भी अपनी जगह पर चुन करके भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही डिमोक्रैटिक तरीका है एलेक्शन का बजाय इसके कि एक पार्टी को राइट दिया जाय।

जहां तक आल इंडिया शिया कांफ्रेंस का ताल्लुक है, एक चीज यह भी देखने के काबिल है कि आज के माहौल में, जिस तरह से हमारे कंट्री का कांस्टिट्यूशन है, एक आल इंडिया बाडी को हमारे प्रांविशल मामलात में कोई राइट होना चाहिये या नहीं। तकी हादी साहब ने जो तरमीम की है उसमें वह यह चाहते हैं कि बजाय एक आल इंडिया बाडी के जो एक प्रांविशल बाडी है उसको यह राइट होना चाहिये जैसा कि खुद इसी दफा में जहां तक कि एजूकेशनल कांफ्रेंस का ताल्लुक है प्रांविशल एजूकेशनल कांफ्रेंस को राइट दिया गया है। वाकया यह है कि चूंकि उस वक्त कोई प्रांविशल बाडी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, इस वजह से ऐसा किया गया था कि आल इंडिया बाडी को राइट दे दिया गया था। बहरहाल यह भी एक मामला है और इसमें बहुत से इख्तिलाफात हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक न इस जमात से है और न दूसरी जमात से है। वह तो तय हो करके चलेगा। जहां तक तकी हादी साहब के अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मुझे यह भी यकीन नहीं है क्योंकि इसका आपको फैसला करना होगा कि आया वह इन आर्डर भी है अमेंडमेंट या नहीं। वह तो एक दूसरी चीज है लेकिन बहरहाल मैं यह समझता हूं कि वह एक अमेंडमेंट है। वह एक उसूल पर मबनी है। अगर इस वक्त नहीं हो सकेगा तो मैं समझता हूं कि आइन्दा पेश किया जाय दूसरी शक्ल में। तो उसको हमें कब्ल अज वक्त डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बातें कही गयी मेरे खयाल में वे कुछ ऐसी अहमियत की नहीं हैं जहां तक मैं समझा। जो तरमीमात दूसरी थीं वे ऐसी थीं कि जिन पर कोई ज्यादा इसरार नहीं किया गया। और इस पर भी, उन्हीं की पार्टी के जो सब से बड़े लाइयर जिन्हें मैं यह कह सकता हूं, निहालुद्दीन साहब जिनका सोशलिस्ट पार्टी में ला से कुछ प्रैक्टिकल ताल्लुक है उन्होंने तो मुझको सपोर्ट किया और यह कहा कि यह जो तरमीम है वह उस माने को जो कि ऐक्ट का होना चाहिये उसको साफ करती है

[श्री सैयद अली ज़हीर]

और कोई नया अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसी कि एक पुरानी अंग्रेजी की मसल है " fools rush in when angels fear to tread " (मूर्ख वहां बेधड़क चले जाते हैं जहां सज्जन जाने में डरते हैं।) वह ठीक ही है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ उसकी वजाहत की जा रही है। एक बात मैं और कह दूं कि जहां तक ऐक्ट की जिम्मेदारी है सन् १९३६ के तो उस वक्त हाफिज इब्राहीम साहब और मैं दोनों उस लेजिस्लेचर के मेम्बर थे जिसने इस ओरिजिनल ऐक्ट को पास किया था और इसके करीब-करीब हर पहलू से हम लोग वाकिफ रहे हैं। बहरहाल यह सूरत है और ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि जैसा कि मैंने पहले बयान किया था, बावजूद राजनारायण साहब के नाराज होने के मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि यह कोई बड़ी अहमियत का बिल नहीं है। लेकिन आपोजीशन के लिये तो यह चाहिये, कोई बहाना होना चाहिये जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर अपनी लाठी चला सकें और मुखालिफत कर सकें। अगर एक जमात वाले उनके पास पहुंच गये और उन्होंने कुछ उनको बतला दिया तो वह उनके लिये काफ़ी हो गया। अगर वह यह समझते कि उन आब्जेक्शन्स में कोई अहमियत थी और वह वाकई जानना चाहते तो वह मुझसे कहते तो मैं उनके पास दूसरे लोगों को भेज देता जो दूसरा प्वाइण्ट आफ व्यू उनके सामने रख देते तब शायद वह समझते कि दुरुस्त चीज क्या है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, गरज यह नहीं कि असलियत को दरियाफ्त करें या यह देखें कि वाकई इस बिल में क्या फोर्स है और किस गरज से आया है लेकिन चूंकि वह गवर्नमेंट की तरफ से आया है इसलिये मुखालिफत करेंगे। बहरहाल, जो कुछ उन हजरात ने कहा उसको और जो कुछ मैंने अर्ज किया उसको सुनने के बाद वह समझेंगे कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई वजह नहीं है। यह तो महज एक्सप्लेनेशन के लिये है कि जो डाउट्स ऐक्ट में हैं उनको साफ कर दे। एक हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन का सवाल है। मैं अर्ज करूंगा कि यह कोई नयी चीज नहीं है। यह हमेशा होता है। एक हाई कोर्ट की बेंच एक राय देती है और दूसरी बेंच दूसरी राय देती है और फुल बेंच आ कर के दोनों को ओवर रूल कर के तीसरी राय दे दिया करती है। इसी तरह से लेजिलेचर को भी अख्तियार है कि अगर उसको मालूम हो कि कोई मामला डाउटफुल है और मंशा कुछ है तो उसको हर वक्त जाहिर कर सकती है। इसकी जरूरत नहीं है कि हाई कोर्ट की मरजी के ऊपर छोड़ दे। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तो लेजिस्लेचर का इनहेरेंट राइट है। और अभी बहुत दिन भी नहीं हुये, जब हमारे जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था उस वक्त कांस्टीट्यूशन में बाज बातें ऐसी मुबहम थीं जिनको क्लेरीफाई करने के लिये अमेंडमेंट करना पड़ा और कब्ल इसके कि अपील का फैसला हो कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया गया और कांस्टीट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद जो प्वाइण्ट्स रेज किये गये थे वे सब बेकार हो गये। तो यह तो होता रहता है। कोई नई बात नहीं है और न यह समझना चाहिये कि यह उसकी वजह से किया गया है बल्कि लीगल ओपीनियन को ले कर हमने यह समझा कि ऐक्ट को क्लेरीफाई कर दिया जाय ताकि कोर्ट प्रापरली काम कर सकें।

श्री राजनारायण—पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे पास केवल एक पक्ष नहीं आया था और हम सुबह से इस कोशिश में थे और हमने माननीय मंत्री जी की खिदमत में श्री निहालुद्दीन को भेजा भी था कि वह इस ऐक्ट की बारीकी बतलावें और उनको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये राजी करें। लेकिन माननीय मंत्री जी अपनी जिद पर रहे इस बिल को पास कराने के लिये और हमारी सब कोशिश बेकार गयी। मैंने इसलिये अर्ज कर दिया ताकि सदन में भ्रम पैदा न हो। मैंने अपने साथी को आप की खिदमत में भेज कर आप को राजी करने की कोशिश की थी।

श्री सैयद अली जहीर—मैं फिर अर्ज कर दूं क्योंकि वाक़या बिलकुल ग़लत है। जब मैंने अमेंडमेंट निहालुद्दीन साहब के नाम में देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने अपना

आदमी उनके पास भेजा। वह मेरे यहां तशरीफ ले आये और उन्होंने मुझसे बात-चीत की और एक लफ्ज भी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये उन्होंने मुझसे नहीं कहा। बातचीत के बाद उन्होंने यह भी कहा था कि वह मुझे रिपोर्ट करेंगे और अपने अमेंडमेंट को मूव नहीं करेंगे और कल्बे अब्बास साहब भी मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आदि में यह कहा था कि कोई प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का नहीं है। अब एक प्रस्ताव आ गया है और कई माननीय सदस्यों ने भी इस तरह का सजेशन अपने भाषण में दिया है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी समझता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस संशोधन विधेयक १९५२ एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करे। नामावली बाद में दे दी जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में——१४

विपक्ष में—१४४।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) (विधेयक) १९५२ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ का संशोधन।

२—यू० पी० मुस्लिम वक्फस ऐक्ट, १९३६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ७ के खंड (ii-B) में शब्द "the Board" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"the members elected under clause (i) to (ii-A) above"

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में (ii-A) के स्थान पर (ii) रख दिया जाय।

मुस्लिम वक्फस ऐक्ट की धारा ७ ए को पढ़ा जाय तो उसमें दिया हुआ है—

"The Sunni Central Board shall consist of five members to be elected in the manner prescribed by Sunni members of the Jocal Legislature."

चूंकि चार मेम्बर्स डिस्ट्रिक्ट वक्फस कमेटीज के जरिये आये इसलिये १९५१ के अमेंडमेंट के जरिये यह बिल तीन हिस्सों में बांट दिया गया। पहला यह था—

"Two members to be elected from amongst themselves by the Sunni Muslim members of the Advocates Association, Allahabad, Bar Library and Bar Association, Allahabad, and Oudh Bar Association, Lucknow, in the manner presrribed."

उसके बाद जो दो मेम्बर्स बचे उनमें से १ का नामिनेशन २ ए के जरिये इस प्रकार होता था—

"One member to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the members of the working committee of the Provincial Jamia-Ulema, Uttar Pradesh."

[श्री कमला सिंह]

२ बी में जो मेम्बर्स हैं, जो स्पेशल नालेज इन एकाउंटेंसी रखता है उसको बोर्ड के जरिये कोआप्ट किया जाता है । इसमें यह जो "बोर्ड" शब्द है उसके स्थान पर इस अमेंडमेंट के जरिये यह शब्द रखने के लिये कहा गया है--

"Four members to be elected in the manner prescribed by the District Waqf Committees."

इससे मतलब यह हुआ कि ५ मेम्बर्स जो लेजिस्लेचर के मेम्बर्स हैं वे रहें, दो मेम्बर्स एडवोकेट एसोसियेशन के हों और एक मेम्बर जमियत-उल-उलमा, उत्तर प्रदेश की तरफ से हों । इस तरह से ८ मेम्बर्स चुने गये। अगर ८ मेम्बरों को अपने किसी एक मेम्बर को नामजद करने के लिये मौका दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह ठीक न होगा । क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ४ आदमी एक को नामजद करें और ४ एक को नामजद करें। एलेक्शन का मक़सद यह होता है कि एक सही आदमी का चुनाव हो तो वह एलेक्शन का मक़सद इससे खत्म हो जाता है । उस वक्त ऐसा होने पर लाटरी से इसका निर्णय किया जायगा लेकिन एलेक्शन का मतलब कभी भी लाटरी नहीं हो सकता है । यह तो परिस्थिति ऐसी है कि कभी ऐसा हो सकता है लेकिन जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसके अन्दर इस चीज को मानना चाहिये कि बिला किसी शक व शुबहा के किसी आदमी का चुनाव होना चाहिये और ऐसा ही आदमी चुन कर आना चाहिये। इसलिये अगर यह २ ए के मुताबिक जमाअत-उल-उलेमा उत्तर प्रदेश का एक आदमी अगर न आये और उसको छोड़ दें और ५ असेम्बली के और २ एडवोकेट एसोसियेशन के आते हैं तो इन सात मेम्बरों से काम चल सकता है और वे बहुत आसानी से २ मेम्बरों का चुनाव कर लेंगे और यह दिक्कत हल हो जायगी। इसलिये जो संशोधन मैंने इस सदन के सामने पेश किया है मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इसको समझा नहीं है वरना शायद वह ऐसी तरमीम यहां पर न लाते । असल बात यह है कि सन् ५१ में यह ऐक्ट अमेंड किया गया और उसकी दफा ७ के कई टुकड़े कर दिये गये उसके मुख्तलिफ सबब थे लेकिन उसमें जो तरीका चुनाव का था वह ऐक्ट में बदल दिया गया । उस दफा ७ में यह है कि --

"Four members to be elected in the manner prescribed by the District Waqf Committees."

डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी सालहासाल गुजर गये हैं लेकिन अब तक नहीं बनी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इस ऐक्ट में आगे चल कर यह एक दूसरी जमाअत को दे दिया गया उसमें यह है कि-

"Two members to be elected from amongst themselves by Sunni Muslim members of the Advocates Association, Allahabad, Bar Library and Bar Association, Allahabad, and Oudh Bar Association, Lucknow, in the manner prescribed."

(इस समय ३ बज कर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

अब इसमें इस तरह से कर दिया गया कि---

"One to be elected in the manner prescribed by the members of the working committee of the Jamait-Ulema, Uttar Pradesh."

उसके बाद यह इस तरह से हो गया---

"One member who shall be a Sunni Muslim possessing a special knowledge in Accountancy to be co-opted by the Board."

जो बाई बोर्ड होगा उसके लिये इस तरह से है कि---

"The members elected under clauses (i) to (ii-A) above."

यह जो मेम्बर बाई बोर्ड लिये जायंगे यह उस वक्त लिये जायंगे जब बोर्ड बनेगा और तभी यह मेम्बर कोआप्ट हो सकते हैं। मन्शा यह है कि यह ८ मेम्बर तो वह हैं जो ऊपर लिये हुये हैं। और यह आठ मेम्बर किसी एक मेम्बर को जो स्पेशल नालिज अकाउण्ट की रखता हो उसको चुनेंगे । इसमें बोर्ड की जगह पर यह अल्फाज रख दिये गये हैं——

"Sunni Muslim possessing special knowledge in Accountancy....."

यह जो ८ मेम्बर हैं जो चुने जायंगे यानी ५ मेम्बर तो वही और ३ मेम्बर बार एसोसियेशन से आयेंगे तो यह मिल कर एक मेम्बर को कोआप्ट करेंगे जो जमायत-उल-उलेमा का होगा । यह उसको कोआप्ट करेंगे । दफा ३ में इसके लिये यह दिया हुआ है कि——

"Three members to be co-opted by the above nine members from persons whom they regard as ulemas, and two members from among mutawallis, "

यह जो दफा ३ है उसके मुताबिक जब तक ९ मेम्बर पूरे नहीं हो सकते हैं तो कोआप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ८ से गड़बड़ होगी इसलिये एक आदमी और मिल कर जब यह ९ आदमी हो जायंगे तब इन ३ मेम्बरों को कोआप्ट करेंगे । इस वजह से मैं अर्ज करता हूं कि इस तरमीम के अन्दर कोई उसूल की बात नहीं है । यह ऐक्ट महज उसको तौसीअ बढ़ाने के लिये यहां पर लाया गया है।

श्री कमला सिंह——अभी माननीय मंत्री ने यह बतलाया था कि पहले जो संशोधन १९५१ में लाया गया उसमें बाई दि बोर्ड रखा गया है । यह उस समय होता है जब कि बोर्ड के एलेक्शन्स पूरे हो जावें । ८ मेम्बर चुने जाने के बाद आगे कोआप्शन होगा । इस तरह से २ बी के अन्दर १ कोआप्शन आता है और दूसरा ३ के अन्दर। उसके पहले बोर्ड के मुकम्मल होने के लिये प्रेसीडेंट का होना भी जरूरी है । जैसा कि मेरा अमेंडमेंट आगे है । अगर माननीय मंत्री जी यह मान लें कि ७ से ही काम हो जाता है तो मुझे विरोध करना नहीं होगा। लेकिन बोर्ड उस समय पूरा होगा जब कि इलैक्टेड मेम्बर्स और प्रेसीडेंट आ जावें । तब कोआप्शन का सवाल उठता है । उस समय २ बी और ३ में ३ मेम्बरों का कोआप्शन होगा। अगर माननीय मंत्री जी इसे नहीं मानें और प्रेसीडेंट वाले को ही मान लें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सैयद अली जहीर——मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में (ii-A) के स्थान पर (ii) रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में (ii-A) के पश्चात् शब्द "and (iv) the President" बढ़ा दिये जावें।

जो धारा ७ अभी मैंने भवन के सामने अपने पहले संशोधन के सम्बन्ध में पढ़ी थी उसमें ५ मेम्बर लोकल लेजिस्लेचर के जरि इलैक्ट होते हैं और ८ मेम्बर जो डिस्ट्रिक्टबवम कमेटी के जरिये इलेक्ट होते थे उनको ३ हिस्सों में विभाजित किया गया था । २ एडवोकेट एसोसियेशन से इलैक्ट हो कर आते हैं और १ जमियत-उल-उलेमा से आता है । उसके बाद २ तरह के कोआप्शन होते हैं । एक बाई दि बोर्ड और जैसा मैंने पहले कहा था १ व्यक्ति जो स्पेशल नालिज इन एकाउंटेंसी रखता हो वह बोर्ड के जरिये कोआप्ट किया जाता था और उसके बाद ३ मेम्बर मुतवल्लियों में होते थे । इस तरह कोआप्शन की २ स्टेजेज हैं। कोआप्शन उसी समय हो सकता है जब कि बोर्ड के तमाम मेम्बर चुनकर आ गये हों और वह बोर्ड पूरा हो जाय। बोर्ड पूरा तभी होगा

[श्री कमला सिंह]

जब कि प्रेसीडेंट भी चुन लिया जाय । उसके बाद भी कोआप्शन हो सकता है । मैं यह उचित समझता हूं कि यह बोर्ड शब्द जो हटाया गया है उसके स्थान पर जैसा कि अमेंडमेंट है वैसा रख दिया जाय । इसमें जहां तक प्रेसीडेंट का सवाल है , यह हो सकता है कि वह पहले चुन कर आये या बाद में आवे । इस तरह से प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये एक की जगह ९ मेंम्बर हो जायेंगे । ९ मेम्बर ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किसी भी मेंम्बर का कोआप्शन हो सकता है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती । इस्तदुआ करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को मान लेंगे और हमारे इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कीम थी वह यह थी कि पहले मेम्बर चुने जायेंगे और वे जगह जगह से चुने जायेंगे उसके बाद वे कोआप्ट करेंगे । पहले एक कोआप्शन होगा फिर दूसरा होगा उसके बाद प्रेसीडेंट इलेक्ट होगा, उसके बाद बोर्ड बनेगा । यह मेरी समझ में नहीं आया कि ८-९ आदमी मिल कर पहले प्रेसीडेंट को चुन लें । मेरे ख़याल में तो बिलकुल घोड़े के आगे गाड़ी रखने की सी बात होगी ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शुक्ल जी जरा कृपा करके अपनी जगह बैठ जायं क्योंकि एक समय में एक से अधिक मेम्बर खड़े नहीं हो सकते ।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेरी समझ में नहीं आया कि उनका मक़सद क्या है । पहले पूरा बोर्ड होना चाहिये तब प्रेसीडेंट का चुनाव होना चाहिये इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को मंजूर नहीं कर सकता ।

श्री कमला सिंह—मुझे इसके मुताल्लिक़ और कुछ कहना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में (ii A) के पश्चात् शब्द " and (iv) the President" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट, १९३६ की धारा मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद निम्नलिखित धारा ८–ए के रूप में जोड़ दिया जाय:

८ का संशोधन ।

"8-A. Nothing in section 7 or 8 or in section 12 ommiitted by section 5 of the U. P. Muslim Waqfs (Sanshodhan) Adhiniyam 1952, shall be deemed ever to have required that the members to be elected by the members of the State Legislature shall be from amongst the members for the time being of any House of the said Legislature."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ८–ए के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that the five members of the State Legislature mentioned in clause (i) shall be elected out of a penal of 15 members recommended by the All India Shia Conference and U. P. Shia Conference."

अध्यक्ष महोदय, सुबह इस विधेयक के सिद्धान्तों पर विवाद के समय मैंने कुछ उद्गार प्रकट किये थे और साथ ही साथ एक राज भी मैंने सदन के सामने पेश करने की कोशिश की थी। मुझे खुशी है कि वह मसल सच्च निकली कि "जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले"। इस बिल की धारा १ को पेश करते वक्त माननीय न्याय मंत्री ने उसको बहुत ही मासूम और नन्हीं सी बात बता कर उसको मंजूर कर लेने की अपील सदन से की और चाहा कि उसका राज लोगों को मालूम न हो और वह यूं ही पास हो जाय। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय नक़वी साहब ने हर्फ व हर्फ वही तक़रीर की जो मैंने कहा था। उन्होंने बताया कि धारा १ से शियाओं में रिफ्ट (फूट) पैदा हो जायगी जो न तो कांग्रेस और न कांग्रेस सरकार को ही शोभा देगी। मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि वह कहीं अनजाने में ऐसा कोई काम न कर बैठें जिससे शिया कौम की बहबूदी का ख़याल रखते हुये भी उनका नुक़सान हो जाय। इसीलिये हमने यह कहा था कि विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जिससे यह झगड़ा आसानी से सुलझ सके। जहां तक शिया कम्युनिटी का ताल्लुक़ है मैं यह समझता हूं कि अगर किसी ने एक मर्तबा भी कर्बला की लड़ाई का हाल पढ़ा है या उनकी मजलिसों में शरीक हुआ है तो वह निस्संदेह यह समझ सकता है कि शिया कौम हमेशा से कितनी बहादुर कौम रही है। और आज मुझे अफसोस होता है कि ऐसे विधेयक और अमेंडमेंट को लाकर इस बात की कोशिश की जा रही है कि शिया कम्युनिटी में रिफ्ट बढ़ा कर, किसी न किसी तरह से हर एक को किसी न किसी आनरेबिल मेम्बर या मिनिस्टर के साथ रहने के लिये मजबूर किया जाय। अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि साहब, यह तो एक मासूम सा संशोधन है और उन्होंने तसलीम किया कि यह अमेंडिंग बिल सिर्फ इसलिये लाया गया है कि आज कल हाईकोर्ट में एक रिट है और उसके ऊपर आर्डर हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, जाहिरा तो यह संशोधन बहुत नन्हा सा मालूम होता है लेकिन अगर बोर्ड के मेम्बरों की संख्या देखें तो उसमें सिर्फ ११ मेम्बर हैं और अगर प्रेसीडेंट इनक्लूडेड न हो तो १० ही मेम्बर हैं। इस अमेंडिंग बिल के जरिये सरकार का इरादा ग़लत कार्यवाही कराने का है ताकि किसी न किसी तरह से सेंट्रल यू० पी० वक्फ बोर्ड में उसके पक्ष के मेम्बरों की अक्सरियत हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा विचार है कि जहां तक मुसलमानों का या किसी कम्युनिटी का सवाल है उसके रिलेजस बाडी में कोई हस्तक्षेप किसी को न करना चाहिये। उनको खुद ही अपना मैनेजमेंट करना चाहिये। हम सभी जानते हैं कि आल इंडिया शिया कांफ्रेंस एक ऐसी संस्था है जो पिछले ४४ वर्षों से मुसलमानों के लिये और खासतौर से शिया कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती रही है। और माननीय न्याय मंत्री जी ने खुद इसको तसलीम किया है कि जो उनके अन्दर हाई कोर्ट के सामने जो writ है उसी को बेकार करने के लिये यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। ऐसी सूरतों में और अमेंडिंग बिल लाये जाते रहे हैं यह इस संबंध में भी कहा गया कि कंस्टीट्यूशन आफ इंडिया बदला गया। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हमेशा किसी चीज का बदलाव अच्छा ही होता है। माननीय मंत्री जी का इरादा यह हो सकता है कि शिया कम्युनिटी की बहबूदी का नाम लेकर इस तरह से कानून बदला जाय ताकि उनके पक्ष को लाभ हो। अगर यह बात नहीं है तो माननीय न्याय मंत्री जी को चाहिये था कि वे इस झगड़े में न पड़ें और इस विधेयक को जल्दी में न ला कर प्रवर समिति में भेज देते, जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया था और इस बात की पूरी कोशिश करते कि वे आपस में ही किसी न किसी तरह से अपने झगड़े को खत्म कर दें। इससे यह होता कि शिया कम्युनिटी में मेल हो जाता, फिर एक व्यापक संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित किया जाता। उनको चाहिये था कि वे शिया कांफ्रेंस का स्वयं बायकाट करते और आपस में मेल कराने की कोशिश करते। पूरा मेल होने पर ही वह अध्यक्ष महोदय, शामिल होते, लेकिन ऐसा नमूना पेश नहीं किया गया। माननीय न्याय मंत्री जी ने फरिश्ता होने का भी दावा किया है। मैं मान सकता हूं कि वे फरिश्ता हैं लेकिन उनके

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

फरिश्ता होने से फायदा ही क्या है जब कि उनकी कम्युनिटी को ही उनसे कोई फायदा न पहुंचे। जैसा कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था और विरोधी दल का अपमान करते हुये कहा था "फूल्स रश इन व्हेयर ऐंजिल्स फीयर टु ट्रेड" । तो यदि वे सचमुच अपने को ऐंजिल साबित करना चाहते हैं और सारी दुनियां के अन्दर अपने को नुमायां करने की कोशिश करते हैं तो वे पहले अपने हाउस को ही दुरुस्त करते। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जहां विरोधी दल के सदस्य सरकार की गलत नीति का विरोध करें वहां उनका यह भी फर्ज हो जाता है कि सरकार का कोई माननीय सदस्य अगर अपने गुड आफिसेज का नाजायज फायदा उठा कर कोई काम करना चाहता है तो उसको हाउस के सामने और पब्लिक के सामने लावें। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा ११ मेम्बरों के बोर्ड में अपनी मैजारिटी हासिल करने की कोशिश की गयी है। अगर आप इस संशोधन बिल को देखें तो उसके क्लाज ८ में यह लिखा हुआ है —

"Nothing in sections 7 or 8, or in section 12 ommitted by section 5 of the U. P. Muslim Waqfs (Sanshodhan) Adhiniyam, 1952, shall be deemed ever to have required that the members to be elected by the members of the State Legislature shall be from amongst the members for the time being of any House of the said Legislature."

अध्यक्ष महोदय, जब पिछली नजीरें मौजूद हैं तो फिर उसे न मानने के क्या माने हैं। इस नयी धारा में यह रखने की कोशिश की गई है कि कभी यह न समझ लिया जाय कि इसके माने यह थे कि लेजिस्लेचर के मेम्बरों के अलावा बाहर के लोगों में से जगह खाली होने पर शिया लोग नहीं लिये गये थे। अध्यक्ष महोदय, जब नजीरें मौजूद हैं और सन् १९४९ में कांग्रेस मिनिस्ट्री मौजूद थी और जब महबूब हुसैन खां फैजाबाद का स्वर्गवास हुआ तो इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसी दफा ९ को इंटरप्रेट किया और इस एक जगह की पूर्ति आल इंडिया शिया कांफ्रेंस की तरफ से कराई गई। यह कहना कि आज की कांग्रेस सरकार ठीक है और कल वाली कांग्रेस सरकार जो थी वह ठीक नहीं थी यह कांग्रेस सरकार का अपमान है और उसकी अयोग्यता का प्रदर्शन करता है तो ऐसी हालत में हमने जो प्राविजन लगाया है उसमें हमारा इरादा है कि शिया कम्यूनिटी में रिफ्ट न हो और काम ठीक हो। अध्यक्ष महोदय, जो प्राविजन हमने रखा है उसके जरिये जरूरत होने पर जब इस असेम्बली में पांच शिया मेम्बर न हों तो खाली जगहों की पूर्ति के लिये आल इंडिया शिया कांफ्रेंस और यू० पी० शिया कांफ्रेंस से १५ आदमियों का एक पैनेल यह हाउस मंगवाये और उसमें से पांच आदमियों का चुनाव हो जाय। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिया कांफ्रेंस दो हैं और इससे आल इंडिया शिया कांफ्रेंस में और यू० पी० शिया कांफ्रेंस में झगड़ा हो सकता है तो यह ऐसा संशोधन है जिससे दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन यह भी दलील बेकार है इसलिये कि अगर यह सभा इस संशोधन को स्वीकार कर ले तो माननीय न्याय मंत्री का और उनकी कम्युनिटी के लोगों का लाजिमी फर्ज हो जायगा कि वे इस बात की हद दरजे कोशिश करें और किसी न किसी तरह से आपस में मिल कर एक हो जांय और किसी न किसी तरह से एक ऐग्रीड लिस्ट आ जावे। हमारा संशोधन, हमारा यह दावा है कि, शिया कम्युनिटी का वेलफेयर चाहता है और रिफ्ट को खत्म करना चाहता है। यह खुशी की बात है कि अच्छा आफिस होल्ड किया जाय लेकिन एक आदमी जिस कम्युनिटी से निकलता है और उसे यहां रिप्रेजेंट करता है उसका फर्ज है कि उसके वेलफेयर के लिये कोशिश करे।। अध्यक्ष महोदय, आगे नम्बर ४ पर एक संशोधन मुहम्मद तकी हादी साहब का है कि यू०पी० शिया कांफ्रेंस (रजिस्टर्ड) को जगहें भरने का मौका दिया जाय रजिस्टर्ड होने का लाजिमी नतीजा यह नहीं होता कि वह कांफ्रेंस शिया कम्युनिटी की बहुत बड़ी नुमाइन्दगी करती है।

श्री अध्यक्ष—एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप यह प्राविजन 8-A में जोड़ना चाहते हैं लेकिन उसका तुक कैसे मिलता है। आपका यह संशोधन उसमें प्रतिबन्ध

लगाना चाहता है कि Provided that five members of the state Lagislative etc. में समझता हूं कि 8-A में कुछ स्पष्टीकरण किया गया है कि केवल लेजिस्लेचर के सदस्य मेम्बर्स चुने जायेंगे यह कानून की मन्शा नहीं है इसमें ये शब्द हैं :—

"Nothing in section 7 or 8, or in section 12 omitted by section 5 of the U. P. Muslim Waqfs (Amendment) Act 1952, shall be deemed ever to have required that the members to be elected by the members of the State Legislature shall be from amongst the members for the time being of any House of the said Legislature."

सिर्फ इस चीज को वह साफ करता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि इस लेजिस्लेचर के मेम्बर ही बोर्ड के मेम्बर हो सकते हैं। लेकिन आपका संशोधन जो प्रतिबन्ध लगाता है यह है कि पांच वहां से हों जो पैनेल आये उसकी कोई तुक मिलती नहीं है। या तो आप मूल ७ और ८ धारा में संशोधन कर देते जहां यह सवाल था कि मेम्बर्स इस तरह के चुने जायंगे उसका प्रतिबन्ध यह हो सकता था लेकिन स्पष्टीकरण की धारा 8 A का प्रतिबन्ध यह कैसे हुआ यह समझ में नहीं आया। इसको जरा स्पष्ट करें कि यह कैसे इसका प्रतिबन्ध है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इसमें यह शंका हो सकती है कि जो सरकार की तरफ से संशोधन पेश किया गया है उसमें वह यह चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के सदस्य न हों और इस बात का क्लेरिफिकेशन करने के लिये हम भी तसलीम करते हैं कि हम चाहते हैं कि बाहर के सदस्य हों इसमें हमारा विरोध नहीं है जगहें खाली होने की हालत शिया कांफ्रेंस की नामावली में से वह जगहें भरी जायं वही हम चाहते हैं हम कोई विरोध नहीं करना चाहते कि बाहर के सदस्य न हों ।

अगर बाहर के सदस्य न हों तो उसमें दिक्कत पैदा हो जायगी। अगर कोई शिया मेम्बर आया ही नहीं तो उसके लिये क्या होगा। ऐसी सूरत में इस सिद्धांत को मानते हुये हम एक प्राविजो रखना चाहते हैं। ऐसी हालत में जब कि उसके मानी, अध्यक्ष महोदय, इम्प्लाइड हैं अगर कोई ऐसी दिक्कत पड़ेगी और उस नुक्स को पूरा करना हो तो इस प्राविजो के मुताबिक ही इलेक्शन हो जायगा .....

श्री अध्यक्ष—आप यह कह रहे हैं—

"Provided that the five members of the State Legislature mentioned in clause (i) shall be elected."

तो कौन सा क्लाज (i) जिसका आपने जिक्र किया है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह जो 8-A है।

श्री अध्यक्ष—यही तो मैं कह रहा हूं । जो आपने लिखा है उसी पर तो विचार होगा। हां, माननीय शिवनाथ काटजू आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बिलकुल आउट आफ आर्डर है। इसमें पारस्परिक विरोध है और कंट्रेडिक्शन इन टर्म्स भी है। मूल धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है—

"Nothing in section 7 and 8, or in section 12 omitted by section 5 of the U. P Muslim Waqfs (sanshodhan) Adhiniyam 1952, shall be deemed ever to have required that the members to be elected by the members of the State Legislature shall be from amongst the members for the time being of any House of the said Legislature."

[श्री शिवनाथ काटजू]

इसका अर्थ स्पष्ट रूप से यही है कि जो पांच मेम्बर इस सदन के सदस्य चुने जायंगे वह आवश्यक नहीं हैं कि वह यहीं के हों, बाहर के भी हो सकते हैं। अब यह जो मूल धारा है इसका प्रतिबन्ध लगाया गया है, पहली पंक्ति कंट्रेडिक्ट करती है जो कि मूल धारा में कहा गया है--

"Provided that the five members of the State Legislature mentioned in clause (i) shall be elected....."

श्री अध्यक्ष---यह कौन सा (i) है !

श्री शिवनाथ काटजू---उनका खयाल शायद यही था कि अगर यह जोड़ा जाय तो वह दो हो जाय, हालांकि उन्होंने यह कहा नहीं है। लेकिन अगर यह भी है तो इसका अर्थ यह लगाना, मूल धारा में कहा गया है--

"Members to be elected by the members of the State Legislative Assembly...."

यहां इन्होंने इसका अर्थ यह लगाया है--

"Five members of the State Legislature shall be elected "

यह कहां है? धारा में तो कहा गया है कि जो चुने जायेंगे कहीं के भी हों इसमें इन्होंने मान लिया है कि पांच आदमी जो चुने जायेंगे वह यहीं के होंगे। तो इसके अन्दर पारस्परिक विरोध हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और यह आउट आफ आर्डर है। दूसरे जहां तक कि इसकी मेरिट का....

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स क ऊपर न कहें। सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर पर कहने के लिये मैंने बुलाया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो यूं बना दें।

श्री अध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि या तो आप इसे वापस ले लें या मैं इसे अवैध करार दे देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी ---अमेंड करके पेश करना चाहता हूं।

श्रीअध्यक्ष---अब वह इस स्टेज पर अमेंड नहीं होगा। क्योंकि इतना समय सदन का इस पर लग चुका है। मैं इस को अवैध करार देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा १० का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"10. Every Central Board shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and on the expiration of the said period of five years, all the members then constituting the Board shall vacate their offices."

Provided that the State Government may by notification in the gazette extend the said period by a further period not exceeding one year."

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

धारा १० इस प्रकार है--

"Every Sunni Board shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and on the expiration of the said period of five years all the members then constituting the Board shall vacate their offices."

इसके साथ यह प्रावीजन लगा दिया गया है कि--

"Provided that the State Government may, by notification in the gazette extend the said period by a further period not exceeding one year."

अभी तक जैसा कि धारा ७,८ और ८ (ए) के अन्दर आया है कि ५ मेम्बर, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बर्स हैं उन्हीं के जरिये चुने जायंगे । स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म फाइव इयर्स है। अगर पांच साल के बाद स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो जाती है तो दूसरी लेजिस्लेचर आयेगी। उस वक्त अगर हम जैसा कि प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि एक साल के लिये एक्सटेंड कर दें इसका पीरियड तो ऐसा कर दें तो हर तरह की गलतफहमी आ सकती है और उसमें दिक्कत भी पैदा होगी कि एक साल उसकी टर्म बढ़ा दी जाय और उसके बाद फिर जो दूसरे एलेक्टेड मेम्बर्स हों वह उसको चुनें। इस तरह से भी गलतफहमी फैलेगी कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में इस पावर का दे देना ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं उचित समझता हूं कि यह प्रोवाइजो निकाल दिया जाय ।

श्री सैय्यद अली ज़हीर--अध्यक्ष महोदय, मेरे नजदीक तो यह प्रवाइजो बहुत जरूरी है। मुमकिन है कि ऐसी सूरतें हों कि ठीक पांच बरस के बाद चुनाव न हो सके तो उस वक्त यह होगा कि कोई वक्फ बोर्ड चूंकि उसकी मियाद ५ साल की हो गयी है तो पूरे बोर्ड के जितने मेम्बर्स हैं वे बोर्ड के मेम्बर नहीं रह जायेंगे और एक आकवर्ड पोजीशन होगी। तो यह कर दिया गया है कि अगर कोई खास जरूरत हो और ऐसी जरूरत पैदा हो कि जब एलेक्शन नहीं हो सकते हों तो उस वक्त गवर्नमेंट को अख्तियार है कि दो-दो चार-चार महीने करके एक साल तक उसकी मियाद बढ़ा दे। मैं समझता हूं कि यह एक जरूरी चीज है और इसको रहना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज बड़ी आशा थी कि मुस्लिम वक्फ का जो अमेंडमेंट आ रहा है उस से हमारे प्रांत में जब आज शिया कांफ्रेंस या शियाज में जो झगड़ा है वह दूर हो जायगा, उसकी कुछ कोशिश की होगी। लेकिन वह न हो पाया और माननीय मंत्री जी इस बिल को इतनी जल्दी में लाये हुये हैं क्योंकि हाईकोर्ट में एक रिट का सवाल आया है...

श्री अध्यक्ष--संशोधन पर आप कृपा करके बोलें । यदि आप जनरल डिस्कशन में भाग लेने की कृपा किये होते तो इतनी कठिनाई आपको नहीं होती । संशोधन में आपको अपना भाषण अब सीमित करना पड़ेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--सरकार को, अध्यक्ष महोदय, अगर अधिकार ५ साल के टर्म के बाद भी एक साल का और रहेगा तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को अधिकार दे देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं जो सरकार बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के अन्दर एक रिट दाखिल हो चुका है इतनी जल्दी में इस बिल को ला रही है। उन्होंने कहा है कि, "फूल्स रश इन व्हेयर ऐंजिल्स फीयर टु ट्रेड" क्या इसी का यह उदाहरण है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

क्या "फूल्स रश इन" यह इस हुकूमत पर लागू होता है? इसीलिये मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस उद्देश्य से हम यह पावर नहीं देना चाहते, मुमकिन है कि ५ साल के बाद वह न रहें। तो नये मेम्बर्स चुने जायेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अधिकार नहीं देना चाहिये।

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बातों को सुना लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बतलायी कि क्या वजह है कि एक साल का पीरियड बढ़ाने का मौका उन्हें दिया जाय। यह स्टेट गवर्नमेंट को हम क्यों अख्तियार दें कि वह एक्सटेंड कर सके एक साल इस पीरियड को जब कि यह असेम्बली हमेशा बैठती है। कभी इसमें गैप नहीं होता। एक असेम्बली जब पुरानी खत्म हो जाती है तो फौरन ही दूसरी नयी असेम्बली आ जाती है। ऐसी हालत में कोई भी गैप देने का मौका नहीं दिया जा सकता। यह जरूर कहा जा सकता है कि हम स्टेट लेजिस्लेचर को अख्तियार दें लेकिन यह तो स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सदन में यह बतलाया था कि हम इस सदन के पावर को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि जितना वाइड हो सके उतना वाइड किया जाय। ऐसी हालत में मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि हमारे लेजिस्लेचर के जो पावर्स हैं वह हम स्टेट गवर्नमेंट को पावर दें। हमारे लिये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने का सवाल उस वक्त खड़ा होता है जब कोई इमर्जेंसी का सवाल हो जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज विधेयक के अन्दर माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया था कि इमर्जेंसी की कोई कंडीशन हो तो उस वक्त यह पावर दिया जा सकता है क्योंकि लेजिस्लेचर बराबर बैठता नहीं था उस मामले में। लेकिन यहां पर जहां तक कि सदन का सवाल है, स्टेट लेजिस्लेचर का सवाल है यह तो हमेशा ही कंटीन्युअस रहता है। हो सकता है कि आज एक असेम्बली हो और कल या ५ साल के बाद संभव है दूसरे लोग चुनकर आयें लेकिन इसमें कोई गैप नहीं पड़ सकता और न यह डिस्कंटिन्यू हो सकता है। ऐसी हालत में जब कि लेजिस्लेचर कंटिन्यूअस रहता है तो मैं नहीं समझता कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर देने की जरूरत है और ऐसी हालत में दफा ७, ८ और ८ए में अगर देखा जाय तो जो मेम्बर्स होंगे उनका चुनाव वही लोग करेंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बर होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर जैसा कि मैंने अभी बतलाया वह कंटीन्युअस रहता है। इसलिये हमें कोई ऐसा पावर स्टेट गवर्नमेंट को देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती और मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्राविजन को खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो पावर हैं उनको कर्टेल करने का सवाल है।

श्री सैयद अली जहीर— अध्यक्ष महोदय, हमारे उपाध्याय जी मालूम होता है कि इस तरमीम के खिलाफ तो नहीं है लेकिन उनको अन्देशा यह है कि यह गवर्नमेंट जो है वह गड़बड़ है इसलिये उसको यह अख्तियार नहीं मिलना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि यह ऐक्ट जो है महज कांग्रेस गवर्नमेंट के लिये ही नहीं बन रहा है यह हमेशा के लिये बन रहा है। आइन्दा गवर्नमेंट जो होने वाली है वह भी उसको इस्तेमाल कर सकेगी। क्या वह उनको अख्तियार नहीं देना चाहते? लेकिन हम तो यह समझते हैं कि जिस तरह से इस गवर्नमेंट को अख्तियार है कि अगर वह मुनासिब समझे तो एक साल के लिये मियाद बढ़ा दे बोर्ड की, वैसी ही आइन्दा जो हुकूमतें बनेंगी

उनको भी अख्तियार रहेगा तो कोई गलत इस्तेमाल उसका नहीं होगा। मेरे खयाल में इस किस्म के प्राविजन तो सभी ऐक्ट्स में होते हैं जो इमर्जेंसी में या खास सूरत में इस्तेमाल किये जाते हैं । ऐसी नौबत आ सकती है इसलिये इसका होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५ तथा ६

५—मूल अधिनियम की धारा १२ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा १२ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ५४ के बाद निम्नलिखित धारा ५४-ए के रूप में रख दिया जाय :

"54-A. (1) Where any waqf is entitled to be paid any annuity on account of rehabilitation grant under section 99 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, any contribution payable by such waqf under section 54 may be paid by the State Government out of such annuity on production by the Secretary of the Central Board a certificate in the prescribed form and signed by him; provided, however, that the amount paid shall not exceed five per cent. of the annuity.

(2) Any sum paid by the State Governmet under and in accordance with sub-section (1) shall be full discharge of the State Government to the extent of the amount so paid."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स् (संशोधन) विधेयक, १९५२

य० पी०ऐक्ट १३, १९३६ । यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स् ऐक्ट, १९३६ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट, १९३६ कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे यह आवश्यक है कि यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स् ऐक्ट, १९३६ में संशोधन किया जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । १—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं डिवीजन चाहता हूं । मैंने बोलना शुरू कर दिया था परन्तु मेरी बदक़िस्मती है कि आप की दृष्टि नहीं पड़ी....

श्री अध्यक्ष---खैर मेरी अगर दृष्टि नहीं पड़ी तो अब उसके लिये लाचारी है ।

२ जनवरी, १९५३ को सदन की बैठक करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह करना है कि एक प्रस्ताव मैंने २ तारीख को सदन रखने के लिये दिया है और वह आप के पास भेज दिया गया था । अगर वह आप पहले ले लें तो निश्चित हो जायगा..

अध्यक्ष---प्रस्ताव आप किस दफ़ा के अनुकूल ला रहे हैं । बिला नोटिस के आप कोई इस तरह का प्रस्ताव ला नहीं सकते । मैं इसकी इजाज़त नहीं देता कि बिला नोटिस के आप कोई इस तरह का प्रस्ताव ले आयें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, २ तारीख को जो सदन की बैठक रखने का सवाल है....

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को है ।

नियम १० आप देख लें :

"After the commencement of a session, the Assembly shall sit on such days as the Speaker having regard to the State of business of the Assembly may from time to time determine."

इस संबंध में सरकार ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी और आप ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी अब ५ बजे या तो मैं खुद इसका निश्चय कर दूंगा या सदन का क्या सेंस है, सदन का क्या संकेत है, यह मैं पूछ लूंगा । यह तो मेरे ऊपर है लेकिन अगर न भी पूछूं तो इसके लिये मैं फैसला स्वयं दे दूंगा ।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, टाउन एरियाज का यह एक अमेंडिंग बिल है । इसके लिये खास जरूरत यह महसूस हुई कि टाउन एरियाज का भी चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय । म्यनिसिपैलिटीज

❀ २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

के चुनाव के संबंध में जिन बातों की जरूरत थी वे बातें एक अमेंडिंग बिल की शक्ल में इस सदन के सामने आ चुकी हैं । उसी प्रकार टाउन एरियाज के संबंध में जो-जो संशोधन चुनाव के लिये करने जरूरी हैं वे इस बिल में दर्ज किये गये हैं । इसमें खास तौर से चुनाव के सिलसिले में बालिग मताधिकार रखा जाय । और कम्युनल एवार्ड को खत्म कर दिया गया है और यह चुनाव डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स, लोकल बाडीज, के मातहत होंगे । यह तीन चार बातें खास खास हैं । जो चुनाव से सम्बन्ध रखती हैं । मैं इन बातों के संबंध में ज्यादा न कह कर केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि इन बातों पर सदन अभी म्युनिसिपैलिटीज अमेंडिंग बिल में काफी विचार कर चुका है । उसमें और कोई नई बात मैं इस वक्त जोड़ नहीं सकता । और उतना ही कह कर मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ज्यादा वक्त न लगाया जाय ।

इसके साथ साथ दो तीन चीजें और भी इसमें रख दी गई हैं । एक तो यह है कि टाउन एरियाज की माली हालत बहुत खराब है इसलिये जो टैक्स टाउन एरियाज लगाते हैं उनके अलावा जो म्युनिसिपल टैक्सेज हैं उनमें से भी अगर किसी को कोई टैक्स लगाया जाना जरूरी मालूम हो तो वह लगा सके । एक खास बात इसमें यह है । यह अधिकार जब टाउन एरियाज को मिल जायगा तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है और वे उनसे ज्यादा एमीनिटीज टाउन एरियाज के रहने वाले को दे सकते हैं जितनी आज दे पा रहे हैं । टाउन एरियाज की हालत काफ़ी खराब भी है । टाउन एरियाज तरह तरह के हैं । कुछ की कम से कम आमदनी ढाई सौ और पौने तीन सौ के लगभग है और ज्यादा से ज्यादा आमदनी ५८ हजार के क़रीब है । मैं यह फीगर्स सन् १९५०–५१ के दे रहा हूं । मुमकिन है कि उसमें भी अब कुछ इजाफ़ा हो गया हो । तो पौने तीन सौ रुपये से लेकर क़रीब क़रीब ६० हजार रुपये तक की आमदनी टाउन एरियाज की है । आबादी के लिहाज से कम से कम अबादी टाउन एरियाज की २३८ है और ज्यादा से ज्यादा १९ हजार कुछ सौ है । तो इस तरह से आज कुछ टाउन एरियाज की हालत चाहे अच्छी भी हो लेकिन बहुतों की खराब भी है । इसलिये यह जरूरी समझा गया कि जहां-जहां जरूरत समझी जाय वहां-वहां म्युनिसिपल टैक्सेज भी लगाये जा सकें जिससे उनकी आमदनी बढ़े ।

दूसरी बात इसमें चुनाव के अलावा जो कही गयी है वह यह है कि चेयरमैनों की मुलाजिमीन को सजा देने की ताक़त को कुछ बढ़ा दिया गया है । पहले १५ रुपये तक की नौकरी वाले मुलाजिमीन थे जिनको कि चेयरमैन सजा दे सकते थे । अब वह ३० रुपये तक कर दिया है ये दो बातें खास हैं जो इस अमेंडिंग बिल की हैं । इसकी जो और बातें हैं वे वही हैं जो इस सदन के सामने म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल के संबंध में आ चुकी हैं । एक तो यह कि एकाउन्ट्स आफिसर मुक़र्रर हो सकते हैं । दूसरे यह कि प्रेसीडेंट और मेम्बर सस्पेंड हो सकते हैं । जहां तक मेम्बर और चेयरमैनों को नौकरी से अलग करने का संबंध है वह अधिकार तो अब भी गवर्नमेंट को है । यह सिर्फ सस्पेंशन का सवाल है जो इसमें बढ़ाया गया है ।

इस तरह से यह संक्षेप में, अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की खास-खास बातें हैं और मैं इस सदन से आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि सभी बातों पर, सिवाय इन दो चीजों के जो खासतौर से टाउन एरियाज की हैं, एक तो चेयरमैन को सजा देने के अधिकार का बढ़ाना और दूसरे म्युनिसिपल टैक्सेज को टाउन एरियाज के द्वारा लगाया जाना, इनको छोड़ कर बाक़ी सब बातों पर यह सदन काफ़ी दिनों तक विचार कर चुका है । इसलिये इसमें कोई ज्यादा दिक्क़त नहीं होगी । ये जो दो बातें हैं इनमें भी कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सदन इस बिल को जल्दी से स्वीकार कर ले ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमें दुःख के साथ माननीय स्वाशासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अभी जैसा कि माननीय स्वाशन मंत्री ने खुद कहा कि बहुत कुछ इस संशोधन विधेयक के अमेंड-मेंट्स उन लाइसेंन्स पर हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज के संशोधन विधेयक के संबंध में रखे गये थे। अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक के संबंध में इस सदन में काफी वादविवाद हुआ था और बहुत गम्भीरता के प्रश्न उपस्थित किये गये थे और हमें आशा थी कि कम से कम जो ४।६ दिन का वक्फा मिल गया है उस बीच में माननीय स्वाशान मंत्री फिर से इस बात पर ग़ौर करेंगे और इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ताकि उन बहस मुबाहिसों की रोशनी में जो कि म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक के संबंध में हाउस में हुये थे माननीय स्वशासन मंत्री एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकें। लेकिन हमें दुख है कि सरकार ने इससे कोई सबक लेने की कोशिश नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, यह सर्व मान्य सिद्धान्त है। हमारी तरफ से भी और उस तरफ से भी और कहा यह जाता है कि लोकल बाडीज के जरिये से हम लोग सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का सिद्धांत मानते हैं। इस विचार से हमने जो डिजोल्यूशन आफ बोर्ड या रिमूवल आफ मेम्बर्स के बारे में जो हमने अपनी राय जाहिर की थी उससे माननीय स्वशासन मंत्री लाभ उठायेंगे और मूल अधिनियम की इस धारा में जिसमें प्रेसीडेंट और मेम्बर्स के निकालने का प्रश्न है उसको निकाल देने का प्रयत्न करेंगे ऐसी हमें पूर्ण आशा थी। लेकिन वह चीज वैसे ही रह गई।

इनके फायनेन्सेज के सवाल को हल करने के लिये हमारे स्वशासन मंत्री जी ने एक उपाय किया और वह यह किया कि टाउन एरियाज कमेटी में जो टैक्सेज होते हैं उनके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेज लगाने का उनको और अधिकार दे दिया अध्यक्ष महोदय, हमारी जोरदार आवाज है और हम हमेशा टैक्सों का विरोध करते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि जनता के ऊपर उतने ही टैक्स लगाइये जितना अदा करने की जनता की कैपेसिटी हो लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी र ज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। टाउन एरियाज कमेटी में पहले से ही टैक्सेज का प्रावीजन था और वह टैक्सेज लगा रही थीं लेकिन अब यह दूसरा बर्डन और जनता के ऊपर रख दिया गया कि म्युनिसिपल टैक्सेज भी लगाने की जहां जहां जरूरत होगी, व्यवस्था होगी और म्युनिसपल टैक्सेज वसूल करने का प्रबंध किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, फायनेन्सेज का सवाल लोकल बाडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसि-पैलिटीज सब के लिये एक सा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की राय विशेष है और हम यह चाहते हैं कि जो चौखम्भा राज्य का सिद्धांत है उसमें जो रेवेन्यू है उसका बराबर बराबर बंटवारा हो जाना चाहिये और कम से कम २५ प्रतिशत प्रांतीय सरकार के बजट का लोकल बाडीज को मिलना चाहिये और २५ प्रतिशत पंचायतों को मिलना चाहिये और बाक़ी ५० प्रतिशत गवर्नमेंट अपने द्वारा खर्च करे। लेकिन इस विधेयक में इस सिद्धांत की अवहेलना की गयी है। इसलिये कि हमारी बात सरकार नहीं मानती है। अध्यक्ष महोदय, लोकल बाडीज के संबंध में जो कमेटी आप की अध्यक्षता में बनी थी और इस कमेटी ने जो सुझाव पेश किये थे उसमें कहा था कि ५ प्रतिशत प्रांतीय सरकार को अपने बजट का इन बाडीज को देना चाहिये। लेकिन हमें दुख है कि इस कमेटी की सिफारिशों को भी इसमें समावेश नहीं किया गया है। हमारी बात मानी नहीं जाती है इसका तो हमें रोज ही तजुर्बा होता है। लेकिन जो खेर कमेटी कांग्रेस सरकार के जमाने में बनी थी और उसने जो अच्छे अच्छे सुधार उपस्थित किये थे, जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का संबंध था, फायनेन्सेज का संबंध था और लोकल बाडीज के संबंध में और भी सुझाव उसने दिये थे वह भी ठुकरा दिये गये यह आश्चर्य की बात है। इस समय मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। उस कमेटी की कोई सिफारिश समावेश नहीं की गई। कमेटी ने साफ कहा था कि सुपरसेशन का अधिकार किसी भी लोकल बाडीज को न होना चाहिये लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसमें पहले रिमूवल की धारायें ज्यों की त्यों रक्खी हैं और बीच में सस्पेंशन का भी अधिकार ले लिया है। मैं समझता हूं कि ये दोनों धारायें मूल अधिनियम की खत्म कर दी जानी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय, खेर कमेटी ने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड की बात म्युनिसिपैलिटीज के बाबत कही थी जिसके जरिये से तमाम म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का नियंत्रण हो सकता था और सुधार हो सकता था।

श्री अध्यक्ष——उससे इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि अगर टाउन एरियाज के संबंध में भी सरकार अगर कोई इसी तरह की व्यवस्था कर देती और टाउन एरियाज के लिये भी एक प्राविन्शियल बाडी बना देती जो वहां की स्थानीय पार्टी बाजी से अलग हो कर होता। सही मानी में टाउन एरियाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में मदद करती तो बड़ा अच्छा होता लेकिन यह नहीं हुआ।

दूसरा बुनियादी सवाल चुनाव के तरीक़े का है कि चुनाव किस तरीके से हो। अध्यक्ष महोदय, हमने ही नहीं कहा, खेर कमेटी ने भी कहा है कि पिक्टोरियल बैलट बाक्सेज बनाये जायं। अर्थात् डब्बों पर पिक्चर्स हों। हम उस कमेटी की सूझ बूझ की तारीफ़ करेंगे कि एलेक्शन कमीशन ने सिम्बल्स को अब सोचा और उस कमेटी ने पहले यह सिफारिश उपस्थित कर दी थी इस सरकार के सामने और तमाम माननीय सदस्यों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय स्वशासन मंत्री बजिद हैं चाहे खेर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे हमारा सुझाव हो, किसी को भी वह नहीं मानने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी होती है कि कम से कम जो तरीक़ा चुनाव का टाउन एरियाज के संबंध में हो वह बिल्कुल एसेम्बलियों और पार्लियामेंट के तरीके का चिन्हों के जरिये होता। परन्तु वर्तमान प्रणाली में ऐसे बैलट पेपर्स मिलेंगे जिनमें उम्मीदवारों, मेम्बर्स और चेयरमैन की एक लम्बी फेहरिस्त होगी। म्युनिसिपैलिटीज में तो १५ फीसदी लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन टाउन एरियाज में ७,८ फीसदी ही होंगे। ऐसी सूरत में इस तरह से क़रीब ९२ फीसदी जनता को वंचित रखा जाता है कि वह गुप्त रीति से वोट दे सके। जो मार्किंग का सिस्टम रक्खा गया है उसमें जो पढ़ा लिखा होगा वह तो जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहेगा अलग ले जा कर मार्क लगा कर बैलेट पेपर बैलेट बाक्स में डाल देगा लेकिन ९२ प्रतिशत जो निरक्षर हैं उनको पोलिंग आफिसर के सामने जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि किस उम्मीद वार को वह वोट देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को ही यह ग़लत कर देता है। जहां ९२ प्रतिशत लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वह गुप्त रीति से वोट दे सकें, ऐसा चुनाव का तरीक़ा कहां तक मुनासिब है। इस पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ था। अगर्चे एक आशा की किरण हमारे सामने है। माननीय स्वाशन मंत्री ने उस समय यह कहा था कि हमने इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर दिया। अगर्चे हमारा संशोधन उस समय रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका प्राविजन रूल्स में हो सकता है। हम आशा करते हैं कि एक बार वह फिर इसके संबंध में भी आश्वासन देंगे या मेन अमेंडिंग बिल में इस क़िस्म का प्राविजन कर दिया जाता तो, अध्यक्ष महोदय, कोई बुरी बात नहीं होती। यह सरकार भी चाहती है कि इलेक्शन निष्पक्ष हो जैसा कि समय समय पर घोषणा होती है और हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हों। यह सिम्बल्स के जरिये से हो तभी हो सकता है।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो खेर कमेटी ने कही थी वह मैथड आफ वोटिंग पर थी। ज्वाइंट एलेक्टोरेट होना चाहिये इसमें तो कोई भेद नहीं है लेकिन टाउन एरियाज के बारे में खेर कमेटी की रिपोर्ट थी कि सिस्टम आफ वोटिंग क्युमुलेटिव होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में जो विधेयक उपस्थित हो गया था उसमें जल्दी जल्दी में यह बात सामने आ गयी थी जिसकी वजह से यह सिफारिश मानने में दिक्क़त हो सकती थी लेकिन अब ४,५ दिन का वक्फा मिल गया है जिस में माननीय मंत्री जी को सोच समझकर यह मैथडआफ वोटिंग यहां लागू कर देना चाहिये तो यह इसलिये जरूरी है कि हम बरा बार दोहराते रहे हैं कि इससे पोलिटिकल माइनारिटीज को भी आने का मौक़ा मिल जायगा। यह हम स्पष्ट घोषणा करते हैं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि हम कम्युनल रिप्रिजन्टेशन के हक़ में नहीं हैं। इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि इस क्युम्युलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग से कम्युनलिज्म को उत्साह मिलेगा। इसके जवाब में मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जातिवाद अभी मौजूद है और हम उसको केवल इच्छा मात्र से दूर नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोसेस यही है कि जितनी पालिटिकल पार्टीज हैं वह उसके खिलाफ प्रचार करें। हमारे यहां पहले इस चीज का बहुत भय था और खास कर एलेक्शन के जमाने में इस चीज को साबित कर दिया कि हमारे यहां जातिवाद मिटता जा रहा है। मुसलमान लोग बहुत भयभीत थे कि उनको रिजर्वेशन दिया जाय लेकिन इस एलेक्शन में उनकी काफ़ी संख्या यहां पर आयी है। साथ ही जो जाति वाद का समर्थन करते थे उनको आशा थी कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी परन्तु हिन्दू सभा और रामराज्य परिषद् उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर हिन्दू महा सभा या जनसंघ का कोई आदमी यहां पर आया है तो वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से है। रामराज्य परिषद् को तो कोई सीट मिली ही नहीं। इस कारण उनका जो दावा था वह तो खत्म हो चुका है और हमारे यहां से साम्प्रदायिकता खत्म होती जा रही है। इस वजह से यह कहना कि क्युम्युलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग से जातिवाद को प्रोत्साहन मिलेगा यह ग़लत है। इस सिस्टम से यह होगा कि सब पोलिटिकल पार्टी को रिप्रिजन्टेशन का मौक़ा मिलेगा। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह से म्युनिसपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि सब के कोआपरेशन से काम हो। उसी तरह से इन टाउन एरियाज में इसकी जरूरत है और उनके टाउन एरियाज में भी अगर बहुमत के बल पर पोलिटिकल माइनारिटी की उपेक्षा न की जाय तो वहां पर काम सर्वसम्मति से होगा और अच्छी प्रकार से होगा। इसके साथ ही इस बिल के अन्दर हम यह चाहते हैं कि कम्पल्सरी वोटिंग कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--क्या आप और ज्यादा समय लेंगे?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी हां, लगभग १५ मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष--अब आप दूसरे रोज जब असेम्बली बैठेगी अपने भाषण को जारी रखेंगे।

सदन की आगामी बैठक की तिथि का निर्धारण

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि यह सदन कब बैठेगा। मैंने माननीय उपनेता सदन से भी मालूम किया था कि वह क्या चाहते हैं तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि सदन २ तारीख को बैठे या न बैठे क्योंकि ३१ और पहली को तो छुट्टी हैं और ३,४ को भी छुट्टी है। इन दिनों में सदन नहीं बैठेगा बीच में एक दिन २ तारीख का रह जाता है। उनको आपत्ति नहीं है, यदि सदन बैठना चाहे तो बैठ सकता है, यह सरकार की तरफ से स्पष्टोक्ति थी। विरोधी दल के एक साहब ने कहा था कि इस बारे में वह चाहते हैं कि २ तारीख को बैठा जाय। जहां तक नियम का संबंध है नियम यही है कि सेशन का प्रारम्भ होने पर इसको अध्यक्ष तय करता है कि कौन कौन दिन बैठा जाय लेकिन इसके अतिरिक्त एक नियम १९ और है जिसमें सरकार यह निश्चय करती है कि उनके कार्यक्रम का आर्डर क्या होगा। दिन वह तय नहीं करती है। सरकार को कार्यक्रम तय करने का अधिकार है। अगर कुछ भी सामने न होता तब तो उस दिन २ तारीख को बैठना अनावश्यक था। लेकिन काम तो शुरू है और यह आज का प्रस्तुत विधेयक भी शुरू है। ऐसी अवस्था में सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि यह कह दे कि उस रोज काम नहीं होगा। यह प्रश्न तारीख २५ से लेकर २८ की छुट्टी में भी उपस्थित हुआ था और मैंने सदन के उपनेता जी से कहा था कि आप ४ रोज की छुट्टी दे रहे हैं शायद सदस्य बाहर जाना चाहें

क्योंकि एक कार्य सदस्यों का यह भी है कि अपने अपने स्थानों पर जा कर लोगों को यहां के कार्यक्रम से परिचित करावें, ऐसी अवस्था में वे नहीं जा सकेंगे और उस समय यह सवाल भी सामने था कि २६ तारीख को गैरसरकारी दिन था । लेकिन किसी ने उस समय कोई आपत्ति नहीं उठायी । उस समय सदस्यों को पूर्ण अधिकार था कि वे आपत्ति उठाते और यह कहते कि नहीं हमको तारीख २६ को बैठना चाहिये क्योंकि वह असरकारी दिन है, लेकिन २६ को छुट्टी उस वक्त सर्वसम्मति से मंजूर की गयी और एक रोज भी नहीं बढ़ाया गया । तो इस बार मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों के साथ ज्यादती होगी कि उन्हें ४ दिन की छुट्टी दी जाय और यह सहूलियत न दी जाय कि वे अपनी कंस्टीट्यूएंसीज में जा कर लोगों को सदन के कार्यों से परिचित करावें । यह अनुचित होगा कि उनकी इच्छा पूर्ण न की जाय । मैंने सदन की इच्छा ले ली है । बहुमत की यह इच्छा मालूम होती है कि २ तारीख को न बैठें ।

खर्च का जहां तक सवाल है , तो खर्च तो बहुत होते हैं और यह भी एक महत्व का काम है कि लोगों को यहां के काम के बारे में बताया जाय। यह खर्चा बेकार नहीं है । सदस्यों का अपनी कान्स्टीट्यूएंसीज से कांटेक्ट क़ायम रखना इस पैसे से अधिक क़ीमती चीज है । यह मौक़ा उनको पिछले हफ्ते में नहीं मिला है । सरकार का रवैया तो यही है कि जहां तक बने छुट्टी न दी जाय । क्योंकि जब तक कोई खास वजह न हो वह काम में खंड डालने के लिये तैयार नहीं होती । सदन की इच्छा जानकर इस बार उसे आपत्ति नहीं है । ऐसी अवस्था में मैं उचित सममझता हूं कि उस दिन छुट्टी रहे ।

अब हम ५ तारीख को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, ५ जनवरी, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३० दिसम्बर, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

आजमगढ़ जिले में युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में ली गयी सड़कें

पक्की सड़कें

१–बनारस आजमगढ़	१८ मील
२–सराय खेता जैगहां दीदारगंज	९ मील
३–मुहम्मदाबाद चिरैयाकोट	१० मील
४–घोसी मधुबन	१० मील १ फर्लांग

कच्ची सड़कें

१–चिरैयाकोट बड़ागांव	४ मील
२–मऊ गोकुलपुरा	८ मील
३–घोसी मुहम्मदाबाद	१३ मील
४–मधुबन बिल्थरा	८ मील
५–कप्तानगंज महराजगंज	५ मील
६–कप्तानगंज अहरौला	१३ मील
७–महुल बवाई	७ मील
८–दीदारगंज से दीदारगंज रेलवे स्टेशन	६ मील
९–निजामाबाद फंका	५ मील
१०–निजामाबाद आजमगढ़	७ मील
११–कुम्बरिया मेहनगर	७ मील
१२–कुम्बरिया तरवा	५ मील
१३–बांसा दीदारगंज	१५ मील

घोसी मुहम्मदाबाद और मधुवन बिल्थरा सड़कों को छोड़ कर शेष सारी कच्ची सड़कें अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजमगढ़ को लौटा दी गयी हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ... २५७ पर)

स्थायी समितियों की १९४८ से १९५२ तक हुई बैठकों की सूची

	स्थायी समितियों का नाम	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
१	सार्वजनिक निर्माण–विभाग (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी स्थायी समिति ।	१	२	१	१
२	सार्वजनिक निर्माण वि–भाग (सिंचाई तथा वि–द्युत्) सम्बन्धी स्थायी समिति ।	१	२	१	
३	जेल संबंधी स्थायी समिति	२	१	२	१
४	शिक्षा	१	२	३	१
५	पुलिस	३	२	१	१
६	उद्योग	२	२	२	०
७	बन	२	२	१	२
८	स्थानीय स्वशासन संबंधी	५	३	३	३
९	श्रम संबंधी स्थायी समिति	२	३	३	२
१०	यातायात संबंधी	१	२	१	२
११	माल	२	२	१	२
१२	कृषि तथा पशुपालन	२	०	१	१
१३	आबकारी	२	१	२	१
१४	सामान्य प्रशासन ..	१	२	२	१
१५	सूचना	१	१	१	०
१६	रसद	२	२	२	१
१७	हरिजन सहायक ..	१	१	१	०
१८	चिकित्सा तथा सार्वजनिक	२	१	२	१
१९	न्याय तथा विधान स्वास्थ	१	२	२	१
२०	शरणार्थी	२	२	२	२
२१	सहकारी				
२२	विकास व नियोजन	२	०	२	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५२ एल० ए०–१९५३—८५०

सत्यमेव जयते